लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

18-6-92

सत्यमेव जयते

[खंड 50 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. L contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 8—गुरुवार, 24 फरवरी, 1966, 5 फाल्गुन, 1887 (शक)

No. 8—*Thursday, February* 24, 1966/*Phalguna*, 5, 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
178-क	अत्यावश्यक वस्तुओं से नियंत्रण हटाना	Decontrol of Essential Commodities	3435–36
179	मंत्रालयों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन	Delegation of Financial Powers to Ministries	3436–38
180	दिल्ली में एक ज्योतिषी के घर पर छापा	Raid on Astrologer's House in Delhi	3438–42
181	बच्चों को शिक्षा के लिए भत्ता	Children's Education Allowance	3442–44
182	लेखन सामग्री पर व्यय	Expenditure on Stationery . .	3444–46
183	चौथी योजना	Fourth Plan	3446–49
अ० सू० प्रश्न S. N. Q. No.			
1	गंग नहर	Ganga Canal . .	3449–51

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
184	कर ढांचे को युक्तियुक्त बनाना	Rationalisation of Tax Structure	3452
185	नर्मदा नदी परियोजना के सम्बन्ध में खोसला समिति का प्रतिवेदन	Khosla Committee's Report on Narmada River Project . .	3452
186	राजस्थान नहर परियोजना	Rajasthan Canal Project . .	3453
187	सिंचाई परियोजनायें	Irrigation Projects . . .	3453
188	दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना डिस्पेंसरियां	C.G.H.S. Dispensaries in Delhi .	3453–54
189	गांवों से सोने की वसूली	Collection of Gold from Villages	3454
190	अचल शहरी सम्पत्ति पर कर	Tax on Immovable Urban property	3454–55
191	भूमि सुधार कानून	Land Reforms Measures . .	3455
192	पर्वतीय क्षेत्रों का विकास	Development of Hill Areas .	3455–56
193	राज्यों द्वारा केन्द्रीय ऋण की वापसी	Repayment of Central Loans by States	3456
194	भू-राजस्व	Land Revenue	3456–57

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

1—24 L.S./66

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
195	वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतें	Rising Prices of Commodities .	3457
196	उत्तर प्रदेश को अनुदान देने के सम्बन्ध में वित्त आयोग की सिफारिश	Finance Commission's Recommendation re: Grant to U. P. .	3457–58
197	विटामिन	Vitamins	3458
198	उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री का करदायित्व	Tax Liability of Ex-Chief Minister Orissa	3458–59
199	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा धन-प्रेषण योजना	National Defence Remittance Scheme	3459
200	एकसम बिजली-दरें	Uniform Power Rates .	3459
201	पाकिस्तान को निर्यात किये गये कोयले की बिक्री से आय	Sale proceeds of coal exported to Pakistan	3459–60
202	विदेशों से सहायता	Foreign Assistance from Abroad	3460
203	विदेशी ऋण	Foreign Loans . .	3460
204	आयातित दवाइयां	Imported Drugs . .	3461
205	परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme	3461
206	दिल्ली के अस्पताल	Delhi Hospitals . . .	3462
207	दिल्ली में बिजली की दर	Power Tariff in Delhi .	3462
अ ता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
791	वृहत्तर कोचीन जल सम्भरण योजना	Greater Cochin Water Supply Scheme	3463
792	केरल में समुद्र से भूमि कटाव को रोकने का कार्य	Anti-Sea Erosion Work in Kerala	3463–64
793	त्रिचूर में बिजली समस्या	Electricity Problem in Trichur .	3464
794	पंजाब में नलकूप	Tube wells in Punjab	3464
795	भूमि सुधार	Land Reforms . . .	3465
796	राजस्थान में सिंचाई योजनायें	Irrigation Schemes in Rajasthan	3465
797	राज सहायता प्राप्य गृह निर्माण योजना	Subsidised Industrial Housing Scheme	3465–66
798	व्यय में कमी	Economy in Expenditure . .	3466
799	कृषि और सिंचाई में समन्वय	Co-ordination between Agriculture Irrigation . . .	3466–67
800	सूखे से प्रभावित राज्यों के लिये सूखा सहायता योजना	Relief Plans for Drought-affected States	3467
801	हैल्थ विजिटरों का प्रशिक्षण	Training of Health Visitors . .	3467
802	व्यास बांध	Beas Dam . .	3467–68
803	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टर	C.G.H.S. Doctors	3468
804	एयर इंडिया टर्मिनल भवन, बम्बई	Air India Terminal Building Bombay	3468–69

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
805	25 लाख रुपये वाली पूंजी परिव्यय की योजनायें	Schemes involving Capital outlay of Rs. 25 lakhs	3469
806	जवाहर सागर बांध	Jawahar Sagar Dam	3469–70
807	गृह-निर्माण के लिये जीवन बीमा निगम का धन	L.I.C. Funds for Housing	3470
808	सीमा शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क सम्बन्धी मामलों की सुनवाई के लिये अपीलीय न्यायाधीकरण	Appellate Tribunal to Deal Customs and Excise Appeals	3470
809	कनाडा से सहायता	Aid from Canada	3471
810	कानपुर में छापे	Raids in Kanpur	3472
811	बम्बई में छिपाये हुए जेवरात का पकड़ा जाना	Unaccounted Jewellery Seized in Bombay	3472
812	जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मांगें	Demands of L.I.C. Employees	3473
813	सर्प विष का निर्यात	Export of Snake Venom	3473–74
814	सरकारी इमारतों पर सम्पत्ति कर	Property Tax on Government Buildings	3474
815	कैन्सर	Cancer	3474
816	निम्न आय वर्ग गृह निर्माण योजना	Low Income Group Housing Scheme	3474–75
817	विदेशी मुद्रा तथा सीमा शुल्क नियमों का उल्लंघन	Foreign Exchange and Customs Violations	3475–76
818	महलनवीस समिति का प्रतिवेदन	Mahalanobis Committee's Report	3476
819	दिल्ली के अस्पताल	Delhi Hospitals	3476
820	समय से पूर्व सेवा-निवृत्त होने की योजना	Scheme of Early Retirement	3477
821	वित्त मंत्री की फ्रान्स तथा जापान की यात्रा	Finance Minister's visit to France and Japan	3477
822	आवास सम्बन्धी नीति	Housing Policy	3477–78
823	साहिबी नदी पर बांध	Dam on Sahibi Nadi	3478
825	केरल में स्वर्णकारों का पुनर्वास	Rehabilitation of Goldsmiths in Kerala	3478–79
826	'नागपुर के मेसर्स श्रीराम दुर्गा प्रसाद'	M/s. 'Shriram Durga Prasad', Nagpur	3479
827	केन्द्रीय गृह-निर्माण वित्त निगम	Central Housing Finance Corporation	3474–80
828	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी	Hindustan Housing Factory	3480
829	विद्युत् मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of Power Ministers	3480
830	खाद्य अपमिश्रण रोक समिती	Committee on Prevention of Food Adulteration	3481
831	मरमागोआ पत्तन से तस्कर माल की निकासी	Clearance of Smuggled Goods from Marmagoa Port	3481

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
832	नेताओं की मूर्तियां	Statues of Leaders . . .	3481–82
833	मछली पकड़ने वाले छोटे जहाज स्वामियों के लिए शुल्क-मुक्त डीज़ल तेल	Duty-fee diesel Oil to small Fishing Vessel owners . . .	3482
834	ग्राहम ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड	Graham Trading Company Ltd. .	3482–83
835	मंगलौर तथा कासरगोड के बीच बिजली लाइन	Electric Line between Mangalore and Kasargode . . .	3483
836	बम्बई में आयात-निर्यात करने वाली एक फर्म पर छापा	Raid on an Import Export Firm in Bombay	3483
837	पदाधिकारियों द्वारा विदेशों के दौरे	Tours Abroad by Officials . .	3483–84
838	अनुर्वरीकरण शल्य-चिकित्सा	Sterilization Operations .	3484
839	मद्रास के लिये वृहय् योजना	Master plan for Madras . .	3484–85
841	मदनगीर कैम्प में जल सम्भरण	Water Supply in Madangir Camp	3485
842	श्री सैलम परियोजना	Srisailam Project . .	3485
843	किलपाक मेडिकल कालिज	Kilpauk Medical College . .	3486
844	कच्चे माल के आयात के लिये विदेशी मुद्रा का नियतन	Foreign Exchange Allocations for Import of Raw Materials.	3486–87
845	काले धन पर करारोपण	Taxation of Unaccounted Money	3487
846	अमरीकी उर्वरकों की खरीद	Purchase of U.S. Fertilisers . .	3487–88
847	भोजन में पौष्टिक वितत्वों की कमी	Deficiency in Diet . . .	3488–90
848	"इन्द्रप्रस्थ एस्टेट" नई दिल्ली के निकट यमूना बांध	Yamuna Barrage near Indraprastha Estate, New Delhi .	3490
849	दिल्ली में छल्लों (लूप) का प्रयोग	Use of Loop in Delhi .	3490–91
850	चिकित्सा शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिये उड़ीसा को अनुदान	Grant to Orissa for Medical Education and Training . .	3491
851	उड़ीसा के सिंचाई तथा विद्युत संसाधन	Irrigation and Power Potential Orissa	3492
852	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम	Central Sales Tax Act . .	3492
853	जीवन बीमा निगम का कारोबार	L.I.C. Business	3492
854	आसाम मे मकानों के निर्माण के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण	L.I.C. Loan for House Building Purposes in Assam . . .	3493
855	प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली	Nature Cure System . . .	3493–94
856	गोहाटी में भारत के रक्षित बैंक का शाखा कार्यालय	Branch office of Reserve Bank of India at Gauhati . . .	3494
857	तिमारपुर दिल्ली का पुनर्विकास	Redevelopment of Timarpur, Delhi	3494
858	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को वातानुकूलित करना	Air Conditioning of Central Government Offices . .	3494

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
859	धुवरन तापीय संयंत्र	Dhuvaran Thermal Plant . .	3494–95
860	माही नदी का विकास	Development of Mahi River .	3495–96
861	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम	U.N. Development Programme .	3496–97
862	करों का अपवंचन	Evasion of Taxes . .	3497
863	आन्ध्र प्रदेश में आयकर कार्यालय का हटाया जाना	Shifting of Income Tax Office in Andhra Pradesh . . .	3497
864	केरल में भूमि सुधार	Land Reforms in Kerala . .	3497–98
865	तुंगभद्रा परियोजना	Tungabhadra Project . .	3498
866	दिल्ली में पानी की कमी की समस्या	Delhi's Water Shortage Problem	3498
867	कुट्टियाडी सिंचाई योजना	Kuttiady Irrigation Scheme .	3499
869	राज्यों में योजना सलाहकार	Planning Advisers in States .	3499
	अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance—	
	(एक) भारत के प्रधान मंत्री तथा घाना के के राष्ट्रपति के बीच बातचीत	Talks between the Prime Minister of India and the President of Ghana	3499–3502
	(दो) दिल्ली क्लाथ मिल्स में तालाबन्दी तथा कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा लाठी प्रहार	Lock-out in Delhi Cloth Mills and lathi charge on workers by Police	3525–26
	भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थिति	Situation on India-Pakistan Border	3502–06
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	3506–08
	लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee—	
	तैंतालीसवां प्रतिवेदन	Fortythird Report . .	3508
	राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	Motion on President's Address—	
	श्री ओंकार सिंह	Shri Omkar Singh .	3509
	श्री शिवचरण गुप्त	Shri Shiv Charan Gupta .	3509–11
	श्री अ० सिं० सहगल	Shri A. S. Saigal .	3511–12
	श्री दाजी	Shri Daji . .	3512–14
	श्री रा० बरुआ	Shri R. Barua . . .	3514–15
	श्री गोकुलानन्द महन्ती	Shri Gokulananda Mohanty	3515–16
	श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Muhammad Ismail .	3516–17
	श्रीमती यशोदा रेड्डी	Shrimati Yashoda Reddy .	3517–18
	श्री शिवमूर्ति स्वामी	Shri Sivamurthi Swamy .	3518–19
	श्री चन्द्रमणिलाल चौधरी	Shri Chandramani Lal Chaudhry	3519–20
	श्री अशोक मेहता	Shri Asoka Mehta . .	3520–23
	श्रीमती गायत्री देवी	Shrimati Gayatri Devi .	3523
	श्री जी० भ० कृपलानी	Shri J. B. Kripalani . .	3524
	श्री जसवन्त मेहता	Shri Jashwant Mehta . .	3525

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 24 फरवरी, 1966/5 फाल्गुन, 1887 (शक)
Thursday, February 24, 1966/Phalguna 5, 1887 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिश्चन्द्र माथुर ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इस प्रश्न का उत्तर वित्त मंत्री द्वारा दिये जाने पर मुझे कोई विशेष आपत्ति नहीं है परन्तु हम लोग संपूर्ण भ्रम में हैं । यह प्रश्न सामान्य प्रशासन से सम्बन्ध है और मैं समझता हूं कि कम से कम प्रधान मंत्री को तो यहां उपस्थित होना ही चाहिये था । मुझे एसा आश्वासन दिया गया था । अब मैं प्रश्न संख्या 178-क पूछता हूं ।

अत्यावश्यक वस्तुओं से नियंत्रण हटाना

***178-क. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी अत्यावश्यक वस्तुओं से नियंत्रण हटाने का निश्चय कर लिया है ;

(ख) किन किन वस्तुओं से नियंत्रण पहले ही हटा लिया गया है और उसका क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ग) किन किन वस्तुओं से नियंत्रण हटाने के सम्बन्ध में अब विचार किया जा रहा है ; और

(घ) नियंत्रण हटाने के सम्बन्ध में क्या कसौटी निर्धारित की गई है ?

श्री वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) चालू वित्त वर्ष में, सीमेण्ट और कच्चे लोहे पर से नियंत्रण हटा लिया गया है । ढला लोहा अब बिना किसी रुकावट के मिल जाता है । सीमेण्ट के वितरण का विनियमन निर्माताओं द्वारा स्थापित एक संगठन द्वारा किया जाता है और यह प्रबन्ध संतोषजनक ढंग से चल रहा है ।

(ग) और (घ) : यह देखने के लिए कि मौजूदा नियंत्रण प्रभावपूर्ण हैं या नहीं, और मौजूदा उपलब्धि, भावी उत्पादन तथा दूसरी सम्बन्धित बातों पर इन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, सरकर मौजूदा नियंत्रणों पर बराबर नजर रखती है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : प्रथम मुझे खेद है कि मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया है कि वे कौन सी वस्तुयें हैं जिन से नियंत्रण हटाया गया है। पिछले वर्ष नियंत्रण हटाई हुई करीब 8-10 वस्तुओं की सूची दी गई थी। मैंने अपने प्रश्न के (ख) भाग में उन वस्तुओं के बारे में पूछा था जिन से नियंत्रण पहले ही हटा लिया गया था। "सोडा ऐश" से नियंत्रण हटा लिया गया था। ऐसी सब वस्तुओं पर नियंत्रण हटा लिया गया था और यहां एक नीति वक्तव्य भी दिया गया था। यह $1\frac{1}{2}$ वर्ष पहले की बात है। उस नियंत्रण हटाये जाने का क्या परिणाम निकला है? इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है। मुझे पता नहीं है।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मुझे ग़लतफ़हमी हुई है। मैंनें समझा था कि मेरे मित्र पिछले वर्ष हटाये गये नियंत्रणों के बारे में पूछ रह थे। मैंने कहा है कि कच्चे लोहे तथा सीमेंट से नियंत्रण हटा लिया गया था। और कच्चा लोहा और सीमेंट अब मुक्त रूप से मिल रहा है और इनका वितरण निर्माताओं के एक संगठन द्वारा किया जा रहा है। वह अच्छी तरह चल रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा प्रथम अनुपुरक प्रश्न यह है ....

श्री दाजी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वित्त मंत्री की ग़लतफ़हमी के कारण, यह प्रश्न कल के लिये छोड़ दिया जाये। प्रश्न उन वस्तुओं के बारे में है जिन से नियंत्रण हटा लिया गया था और यदि अनुपुरक प्रश्न पूछे जायेंगे तो मंत्री महोदय यह ही कहेंगे कि ग़लतफ़हमी के कारण उत्तर के लिये उनकी तैयारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : भाग (ग) उन वस्तुओं के बारे में है जिन से नियंत्रण हटाया जाना विचाराधीन है तथा भाग (ख) उन वस्तुओं के बारे में है जिनसे नियंत्रण हटा लिया गया है और कब से?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जैसा मैं ने पहले कहा है दो वस्तुएँ जिन से नियंत्रण हटाया गया है वे कच्चा लोहा तथा सीमेंट है। मूल्यों में थोड़ी वृद्धि हुई है परन्तु माल बराबर जा रहा है। माल ले जाया जा रहा है और लोगों को प्राप्त भी हो रहा है। यदि प्रश्न को थोड़ा और स्पष्ट कर दिया जाता, यदि यह पूछा गया होता कि अमुक तारीखों के बीच किन वस्तुओं से नियंत्रण हटाया गया है तो मैं उत्तर दे सकता था।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस मामले को किसी दूसरे दिन के लिये स्थगित कर दिया जाये?

श्री शचीन्द्र चौधरी : यदि आप कृपया ऐसा कर सकें ....

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर किसी और दिन विचार किया जायेगा। अगला प्रश्न।

मंत्रालयों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

+

*179. **डा लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**

श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय द्वारा इस समय किये जा रहे नियंत्रण को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों को और अधिक वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन तथा न्यागमन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे किस प्रकार से कार्यान्वित किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : सरकार की नीति है कि विभिन्न कार्यकारी अधिकारयों को पर्याप्त वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाये। इस दृष्टिकोण से प्रत्यायोजित शक्तियों का पिछले दस वर्षों में समय समय पर पुनर्विलोकन किया जाता रहा है और जहां आवश्यकता हुई है उन में वृद्धि की गई है। 1962 में जब कि पिछली बार शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया था, उस समय उसका आधार यह था कि वित्त मंत्रालय का नियंत्रण बजट के पूर्व की जाने वाली जांच तथा यदा-कदा परीक्षणों और अध्यायनों द्वारा किया जायेगा। कुछ प्रतिबन्धों को छोड कर योजना अमल में लाई जाती रही। यह नियंत्रण 1962 से लागू किये आपातकाल के सम्बन्ध में बहुत बड़ी संख्या में असैनिक कार्यों और नियुक्तियों के कारण आवश्यक समझा गया अतः सिद्धांत रुप से यह स्वीकार कर लिया है कि इन प्रतिबन्धों को हटा दिया जाये और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही विस्तृत अनुदेश जारी किये जायेंगे जिस से प्रत्यायोजित शक्तियों को 1962 की योजना के अनुसार अमल में लाया जा सके।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या वर्तमान वित्त मंत्री ने वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन तथा न्यागमन करने की प्रवर्तमान—वर्तमान व्यवस्था तथा उसकी कमियों की जांच की है और क्या वे इस व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण सुधार करने का विचार कर रहे हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान वित्त मंत्री ने इस मामले पर विचार किया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं कहूंगा कि इस मामले की बराबर जांच की जा रही है और कुछ परिवर्तन भी किये गये हैं.......

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : निरंतर जांच किये जाने में जिसका कि उल्लेख किया गया है, मेरी रुचि नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान वित्त मंत्री ने कभी उस पर विचार किया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : 15 नवम्बर के बाद अभी हाल में इस मामले की जांच की गई है। इस मामले की जांच के लिये मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति बनाई गई थी और जैसा कि मैं ने पहले कहा है उस में और भी परिवर्तन किये जायेंगे और वर्तमान वित्त मंत्री ने इस मामले पर विचार किया है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या वित्त मंत्रालय ने अपने निवारण अधिकार के अन्तर्गत निरोधक नियंत्रण से प्रशासन तथा विकास सम्बन्धी कार्यवाहियों को बहुधा कमजोर किया है और इससे कभी कभी ऐसे प्रशासन तथा विकास सम्बन्धी कार्य बिल्कुल ठप भी हो गये है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : मैं नहीं समझता कि ऐसे कोई निरोधक सीमायें अथवा निरोधक नियंत्रण वित्त मंत्रालय द्वारा लगाये गये हैं। क्योंकि मैं उसको स्वीकार नहीं करता, मैं यह नहीं कह सकता कि, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है, कहीं पर कार्य ठप हुआ है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Whereas, in financial matters, the Finance Ministry is concerned with all other Ministries and their files are also sent up to that Ministry, will the delegation of powers by it to other Ministers not augment corruption?

Shri L. N. Mishra : There is no question about corruption going up. This is because it is necessary that Finance Ministry should have some control on it. If that is not there, honourable Members will complain that there is wastage everywhere.

श्री शिकरे : क्या यह सत्य है कि पिछले वित्त मंत्री, श्री टी० टी० कृष्णमाचारी, और सरकर में उनके अन्य साथियों में वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजित पर इन मत-भेदों के ही कारण अंत में उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा और यदि एसा नहीं है तो ठीक ठीक मत-भेद क्या थे ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : प्रथम प्रश्न मत-भेदों से सम्बन्ध है; कोई मत-भेद नहीं है। मामले की जांच की जा रही है और इसकी जांच बराबर की जानी है। यह सभा को भी पहले ही बता दिया गया है और अब इस समय यह जांच स्वयं मेरे द्वारा ही जा रही है।

श्री दाजी : क्या यह सत्य नही है कि वित्त मंत्रालय में द्वारा जांच कई स्तरों पर की जाती है और कभी कभी बहुत ज्यादा और दुबारा भी की जाती है? उदाहरण के लिये, डाक व तार बोर्ड में एक वित्तीय मन्त्रणादाता है और उसकी जांच व रिपोर्ट के बाद वित्त मंत्रालय उसी मामले पर दुबारा जांच करता है। यहां तक कि एक और टेलीफोन आप्रेटर या डाक-तार चपराशी या टेलीफोन चपराशी की नियुक्ति के मामले में पहले डाक-तार बोर्ड जांच करता है और बाद में दुबारा वित्त मंत्रालय उसकी जांच करता है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करेगी जिस से दुहरा कार्य न किया जाये ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : नियंत्रण कम है या ज्यादा यह तो मेरे तथा मेरे मित्र के बीच मत-भेद की बात है परन्तु अगर मेरे मित्र मुझे किसी परिस्थिति के बारे में बतायें या कुछ मामले ऐसे बतायें जिनकी में जांच की जानी चाहिये तो मैं उनकी जांच करूंगा और आवश्यक होने पर परिवर्तन भी करूंगा।

श्री अ० प्र० शर्मा : यह देखते हुए कि रेल मंत्रालय की अपनी पृथक वित्तीय व्यवस्था है और सभा के समक्ष उसका बजट भी अलग ही पेश किया जाता है, और 1924-25 तक रेल मंत्रालय की वित्तीय व्यवस्था पृथक तथा वित्त मंत्रालय के नियंत्रण से मुक्त रही है तो रेल मंत्रालय को वित्त मंत्रालय अपने नियंत्रण से मुक्त रख कर और अपने ही वित्तीय संसाधनों की सीमा में कार्य करने देने के लिय क्या आपत्ति अनुभव करता है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां तक मैं समझ सका हूं मेरे मित्र उसका 1924-25 के बाद का इतिहास बता रहे हैं। अब यह वर्ष 1966 चल रहा है। अब तक बहुत से परिवर्तन हो चुके हैं और रेल मंत्रालय के वित्तीय साधन भी बहुत बढ़ गये हैं। रेल विभाग के पास अब विस्तार के लिय कहीं अधिक योजनायें हैं जो देश के हित के लिये हैं। हर अवस्था पर कड़ी जांच करनी होती है जिस से कि कर-दाता के पैसे का सदुपयोग हो। दुबारा भी यदि कोई जांच की जाये तो मैं उसमें अब तक कोई हानि नहीं समझता जब तक वह रेल विभाग के कार्य की प्रगति में बाधक न सिद्ध हो।

श्री अ० प्र० शर्मा : मैं ने रेल विभाग के पृथक बजट के बारे में कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत विस्तृत प्रश्न है और मैं प्रश्न काल में इसके लिये अनुमति नहीं दे सकता ।

Raid on Astrologer's House in Delhi

*180. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Income-Tax Department authorities raided the residence of a famous astrologer in Delhi last year; and

(b) is so, the amount of tax evaded by that astrologer?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Shri Madhu Limaye: Shri Nanda's astrologer's son is working in a company engaged in the smuggling of foreign exchange. These raids were launched by the employees of Enforcement Branch........

श्री क० ना० तिवारी : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : जब सभा के सामने कोई विषय न हो तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। पहले हमें मंत्री महोदय को सूचना देनी होती है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति का उल्लेख करना चाहते हैं जो कि सभा का सदस्य नहीं है अथवा जो उपस्थित नहीं है। जब तक इसकी पूर्व सूचना नहीं दी जाती उस व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

दूसरे, प्रश्न यह था क्या किसी ज्योतिषी के घर की तलासी ली गई थी। क्योंकि यह प्रश्न काले धन के पता लगाने से संबंधित था इसलिये इसकी अनुमति दी गई थी। जब कि उत्तर यह है कि किसी ज्योतिषी के घर की तलासी नहीं ली गई है तो वह किसी व्यक्ति विषेश का उल्लेख किस प्रकार कर सकते हैं और आरोप कैसे लगा सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : Please hear me first.

You said that notice is required if a reference is to be made to any person who is not a Member of this House. The Lok Sabha Secretariat had sought clarification from me and I in my clarification had mentioned the name of this person. Now, it was their duty to take up the matter with the Minister. The employees of the Enforcement Branch raided a company in which one Haveli Ram's son was working. Shri Haveli Ram is the astrologer of Nandaji. Shri Nanda put undue pressure upon the Finance Ministry........

Mr. Speaker : That information relates to the Debate. Personal name should not be mentioned during the Question Hour. Question can however, be put regarding the company which has been raided. I have received a letter from Shri Haveli Ram. Shri Manohara had referred to him in the Debates. I will forward his letter to Shri Manoharan and I will ask him to substantiate his charges. Shri Haveli Ram has informed me that he has no son.

श्री वसुदेवन नायर : श्री मनोहरन ने समाचार पत्र की खबर को पढ़ कर सुनाया था। **(अन्तर्बाधाएं)**।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को ज़रा सब्र से काम लेना चाहिये। इस प्रकार किसी की प्रतिष्ठा का व्यर्थ आघात पहुंच सकता है। यदि हमारे पास कुछ तथ्य हैं तो पहले हमें उनको पुष्टि करनी चाहिये।

श्री ही० ना० मुकर्जी : यदि समाचार-पत्रों में कोई ऐसा समाचार आता है कि जिसमें हवेली राम को गृहमंत्री के साथ जोड़ जाता हो तो सरकार को इस स्थिति के स्पष्टीकरण के लिये आगे आना चाहिये। क्योंकि सरकारने ऐसा नहीं किया है इसलिये हमें इस विषय को सभा के सामने लाना पड़ा है।

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : श्री मनोहरन के भाषण का पाठ गृह मंत्री को भेज दिया गया है। सरकार का उत्तर अभी समाप्त नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से अथवा संबंधित मंत्री द्वारा इसका उत्तर दिया जायेगा।

Shri Madhu Limaye : Time and again Shri Manoharan is quoted. There is difference between what Shri Manoharan has said and what I said, I am not satisfied with the reply given to Shri Manoharan.

श्री कपूर सिंह : श्रीमन्, श्री मनोहरन ने अपने भाषण में श्री हवेली राम ज्योतिषी का नाम लिया और कहा कि उनका लड़का चमन लाल व्यापार करता था और इसलिय गृहमंत्री श्री नन्दा के साथ उनका संबंध आपत्तिजनक है। मैं ने इसपर आपत्ति उठाई थी कि जो व्यक्ति इस सभा का सदस्य नहीं है और यहां उपस्थित नहीं है तो उस पर यहां आरोप नहीं लगाया जाना चाहिये। आज मेरे माननीय मित्र श्री मधु लिमये ने भी वही बात दोहराई है।

Shri Madhu Limaye : I have said something different. In fact much misunderstanding has been created in this regard.

श्री कपूर सिंह : मैं श्री हवेली राम को कई वर्षों से जानता हूं। चमन लाल नाम का उनका कोई लड़का नहीं है। (**अन्तर्बाधाएं**) ।

श्री रामसेवक यादव : श्री मधु लिमये ने यह नहीं कहा है कि चमन लाल उनका लड़का है।

श्री कपूर सिंह : यदि इनको ऐसा कोई वक्तव्य देना ही है तो संसद् के बाहर दें ताकि हवेली राम उनके विरूद्ध अदालति कार्यवाही कर सके, और तब शायद इनके लिये यहां वक्तव्य देना उचित होगा।

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे आशा है कि आपके विनिर्णय का यह अर्थ नहीं है कि इस सभा में किसी बाहरि व्यक्ति का ज़िक्र करने पर बिल्कुल मनाई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने कहा था आरोप लगाने पर।

श्रीमती सावित्री निगम : श्रीमन् मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि श्री मधु लिमये की टिप्पणियों को सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

Shri Sheo Narain : Sir, the speaker of the U. P. Legislative Assembly had given a ruling that press reporting should not be recognised. If they make a reference by name, we shall also be at liberty to refer to Rajaji and Munshiji when we speak tomorrow.

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रसंग देखना होगा। एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय ने जो कुछ निर्णय दिया मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दूसरे यह सभी को विदित होना चाहिये कि मैं हवेली राम को बिल्कुल नहीं जानता हूं। हवेली राम ने मुझे पत्र लिखा है कि उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिये। उन्हों ने यह भी लिखा है कि उनके कोई लड़का नहीं है।

श्री अ० प्र० शर्मा : श्रीमन्, मेरा आप से अनुरोध है कि इस विषय पर आज और परसों जो उल्लेख किये गये हैं उनको सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिये ताकि इस सभा की प्रतिष्ठा को बनाया रखा जा सके।

Shri Rameshwaranand : Many facts have been brought to light by the newspapers. I want to know whether they will not be given recognition irrespective of the fact that there have been brought here through Members of the opposition?

Mr. Speaker : Please sit down.

श्री बड़े : श्रीमन्, आपके इस विनिर्णय पर हम स्पष्टीकरण चाहते हैं कि जब तक हमारे पास प्रमाण न हो हमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम यहां नहीं लेना चाहिये। श्री ति० त० कृष्णमाचारी द्वारा त्यागपत्र देने की पृष्टभूमि यह है कि हवेली राम के घर की तलाशी ली गई थी और कम्पनी की ओर से नन्दाजीने हस्तक्षेप किया। समाचारपत्रों ने इस चीज़ को दिया और जब समाचार-पत्रों में इसकी खबर आई तो किसी स्पष्टीकरण को लेकर आगे नहीं आई। क्या संसद् सदस्य के नाते हमारा यह कर्तव्य नहीं बन जाता है कि हम मंत्री महोदय से इसका स्पष्टीकरण मांगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं ने अपना मत बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है।

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : श्रीमन्, आजकल समाचार-पत्रों में बड़े लोगों और राजनीतक दलों के बारे में अनेक निन्दा जनक बातें आ रही हैं और यदि उनके आधार पर आरोप लगायें जायें तो उनके बहुत बुरे परिणाम निकल सकते हैं। अतः ऐसी बातों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये। आपने सही कहा है कि जब तक कोई प्रत्यक्षतः मामला न हो अथवा जब तक सदस्य उसके बारे में कोई जांच न करें........

श्री हरि विष्णु कामत : हमारे पास जांच के लिये कोई अभिकरण नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं इसको और अधिक समय नहीं दे सकता हूं।

Shri Madhu Limaye : My question is not based on what Shri Manoharan has said. If you had listened to my question completely this misunderstanding....

Mr. Speaker : His question is :

"क्या यह सच है कि आय कर विभाग अधिकारियों ने एक विख्यात ज्योतिषी के घर पर छापा मारा"

He replied "No". Now what the Enforcement had been doing and what happened, all these things do not follow.

Shri Kishen Pattnayak : If the answer be "No" even then the supplementary can arise.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, श्री हुकम चंद कछवाय। इस पर मैं और प्रश्न की अनुमति नहीं देता।

Shri Madhu Limaye : First you kindly listen me and then you may disallow it if you like. This raid was launched on that company and its concerned branches to unearth the unaccounted foreign exchange. The relatives of an astrologer were connected with this company. That astrologer is the friend of the Home Minister. I want to know whether the Home Minister did not exert pressure on the officials of Enforcement Branch through the Deputy Home Minister.

Mr. Speaker : You said that the raid was launched and the answer is that the raid was not launched.

Shri Madhu Limaye : The raid might have been launched by the Enforcement Branch.

Mr. Speaker : I disallow it.

Shri Madhu Limaye : The Enforcement Branch of the Finance Ministry raided on the houses of concerned persons...............

Mr. Speaker : Did the Enforcement Branch make a raid on the house of the astrologer?

Shri B. R. Bhagat : No, Sir.

Shri Madhu Limaye : May I know whether undue interference was made by the Home Ministry in the raids made in this regard?

Mr. Speaker : It is too general a question.

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या दिल्ली के एक विख्यात ज्योतिषी के घर छापा मारने की प्रवर्तन शाखा के कर्मचारियों की कोई योजना थी, और क्या इस छापे को रोकने के लिये कोई सरकारी अभिकरण ज़िम्मेदार थी ?

श्री ब० रा० भगत : उसके मकान पर छापा मारने की कोई योजना नहीं थी और इस लिये उसको रोकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री दाजी : क्या दिल्ली में चमन लाल नाम की किसी फर्म पर गत वर्ष के दौरान कोई छापा मारा गया था ?

श्री ब० रा० भगत : जी हां ।

Shri Kishen Pattnayak : Is it a fact that the Home Ministry interfered with the working of the Enforcement Branch in connection with these raids and asked them that it should be given out that Shri Chamanlal voluntarily declared his unaccounted money?

Shri B. R. Bhagat : I have no information in this regard.

Children's Education Allowance

\+
***181. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain Government employees are getting children's education allowance alongwith their salaries every month without producing any receipts whereas certain other Government employees get re-imbursement of the tuition fee three months after submission of the receipts for tuition fee; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri L. N. Mishra) : (a) The Educational Allowance is paid monthly at fixed rates. The Re-imbursement of tuition fees is made on a quarterly basis. These are two different schemes of assistance.

(b) Unlike the Children's Educational Allowance which is paid at fixed rates on the basis of certificates to be furnished by the Government servants twice a year, the scheme of re-imbursement of tuition fees provides for reimbursement

of fees actually paid only. This necessitates proper verification prior to payment. To avoid unnecessary work all round, re-imbursement is mde on a quarterly instead of a monthly basis.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं निवेदन करता हूं कि उत्तर अंग्रेजी में भी दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य साथ साथ किया जाने वाला अंग्रेजी अनुवाद सुन सकते थे ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : हम अनुवाद को समझ नहीं सके ।

श्री शिकरे : मैं इस मांग का समर्थन करता हूं क्यों कभी कभी हमारी मेजों पर लगे हैडफोन काम करना बन्द कर देते हैं । उदाहरणार्थ अभी मेरे सामने लगा हुआ हैडफोन काम नहीं कर रहा है । मैं उप-मंत्री महोदय की हिन्दी नहीं समझ सका हूं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether the assistance given for the education of the children of Class IV employees is the same, which is given for the education of the children of high officers or whether there is any difference?

Shri L. N. Mishra : There is a difference. Same amount of assistance is not given to children of the high officers. The children educational allowance is given to those, whose pay is less than Rs. 350 *i.e.* up to Rs. 349 and who have rendered at least three years of service at the rate of Rs. 10 per month for each child studying in primary classes and at the rate of Rs. 15 for each child studying in secondary or high school. The children educational allowance at a fixed rate is given to those Government servants, who are getting pay up to Rs. 600, twice a year, after furnishing a receipt by the officials concerned. The fee is reimbursed after every three months on obtaining a receipt under the scheme of reimbursement of tuition fees scheme.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : He has not stated about Class IV employees' children.

Shri L. N. Mishra : By saying primary, I mean first to fourth.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether it is a fact that there are Government employees whose children do not receive any such assistance and in case of death of a Government servant, whether the assistance admissible to the children of higher Government employees is not admissible to the children of lower Government employees?

Shri L. N. Mishra : There may be some such cases also. Certain conditions have to be fulfilled for eligibility to the assistance. He must have completed three years service and the salary should be below Rs. 350 or it may be up to Rs. 600. The persons getting more pay may not get any assistance and as they cease to be in Government service after death, no assistance may be given to their children.

Shri Bade : May I know whether it is a fact that no advance receipt is obtained from the teachers for the tuition fee or the scholarship given to their children, where as advance receipt is obtained from the lower employees for giving scholarship to their children and even then they do not get any money for a year or so? Have you or the State Ministers received such complaints?

Shri L. N. Mishra : So far as the educational allowance is concerned it is paid every month alongwith the pay *i.e.* in case of four children Rs. 40 are paid alongwith the pay and no receipt is required for that. They are required to furnish a certificate stating the class and age of their children after every six months. The maximum amount admissible for one person is Rs. 50 and there is no questions of higher officer or lower officer.

Shri Kashi Ram Gupta : The draw back with the present scheme is that only one or two children out of the total number of children of a low paid employee gets the allowance. Their children are unable to study in higher classes and their study remains confined only upto 8th class in the absence of this allowance. In view of the above facts, whether Government is considering to modify the scheme so that all children of a low paid employee may get the allowance?

Shri L. N. Mishra : There is no restriction on the number of children. Their number may be five or six, the assistance is given to all. The only restriction is that no single person can get more than Rs. 50.

Shri Kashi Ram Gupta : May I know whether this allowance is admissible upto 8th class students only or whether the allowance is also given to those studying in 9th or 10th class .

Shri L. N. Mishra : The allowance is admissible to the students of secondary or high schools.

Expenditure on Stationery

***182. Shri D. N. Tiwary :** Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that expenditure on stationery and other office equipment is rapidly rising; and

(b) if so, the steps taken or being taken to reduce it?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Urban Development (Shri Bhagwati) : (a) Expenditure on stationery is rising steadily alongwith the increased activities of Government. The office equipment other than stationery is purchased by Government offices on their own and the trend of expenditure is not known to my Ministry.

(b) The following economy measures have been taken :

(i) An economy cut of 15% was imposed on all indentors in 1958. This was increased to 20% in 1960. It was relaxed in the case of Defence indentors on the declaration of Emergency in 1962.

(ii) A departmental screening committee is functioning for screening printing of publications, periodicals, forms, etc. in order to save paper.

(iii) O. & M. officers in the various offices have been entrusted with the responsibility of enforcing economy instructions by periodical checks.

Shri D. N. Tiwary : I would like to know if Government are aware that the work of many offices is held up due to non-availability of stationery and immediate supply of stationery is not made to these offices even on receipts of their complaint, and if so the reasons therefor.

श्री भगवती : साधारणत: सभी मांगे पूरी कर दी जाती है। परन्तु कभी कभी कुछ कठिनाइयां हो जाती हैं। आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि वास्तव में कोई कमी नहीं है। परन्तु कागज़ की सप्लाई के बारे में कठिनाई है। इसलिये हम ने लेखन सामग्री सप्लाई करने की मात्रा में कुछ कटौती की है। वास्तव में लेखन सामग्री की व्यय तथा इस की प्रतिशत खपत में बहुत वृद्धि हुई है। इस से यह स्पष्ट है कि इस मंत्रालय ने अपेक्षित मात्रा में लेखन सामग्री की सप्लाई की है।

Shri D. N. Tiwary : May I know whether Government are thinking to decentralise the distribution of stationery, and if so, the reasons therefor?

श्री भगवती : जी हां, कागज़ तथा इस की सप्लाई तथा कम मूल्य की वस्तुओं के लिये बजट के विकेन्द्रीकरण के बारे में कुछ प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है।

श्री दी० चं० शर्मा : जब कि लेखन सामग्री की सप्लाई में 10-15 प्रतिशत की कटौती की गई है और यह एक सही कदम है, तो क्या कायभार में भी 15-20 प्रतिशत की कमी की गई है?

श्री भगवती : वास्तव में इस में बहुत वृद्धि हुई है। रेलवे तथा डाक तथा तार विभाग के यातायात में वद्धि हुई है। वास्तव में लगभग 200 नये कार्यालय प्रतिवर्ष खोले जाते हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या नये कार्यालय खोलने से कार्यभार में वृद्धि का संकेत मिलता है? इससे तो कार्य भार में कमी का संकेत मिलता है।

श्री भगवती : कार्य-भार में कोई कमी नहीं हुई है। परन्तु कुछ बचत की गई है। कागज़ की बचत करने के लिये प्रकाशनों, पत्रिकाओं तथा फार्मों की छपाई की जांच का कार्य एक जांच पड़ताल समिति कर रही है।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। लेखन-सामग्री की सप्लाई की जाने वाली मात्रामें 10-15 प्रतिशत की कमी की गई है। अत: कार्यभार कम हो गया है। फिर माननीय मंत्री कहते है कि हर वर्ष खोले जानेवाले कार्यालयों की संख्या 200 तक पहुच गई है। फिर वह कहत है कि बचत हुई है। इन सब बातों का अर्थ क्या है?

श्री भगवती : मितव्ययता कटौती के कारण हर कार्यालय में बचत हुई है। परन्तु हर वर्ष कार्याललों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अत: कुल खपत अधिक हो सकती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार ने कलकत्ता स्थित केन्द्रीय लेखन सामग्री कार्यालय को जिसके माध्यम से अब तक लेखन सामग्री तथा कार्यालय उपकरण मंगाने तथा खरीदने का कार्य किया जाता रहा है, कार्यों का विकेन्द्रीकरण करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है अथवा क्या वह इस बारे में कर्मचारियों द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, जिन से पता चलता है कि इस विकेन्द्रीकरण संबंधी प्रस्ताव की क्रियान्वति से खर्च कम होने की बजाये बढ़ेगा, अभी भी विचार कर रही है?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : जहां तक विकेन्द्रीकरण का प्रश्न है, वह निणय दो अथवा तीन वर्ष पू र्व किया गया था। हम उस निर्णय की क्रियान्वित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मद्रास तथा बंबई में हम नये कार्यालय खोल रहे है और दिल्ली के अपने कार्यालय का विस्तार कर रहे हैं। स्थिति यह है कि पिछले कुछ ही वर्षों में योजनाओं तथा विकास परियोजनाओं के कारण संचार मंत्रालय, प्रतिर ा तथा रेलवे और सभी ओर काम बढ़ने के कारण इन्डट कर्त्तों की संख्या कुछ सैकड़ों से बढ़ कर लगभग 7000 हो गई है। व्यय में 133 प्रतिशत तक की तीव्र बढ़ोतरी हुई है। इस लिये यह सोचा गया है कि हमें अपने कार्य का विकेन्द्रीकरण करने का प्रयत्न करना चाहिये ताकि हम अधिक कार्यकुशल हों सक और इन्डट कर्ताओं की मांग ी पूर्ति भी कर सकें।

मैं ने इन कर्मचारियों से कलकत्ता में एक सप्ताह अथवा 15 दिन पहले भेंट की थी तथा उन को बताया था कि जहां तक उन की सेवाओं के हितों का सम्बन्ध है, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उनके हितों की पूर्णत: रक्षा की जाय।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मेरा प्रश्न यह था कि क्या लेखन सामग्री तथा कार्यालय उपकरणों के इंडन्टों तथा खरीद पर, प्रस्तावित विकेन्द्रीकरण के अधीन अब तक किये गये विकेन्द्रीकरण से, वर्तमान केन्द्रीय पद्धति की अपेक्षा व्यय में वृद्धि हुई है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : मैं ऐसा नहीं समझता। हमारा यह करने का विचार है। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय एक नियमित निरीक्षण विभाग है। हमारा विचार उन्हें अधिक काम सौंपने का है। कुछ इंडैन्ट बहुत छोट होते हैं, जिन राशि केवल कुछ सैंकडों तक ही सीमित होती है। उन के बारे में हम मंत्रालयोंको स्वयं इन्डन्ट करने की मंजूरी दे रहे है। अतः मैं नहीं समझता की व्यय मे वद्धि होगी। इस से कार्यकुशलता बढ़ेगी तथा यह भी संभव है कि व्यय में कुछ कमी आये परन्तु मैं यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या कार्यालय उपकरण तथा लेखन सामग्री पर होने वाला व्यय तीसरी योजना के आरम्भ मे लगाये गये अनुमानों के अनुसार है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : मेरे मंत्रालय को बहुत से इन्डैन्ट कर्त्ता मंत्रालयों द्वारा इन्डैन्ट भेजे जाते हैं। मैं एक ऐसा सुत्र निकालने का प्रयत्न कर रहा हूं जिस से इन्डैन्ट भेजते समय अन्य मंत्रालय भी जिम्मेदारी महसूस करें, क्योंकि अब लेखन सामग्री का व्यय विभिन्न मंत्रालयों के व्यय के अधिन नहीं दिखाया जाता। अतः मैं मंत्रालयों को इस का जिम्मेदार बना रहा हूं। उन्हें अपने व्यय को स्वयं देखने दीजिए ताकि व्यय पर नियंत्रण किया जा सके। हमारे विचार इस दशा में कार्य करने का है।

चौथी योजना

+

*183. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री म० ला० द्विवदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री विभूति मिश्र :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हेम राज :
श्री दलजीत सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री मलाइ छामी :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री प्रकावीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिधान्ती :
श्री हेम बरुआ :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री शिवचरण गुप्त :
श्री सें० वें० रामस्वामी :
श्री बसुमतारी :
श्री किन्दर लाल :
श्री राम हरख यादव :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने चौथी योजना की रूप रेखा को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) संसद् के समक्ष अन्तिम प्रारूप कब रखा जायेगा।

(ग) यह पुनरीक्षित परिव्यय विदेशी सहायता की उपलब्धता, मात्रा तथा स्वरूप पर किस सीमा तक निर्भर है; और

(घ) योजना को आत्मनिर्भय बनाने के लिये आर्थिक ढांचे में महत्वपूर्ण कमी को पुरा करने के उद्देश्य से योजना अवधि के दौरान कितनी वास्तविक विदेशी सहायता का प्राप्त करना अत्यावश्यक समझा जा रहा है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क), (ख), (ग) और (घ) : एक विवरण सभा पटल तर प्रस्तुत है।

विवरण

(क), (ख) और (ग) : सामान्य स्थिति में, राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा व्यापक मार्गनिर्धारण स्वीकृत होने के तत्काल बाद, सितम्बर, 1965 में योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे की रूपरेखा तैयार करने का काम हाथ में ले लिया होता। परन्तु पाकिस्तान से लड़ाई छिड़ने तथा विदेशी सहायता के सम्बन्ध में अनिश्चितता होने के कारण, इस काम को शुरू करने में देरी हो गई। अतः 1966-67 की सालाना योजना तैयार करने के काम को प्राथमिकता दी गई, ताकि राज्यों तथा केन्द्रीय बजट के लिए यथासमय अंतिम रूप दिया जा सके। चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे की रूप रेखा तैयार करने का काम अब शुरू कर दिया गया है। यद्यपि इसे पूरा करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं, परन्तु अभी ठीक ठीक तिथि, जिसको यह संसद में प्रस्तुत कर दी जायेगी, बताना कठिन है। नवीनतम आर्थिक स्थिति के संदर्भ में, रक्षा, कृषि उत्पादन, आयात प्रतिस्थापना और निर्यात की उच्च प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा करने के लिए अपेक्षित समंजन को भी मसौदे की रूप रेखा में ध्यान में रखना होगा।

(घ) राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा सितम्बर, 1965 में स्वीकृत "चौथी पंचवर्षीय योजना-साधन, व्यय-व्यवस्था और कार्यक्रम" नामक दस्तावेज में, बताया गया था कि "चौथी योजना की तैयारी में वर्तमान धारणा यह है कि 4000 करोड़ रुपये की कुल विदेशी सहायता की एकीकृत राशि उपलब्ध हो सकेगी" 1350 करोड़ रुपये की व्याज की अदायगी और पूंजीगत अदायगी के लिए गुंजाइश रखने के बाद, कुल विदेशी सहायता की उपलब्धि का अनुमान, तब 2650 करोड़ रुपये के लगभग लगाया गया था। मसौदे की रूपरेखा अभी तैयार की जा रही है, अतः फिलहाल वर्तमान स्थिति में चौथी योजना की आवश्यकताओं के लिए कुल विदेशी सहायता का निश्चित अनुमान बताना सम्भव नहीं।

श्री क० ना० तिवारी : चूंकि योजना के अन्तिम प्रारुप को योजना आरम्भ होने के बाद ही अन्तिम रूप दिया जायेगा, क्या वर्ष 1966-67 की वार्षिक योजना में अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की गई है ?

श्री अशोक मेहता : हमने चौथी योजना के प्रथम वर्ष के लिये वार्षिक योजना बना ली है तथा इस में यह ध्यान रखा गया है कि वह विदेशी मुद्रा की उपलब्धी की संभावनाओं के अनुकुल हो और यह भी ध्यान रखा गया है कि इस से आत्मनिर्भरता सहित अन्य उद्देश्यों की भी, जो हमारे दिमाग में हैं, पूर्ति की जा सकेगी। जहां तक अगले चार सालों के लिये योजना का संबंध है, वह बनाई जा रही है।

श्री क० ना० तिवारी : आत्मनिर्भर अर्थ-व्यवस्था के लक्ष्य की दृष्टि से इसके विभिन्न क्षेत्रों के लिए अपेक्षित आवश्यक विदेशी मुद्रा की सहायता का क्षेत्रवार लगभग ब्यौरा क्या है ?

श्री अशोक मेहता : जैसा कि चौथी योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना–संसाधन, व्यय और कार्यक्रम, दो प्रकाशित पुस्तिकाओं के ज्ञापन में कहा गया है, चौथी योजना के दौरान 4000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी, इसमें 1350 करोड़ ऋण प्रभार इत्यादि के रूप में व्यय किया जायेगा, अवशेष राशि हमारी परियोजनाओं के लिये आवश्यक आयात तथा संधारण आयात इत्यादि के लिये आवश्यक भुगतान के रुप में व्यय की जायेगी।

श्री स० चं० सामन्त : विवरण से ज्ञात होता है कि 1350 करोड़ रुपये पूंजी तथा उसके व्याज के भुगतान पर लगेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि पूंजी के भुगतान पर कितने रुपयों तथा व्याज के भुगतान पर कितने रुपयों की आवश्यकता होगी ?

श्री अशोक मेहता : व्याज के भुगतान के लिये अधिक राशि की आवश्यकता होगी, जोकि लगभग 800 करोड़ रुपये होगी।

श्री प्र० चं० बरुआ : तीसरी योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि में अनुमानतः कितनी गिरावट हुई है और चौथी योजना में राष्ट्रीय आय की दर में कितनी वृद्धि की आशा की जाती है ?

श्री अशोक मेहता : जहां तक तीसरी योजना का संबंध है अन्तिम आंकड़े बताने कठिन हैं, क्योंकि अभी चौथी योजना का पांचवां वर्ष चल रहा है। चालू वर्ष में वृद्धि की दर में बहुत कमी होने के कारण यह अनुमान है कि वृद्धि की कुल दर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष के लगभग होगी। जहां तक चौथी योजना का संबंध है, उन अनुमानों के आधार पर जिन पर कि चौथी योजना बनाई जा रही है वृद्धि की दर लगभग 6.5 प्रतिशत प्रति वर्ष होने का अनुमान है।

Shri M. L. Dwivedi : The hon. Minister has stated that the National Development Council had viewed in September, 1965 that foreign exchange amounting to Rs. 4000 crores would be required, but the draft outline indicates that further funds would be required for defence, agricultural production, imports substitution and exports. May I know the amount of foreign exchange excluding the amount of Rs. 4000 crores which would be required in opinion the of the Planning Minister, and the measures likely to be taken to get that amount ?

Shri Asoka Mehta : Our attempt is that our foreign exchange requirements should not exceed Rs. 4000 crores. That is why we have appointed various technical study groups and they are doing various types of works so that exports may be increased and imports may be decreased. We are utilising the services of technicians, scientists and engineers so far possible for the purpose. The main reason why the outline has been delayed is that inspite of the fact that our requirements have increased, we are trying to see that our dependence on foreign exchange should not increase.

Dr. Ram Manohar Lohia : In view of the fact that the foreign assistance to India as compared to Pakistan is much less i.e. Re. 1 per head as against Rs. 250 per head for Pakistan, whether the Planning Commission has considered ceiling on the personal expenditure, for instance Rs. 1000 per head per month at the maximum and whether assessment has been made of the total savings that would be effected as a result of the impositions of the above ceiling ?

Shri Asoka Mehta : The ceiling on income does not solve the foreign exchange problem. It *will* definitely have an inpact on rupee resources.

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, my question is entirely limited. I have asked whether any assessment has been made of the savings that would be effected as a result of the imposition of the above ceiling ?

Shri Asoka Mehta : I have informed you that our outline has not yet been finalised. So I am not in a position to tell you our calculations on every item at the present moment.

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government's attention has been drawn to the fact that unemployment and starvation have increased during the last three five year plans and Government have failed to check the growth of increasing population and whether keeping in view the above problems Government have tried to make this plan a national plan and not a party plan ?

Shri Asoka Mehta : Every attempt is being made to make this plan free from the flews and defects that had been present in the previous plans. It is being attempted that every plan should be national plan. The Prime Minister has now constituted a Committee consisting of members of various political parties and it is hoped we would be benefited by their opinion.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

श्री प्र० चं० बरुआ : महोदय, अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति, अल्प सूचना प्रश्न ।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

Question Hour Over.

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTIONS

गंग नहर

1. **श्री कर्णी सिंहजी : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अब कई महीनों से गंग नहर के लिये 500 से 700 क्यूसेक जल दिया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रत्येक रजवहें में बारी बारी से हर महीने केवल आठ दिन जल दिया जाता है ; और

(ग) इस स्थिति के कब तक जारी रहने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० क० ला० राव) : (क) शरद ऋतु में वर्षा के अभाव के परिणामस्वरुप इस वर्ष नदियों में पानी में असाधारण कमी के कारण गंग नहर को कम पानी मिला।

(ख) वास्तविक उपलब्ध पानी के बराबर विभाजन के लिये रबी में उप-शाखाओ को बारी बारी से चलाना आवश्यक है।

(ग) फरवरी, 1966 के मध्य में हुए वर्षापात के पश्चात् स्थिति में कुछ सुधार हो गया है।

श्री कर्णी सिंहजी : क्या यह सच है कि उत्तरी राजस्थान में गंग नहर के 18 रजवाहों को 22 से 27 दिन तक पानी नहीं दिया गया और यह एक एसी बात है जो पिछले 35 वर्षों में कमी नहीं हुई थी।

डा० क० ला० राव : जी हां, इस वर्ष ऐसा हुआ है ।

श्री कर्णी सिंहजी : क्या यह सच है कि पिछले वर्ष रबी के मौसम में 3,17,000 एकड़ भूमि पर सिंचाई की गई थी, जबकि चालू रबी के मौसम में केवल 1,90,000 एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकी है और वर्तमान खाद्यान्न की कमी को देखते हुये यह पूर्णतः असंतोषजनक है ? इस थोड़ी भूमिपर भी खड़ी फसलों को पकने के लिये अनुमानतः 63,000 क्यूसेक जल की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कि यह जल 10 अप्रैल से पहले पहले दिया जाय क्या कार्यवाही कर रही है ?

डा० क० ला० राव : यह बिलकुल सच है कि इस वर्ष केवल 1.91 लाख एकड़ भूमि में बीज बोया जा सका है, जबकि पिछले वर्ष 3.1 लाख एकड़ भूमि बोई गई थी और यह आवश्यक है कि फसलों के पकने के समय में जोकि 12 फरवरी से मार्च के अन्ततक होता है फसलों के पकने के लिए नहर में कम से कम 750 क्यूसेक का बाहव हो। पंजाब तथा राजस्थान के मंत्रियों की सहायता से हम यह प्रयत्न करेंगे कि यह 750 क्यूसेक का बहाव जारी रखा जाय ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच नहीं है कि रजबाहों में केवल पांच से आठ दिन के लिये बारी बारी पानी दिया जाता है और अगली बारी 30 से 36 दिन बाद आती है और इस से किसानों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

डा० क० ला० राव : हम इस बात का अनुभव करते है, परन्तु सप्लाई कम होने के कारण हमें यह व्यवस्था लागू करनी पड़ी क्योंकि इस वर्ष स्थिति बहुत गंभीर है। सामान्यता एक मास में 12 दिन पानी दिया जायेगा परन्तु इस वर्षा एक महीने में केवल 8 दिन पानी दिया जा रहा है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार का कोई ऐसी दीर्घकालीन योजना बनाने का विचार है जिसके परिणाम स्वरुप गंग नहर में पानी की यह भारी कमी फिर न हो ?

डा० क० ला० राव : सिंधु जल संधि 1970 से लागू हो जायेगी, इस के बाद इस पर विचार किया जायेगा। तब तक हमें प्रतिक्षा करनी होगी।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को ज्ञात है कि खड़ी खेती में से आधी को बचाने के लिये भी आगे आने वाले 24 दिनों में 750 क्यूसेक जल की दैनिक आवश्यकता है। यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में स्थिति को सुधारने के लिये कोई अविलम्ब कार्यवाही कर रही है ?

डा० क० ला० राव : मैं प्रश्न नहीं समझ सका। हमें कम से कम 750 क्यूसेक की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह गंग नहर के बारे में है तथा आम सवाल है ?

श्री हेम बरुआ : मैं प्रश्न को पुनः दौहरा देता हूं। क्या सरकार को ज्ञात है कि खड़ी खेती में से आधी को बचाने के लिये भी आगे आने वाले 24 दिनों में 750 क्यूसेक जल की दैनिक आवश्यकता है। यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में स्थिति को सुधारने के लिये कोई अविलम्ब कार्यवाही कर रही है ?

डा० क० ला० राव : मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिये कि खड़ी फसल अच्छी प्रकार से पक सके, हमें हैड पर 750 क्यूसेक की आवश्यकता है और यह भी मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि हम इस बारे में मैं पंजाब और राजस्थान के संबंधित मंत्रियों

से विचार विमर्श करूंगा तथा यह जानने का प्रयत्न करूंगा कि वे कितना पानी दे सकते है ताकि पानी की सप्लाई को जारी रखना सुनिश्चित किया जा सके।

Shri Rameshwaranand : It appears that sufficient water is not released in the Jamuna Canal. This results in the loss of crops in Punjab. May I know the steps taken by Government to stop this practice, which is usually done with the connivance of the contractors with the authorities ?

डा० क० ला० राव : इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह मुझे एक लिखित विवरण दें। मैं इस मामले पर विचार करूंगा।

Shri Bagri : There is shortage of water in Gang Canal and other canals also and famine conditions are prevailing in the Country. May I know whether Government propose to save water in the rivers by effecting a reduction in the water supply being released for drinking purposes and supplement the same by supplying drinking water from tube wells, so that the water thus saved may be diverted in the canals far agricultural purposes in Rajasthan and Punjab. The supply of water in Rajasthan and Punjab can also be increased by supplying a little less water than the present 50% to Pakistan.

श्री क० ला० राव : मैं माननीय सदस्य का यह सुझाव स्वीकार करता हूं कि हमें जहां तक हो सके पानी बचाना चाहिये, परन्तु हम सन्धि की शर्त भंग नहीं कर सकते। हमें सन्धि को पूरा करना होगा।

श्री काशीराम गुप्त : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि किसानों को समय रहते पानी की इस अचानक कटौती के बारे में नहीं बताया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने फसल तो बोदी परन्तु उनकी फसल को पानी नहीं मिल सका ?

डा० क० ला० राव : मूझे इसकी जानकारी नहीं है फिर भी यह राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है, उन्हें ऐसा करना चाहिये था।

श्री नाथ पाई : क्या मंत्री महोदय का ध्यान उन शिकायतों की ओर दिलाया गया है जिन में कहा गया है कि पानी की अत्याधिक आवश्यकता फसलों के पकने के समय होती है, जो 10 फरवरी के लगभग आरम्भ होता है और इसी अवधि में किसानों को दिये जाने वाले पानी को रोक लिया जाता है ?

डा० क० ला० राव : फसलों के पकने के समय जब पानी की अत्याधिक आवश्यकता होती है, तब ऐसा कोई नहीं करेगा, जब तक कि नहरों में पानी बिल्कुल ही उपलब्ध न हो, हम पानी उपलब्ध करने का हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या नहरों में पानी योजना के अनुसार नियमित रूप से इस प्रकार छोड़ा जाता है कि वह रबी और खरीफ की फसलों के ठीक पकने के समय खेतों में पहुंच सकें ?

डा० क० ला० राव : पानी पूर्वनिर्धारित योजना के अनुसार ही छोड़ा जाता है। दुर्भाग्य से इस वर्ष नदियों में पानी का बहाव 50% और कहीं कहीं इस से भी अधिक कम हो गया है। अतः इस कारण यह कठिनाई उत्पन्न हो गई है।

प्रश्न के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWEES TO QUESTIONS

कर ढांचे को यक्तियुक्त बनाना

*184. श्री प्र० चं० बरुआ : श्री सुबोध हंसदा :

श्री म० ला० द्विवेदी : श्री स० चं० सामन्त :

श्री भागवत झा आजाद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष कर मंत्रणा समिति ने कर ढांचे को युक्तियुक्त बनाने के सम्बन्ध में कोई सुझाव दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके सुझाव क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : विभिन्न सुझाव दिये गये हैं और उनमें से अधिक महत्वपूर्ण सुझाव, जो हाल की बैठकों में दिये गये थें, तथा उन पर किये गये निर्णय सदन की मेज पर रखे गये विवरण-पत्र में, संक्षेप में दे दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया दखिये। एल टी 5565/66।**]

नर्मदा नदी परियोजना के सम्बन्ध में खोसला समितिका प्रतिवेदन

*185. श्री स० चं० सामन्त : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री सुबोध हंसदा : श्री राम सहाय पाण्डेय :

श्री प्र० चं० बरूआ : श्री रवीन्द्र वर्मा :

श्री म० ला० द्विवेदी : श्री राजेश्वर पटेल :

श्री भागवत झा आजाद : श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री दाजी : श्री धुलेश्वर मीना :

श्री जसवन्त मेहता : श्री हरि विष्णु कामत :

श्री श्रीनारायण दास : श्री मानसिंह पृ० पटेल :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा नदी परियोजना के सम्बन्ध में खोसला समिति की सिफारिशों तथा सुझावों पर राज्य सरकारों के विचार प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं; और

(ग) समिति की सिफारिशों पर सरकार ने अन्तिम रूप से क्या निर्णय किये है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फकरुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) : राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश सरकारों के विचार प्राप्त हो चुके है; महाराष्ट्र के विचारों की अब भी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उटता ।

Rajasthan Canal Project

*186. **Shri Bhagwat Jha Azad :**
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri P. C. Borooah :
Shri Hem Raj :
Shri Karni Singhji :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Madu Limaye :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Ramachandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to take the direct responsibility for the implementation of the Rajasthan Canal Project ;

(b) whether the draft Bill on the subject has been finalised ; and

(c) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat) : (a) A proposal for the assumption of greater responsibility by the Central Government for financing and implementing the Rajasthan Canal Project, and for the establishment of an autonomous authority for the purpose, is under consideration.

(b) A suggested bill in draft was forwarded by the State Government on 5-12-65. This draft is under consideration in consultation with the State Government and the Ministries concerned at the Centre.

(c) The draft bill is still being examined and discussed and the main features have not been settled yet.

सिंचाई परियोजनाएँ

*187. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री 4 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न सं० 58 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के बारे में कुछ विशेष परियोजनाओं पर अधिक जोर देने के प्रश्न पर अब विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फकरुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) : इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है ।

C.G.H.S. Dispensaries in Delhi

*188. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Bagri :
Shri Yashpal Singh :
Shri Vishram Prasad :
Shri Utiya :
Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the conditions in the hospitals in Delhi especially in C.G.H.S. dispensaries, are deteriorating every day ;

(b) whether it is also a fact that shortage of doctors and medicines is being experienced therein ; and

(c) if so, the measures being taken by Government to improve the conditions thereof ?

The Minister for Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) and (b). No, Sir.

(c) Does not arise.

गांवों से सोने की वसूली

*189. **श्री नारायण रेड्डी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिंमतसिंहका :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री लाटन चौधरी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गावों से स्वर्ण बांडों के लिये दिये गये सोने की वसूली के सम्बन्ध में किसी योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसे कब कार्यान्वित किया जायेगा और राज्य सरकारों से किस प्रकार की सहायता ली जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री सचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : भारतीय राज्य बैंक और उसके सहायक बैंकों की कई शाखाएं, विशेषत: अर्ध-शहरी और देहाती इलाकों में, स्वर्ण-बांडों के लिए सोना इकठ्ठा करने के लिए चलती फिरती गाड़ियां (मोबाइल वैन) चला रही हैं। राज्य सरकारें, इन गाड़ियों की ओर इनके साथ दौरे पर जाने के लिए सशस्त्र रक्षकों की व्यवस्था करती है। वे इन के दौरों के संबन्ध में पर्याप्त प्रचार करती हैं और पूर्व सूचना देती हैं, ताकि लोग स्वर्ण बांड योजना में पर्याप्त रूप से हिस्सा लें।

अचल शहरी सम्पत्ति पर कर

*190. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बाल्मीकी :
श्री बागडी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **योजना** मंत्री 9 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 746 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अचल सम्पत्ति पर कर लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है और उस प्रतिक्रिया का ब्योरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श के दौरान राज्य सरकारों ने 1966-67 की योजना के लिए, शहरी अचल सम्पत्ति कर में परिवर्तन करके अथवा ऐसे कर लगा कर जिन्हें राज्य सरकार अभी नहीं लगा रही है, द्वारा अतिरिक्त साधन जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करना स्वीकार किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पहले से लगाये गये शहरी अचल सम्पत्ति कर में कई परिवर्तन कर दिए हैं तथा गुजरात सरकार ने शहरी क्षेत्रों में भूमि तथा भवनों पर, शिक्षा शुल्क में बढोतरी कर दी है। बिहार सरकार ने भी कृष्येतर शहरी भूमि पर कर लगाने के लिए राज्य विधान सभा में एक विधेयक प्रस्तुत कर दिया है। इनके अलावा, मैसूर सरकार ने शहरी भूमि पर कर लगाने के लिये हाल ही में राज्य विधान सभा में एक विधेयक प्रस्तुत कर दिया है तथा केरल सरकार इस विषय पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। अन्य राज्यों के सम्बध में अभी सूचना उपलब्ध नहीं है।

भूमि सुधार कानून

***191. श्री लिंग रेड्डी :**
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री वारियर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :
श्री गोपाल दत्त मैंगी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री ओंकार लाल बेरवा:
श्री लाटन चौधरी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **योजना** मंत्री 18 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 309 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कतिपय राज्यों में भूमि सुधार कानून लागू करने के संबंध में और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) राज्यों में भूमि सुधार कानून लागू करने के मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में योजना आयोग ने राज्यों को क्या सुझाव दिये हैं ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5566/66।]**

पर्वतीय क्षेत्रों का विकास

***192. श्री हेमराज :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **योजना** मंत्री 25 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 448 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में योजना आयोग की कर्णधार (स्टीयरिंग) समिति द्वारा इस बीच क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी क्या सिफारिशें हैं; और

(घ) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (घ) : कर्णधार (स्टीयरिंग) समिति ने कार्यकारी दलों के प्रतिवेदनों की जांच अभी पूरी नहीं की है। ग्रोमोद्योग एवं लघु उद्योग और परिवहन सम्बन्धी दो कार्यकारी दलों के प्रतिवेदन कर्णधार (स्टीयरिंग) समिति को अभी प्राप्त नहीं हुए है।

Repayment of Central Loans by States

***193. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether State Governments have sought further concessions in the repayment of Central loans ; and

(b) if so, the reaction of Government thereon ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) & (b). Requests are received from time to time from some of the State Governments for the modification of the terms and conditions of certain loans. Such requests are considered on the merits of each case.

भू-राजस्व

***194. श्री किशन पटनायक :**
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्य साधनों को एकत्रित करने के लिए 1966-67 में भू-राजस्व तथा सिंचाई दरों में वृद्धि करने के सम्बन्ध में सहमत नहीं हुए हैं;

(ख) उन राज्यों ने क्या कारण बताएं हैं ; और

(ग) साधनों में कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में इन राज्यों द्वारा क्या उपाय काम में लाये जा रहे हैं ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) योजना आयोग से विचार विनिमय के दौरान आन्ध्र प्रदेश तथा असम सरकारों ने, भू-राजस्व या सिंचाई दरों में वृद्धि करने के लिए कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं रखे हैं।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जो कारण बताये हैं वे निम्न प्रकार हैं —

(1) 1962–63 में भू-राजस्व की दरें काफी बढ़ाई गई। इसके अलावा, गन्ना क्षेत्र की दरें 1965-66 में और बढ़ाई गई;

(2) आन्ध्र प्रदेश में भू-राजस्व की दरें पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा सामान्यतया काफी ज्यादा हैं;

(3) सिंचाई दरों से सम्बन्धित कानून हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया जा चुका है; और

(4) चालू वर्ष में खराब मौसम के कारण राज्य की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ा है। जहां तक असम का संबंध है, राज्य सरकार ने 1966-67 की राज्य योजना के लिए अतिरिक्त साधनों को जुटाने के एक भाग के रूप में जिन कानूनों को बनाया है, उन्हें अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) प्रेस रिपोर्ट के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपने 1966-67 के बजट में किसी भी अतिरिक्त कराधान कानून की घोषणा नही की है। सूचना मिली है कि राज्य सरकार व्यय में कटौती करना चाहती है, राजस्व संग्रह में सुधार करना चाहती है और प्रतिभूतियों के संचित निधि से धन लेना चाहती है। असम की स्थिति का ज्ञान तब हो सकेगा जब राज्य विधान सभा को राज्य का 1966-67 का बजट प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतें

*195. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री मुरली मनोहर :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1965 और जनवरी, 1966 के दौरान सभी अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं :

(ख) क्या सरकार द्वारा सभी कार्यवाही किये जाने के बावजूद भी मूल्य प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो मूल्यों को रोकने के सम्बन्ध में आगे और क्या कार्यवाही की जायगी?

वित्त मंत्री (श्री सचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य दिसम्बर, 1965 और जनवरी, 1966 में कुल मिला कर स्थिर रहे हालांकि उससे पहले के महिनों में उनमें कुछ वृद्धि हो गयी थी।

(ग) कृषि-उत्पादन में हुई काफी कमी को देखते हुए, मूल्य-वृद्धि को रोकने के उपायों में, आयात द्वारा पूर्ति (सप्लाई) में जहां तक हो सके, वृद्धि करना, वितरण का विनियमन करना और राजस्व तथा मुद्रा सम्बन्धी नीतियों द्वारा मांग पर लगातार नियंत्रण रखना आदि शामिल करना आवश्यक होगा।

उत्तर प्रदेश को अनुदान देने के सम्बन्ध में वित्त आयोग की सिफारिश

*196. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौथे वित्त आयोग ने उत्तर प्रदेश को कम सहायक अनुदान देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने उसका विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) चौथे वित्त आयोग ने उत्तर प्रदेश को कोई सहायक अनुदान देने की सिफारिश नहीं की थी, क्योंकि राज्य सरकार की राजस्व खाते की सारी कमी, केन्द्रीय करों और शुल्कों में से उसे मिलने वाले हिस्से से न केवल पूरी हो जाती थी, बल्कि कुछ रकम बच रहती थी। लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारियों के वतनमानों और भत्तों में वृद्धि किये जाने के कारण राज्य सरकार पर पड़ने वाले खर्च के अतिरिक्त बोझ के सम्बन्ध में सरकार ने, वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जांच करायी थी और उस के परिणामस्वरुप राज्य सरकार को 1966-67 से सहायक अनुदान के रूप में 9.85 करोड़ रुपया मिलने लगेगा।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

Vitamins

*197. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Health Minister in her speech delivered on the 24th December, 1965 at Lucknow stated that the cause of children's diseases in India as lack of Nutritious food ;

(b) whether it is also a fact that Government is formulating a scheme to prepare cheap vitamins from radish and carrot and make them available for poor children ; and

(c) if so, the broad outlines of the scheme ?

The Minister for Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) Lack of nutritious food is no doubt one of the causes of ill health among children in India, but no such speech was made by me on December 24th.

(b) and (c). No, Sir. Advice regarding nutrition and the value of eating raw carrots and other Vegetables and fruits as a source of supply of Vitamins is given by different agencies.

उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री का करदायित्व

*198. **श्री विश्राम प्रसाद :**

श्री हरि विष्णु कामत :

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या वित्त मन्त्री 11 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 175 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री बीजू पटनायक द्वारा देय कर के बारे में जांच इस बीच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) पूछताछ अभी भी की जा रही है ।

(ख) और (ग) : सरकार वैसी ही कार्यवाही करने का विचार रखती है जैसी पूछताछ के परिणाम से जरूरी और न्यायोचित होगी।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा धन-प्रेषण योजना

***199. श्री दे० द० पुरी :**

श्री शिव चरण गुप्त :

श्री कर्णीसिंहजी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में रहने वाले भारतीयों के भारतीय प्रतिरक्षा धन-प्रेषण योजना में सहयोग से सन्तुष्ट है;

(ख) यदि नहीं, तो इस योजना में फिर से दिलचस्पी पैदा कराने तथा उपबन्ध को अधिक उदार बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा अब तक कितनी धनराशि भेजी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) 22 फरवरी 1966 तक 18.58 करोड़ रुपये।

एकसम बिजली-दरें

***200. श्री मा० ल० जाधव :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों तथा कृषि के लिये समुचे देश में एकसम बिजली दरें लागू करने के बारे में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां। किन्तु, चूंकि यह महसूस किया गया था कि समस्त देश के कृषि सम्बन्धी उपभोक्ताओं से 12 पैसे प्रति यूनिट से अधिक दर न ली जाये, यह फैसला किया गया है कि कृषि सम्बन्धी उद्देश्यों के लिये 12 पैसे प्रति यूनिट से अधिक की दर में उपदान दिया जाये जिसको केन्द्रीय तथा सम्बद्ध राज्य सरकारों में 50:50 के अनुपात पर बांटा जायगा।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान को निर्यात किये गये कोयले की बिक्री से आय

***201. श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वित्त** मंत्री तह बताने की कृपा करेंग कि पाकिस्तान को निर्यात किये गय कोयले की बिक्री से हुई आय को, जिसका पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने विगत संघर्ष के दौरान भुगतान करना बन्द कर दिया था, वसूल करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : भारत से पाकिस्तान भेजे गये कोयले के सम्बध में अदायगी पाकिस्तान के राष्ट्रीय बैंक द्वारा उसकी कलकत्ता स्थित शाखा की मार्फत की जानी थी। सितम्बर 1965 में इस बक को अदायगी स्थगित करने की अनुमति दी गयी थी। भारत में इस बैंक की परिसम्पत्ति इतनी काफी नहीं है कि वह अपनी सभी देनदारियों को, जिनमें कोयला भेजने वालों को उनके नाम खोले गये साख-पत्रों (लेटर्स आफ क्रेडिट) के अनुसार की जाने वाली अदायगी भी शामिल है, पूरा कर सके। इस बक के भविष्य के बारे में अन्तिम फैसला होने तक इसे अन्तरिम रूप से यथाअनुपात (प्रोराटा) अदायगी करने की मंजरी देने के सवाल पर विचार किया जा रहा है ।

विदेशों से सहायता

*202. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भतपूर्व वित मंत्री ने (दिसम्बर, 1965) में भारत की यात्रा करने वाले अमरीकी संसद् सदस्यों को यह कहा था कि विदेशी सहायता पर भारत को निर्भरता 1970-71 तक समाप्त हो जायेगी या बहुत हद तक कम हो जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सफलता प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) भूतपूर्व वित्त मंत्री ने भारत की यात्रा पर आये अमरीकी सीनेट के सदस्यों को यह बताया था कि भारत की विकास-आयोजनाओं का उद्देश्य, आत्मनिर्भरतापूर्ण विकास करना है। उन्होंने यह भी कहा था कि **चौथी आयोजना** कि अवधि अन्त तक या पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना की अवधि के मध्य तक, विदेशी सहायता पर भारत की निर्भरता के काफी कम हो जाने की सम्भावना है।

(ख) इस उद्देश्य की पूर्ति के उपाय पंचवर्षीय आयोजनाओं में निहित हैं। आशा है कि राष्ट्रीय आय के स्तर ऊंचे होने से और बचायी जाने वाली आय के अनुपात को बढाने के लिए किये जाने वाले उपायों से आन्तरिक बचतों में वृद्धि होने, और बाहर से मंगायी जाने वाली चीजों का देश में बनाना बढ़ जाने से, विदेशी सहायता पर हमारी निर्भरता कम हो जायगी ।

विदेशी ऋण

*203. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : **श्री हुकम चन्द कछवाय** :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले दो वर्षों में भारत पर विभिन्न विदेशी ऋणों की अदायगी तथा उससे सम्बन्धित व्यय की कुल कितनी राशि देने का दायित्व होगा; और

(ख) इस दायित्व को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। दखिये संख्या एल० टी० 5567/66।]**

आयातित दवाइयां

*204. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री क० ना० तिवारी :

श्री विभूति मिश्र :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कम से कम पांच प्रतिशत आयातित दवाइयां निर्दिष्ट स्तर से नीचे की हैं और उतनी कारगर भी नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो आयातित दवाइयों के गुण की जांच करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) पिछले तीन वर्षों में जांच किये गये नमूनों से पता चला है कि आयात की हुई लगभग पांच प्रतिशत दवाइयां निर्दिष्ट मानक से नीचे की हैं ।

(ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5568/66 ।**]

परिवार नियोजन कार्यक्रम

*205. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री म० ला० द्विवेदी :

श्री भागवत झा आजाद :

श्री स० चं० सामन्त :

श्री सुबोध हंसदा :

श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

श्री विभूति मिश्र :

श्री क० ना० तिवारी :

श्री बड़े :

श्री यशपाल सिंह :

श्री हेम बरुआ :

श्री दी० चं० शर्मा :

श्री मा० ल० जाधव :

श्री राम सेवक यादव :

श्री बागड़ी :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या हाल में परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में इस आन्दोलन में अब तक कितनी सफलता मिली; और

(ग) इस सम्बन्ध में और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम में हुई प्रगति के बारे में भारत सरकार द्वारा नियुक्त मूल्यांकन दलों से प्राप्त रिपोर्टों पर परिवार नियोजन कार्यक्रम मूल्यांकन एवं आयोजन समिति विचार कर रही है। उस समिति की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। परिवार नियोजन कार्यक्रम की अब तक की सफलता तथा इस दिशा में उठाये जाने वाले कदमों का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5568/66 ।**]

3—24 Lok Sabha/66

Delhi Hospitals

***206. Dr. Ram Manohar Lohia : Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bagri : Shri Bade :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints that sub-standard medicines or whose expiry date was over, are being supplied to the patients in Delhi hospitals ;

(b) whether Government have held any enquiry in this regard ; and

(c) if so, the findings thereof ?

The Minister for Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a), (b) and (c). No complaint has been received. However, during the course of the audit of the Irwin Hospital the Audit party had observed the use of some sub-standard drugs and two items of medicine after their date of expiry. These instances were brought to the notice of the Public Accounts Committee and the matter was thoroughly examined. Strict instructions have since been issued to avoid a repetition of this. No other enquiry was considered necessary.

दिल्ली में बिजली की दर

***207. श्री भागवत झा आजाद : श्री यशपाल सिंह :**
श्री म० ला० द्विवेदी : श्री बागड़ी :
श्री स० चं० सामन्त : श्री किशन पटनायक :
श्री सुबोध हंसदा : डा० राम मनोहर लोहिया :
श्रीमती सावित्री निगम : श्री राम सेवक यादव :
श्री प्र० चं० बरुआ : श्री विभूति मिश्र :
श्री रामेश्वर टांटिया : श्री क० ना० तिवारी :
श्री हिम्मतसिंहका : श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री लाटन चौधरी: श्री बड़े :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम घरेलू बिजली कि दर बढ़ाने के बारे में सोच रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने संभावित वृद्धि के विरुद्ध असंतोष के बारे में मूल्यांकन किया है?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं। इस समय टैरिफ दरों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

बृहत्तर कोचीन जल सम्भरण योजना

791. श्री अ० क० गोपालन : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने केन्द्र से बृहत्तर कोचीन जल संभरण योजना को केन्द्र द्वारा वित्तपोषित योजना करार देने के लिय केन्द्र से प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) 1966-67 में इस योजना के लिये राज्य योजना में क्या प्रबन्ध किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) चूंकि चौथी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं सप्लाई कार्यक्रम (नगर) के लिये व्यवस्था राज्य सेक्टर में की गई है अतः इस विशेष योजना को केन्द्र समर्थित मान लेना संभव नहीं है।

(ग) स्वास्थ्य के कार्यकारी वर्ग ने जिसने केरल राज्य की 1966–67 की वार्षिक योजना पर विचार किया था केरल में अन्य नगर जल पूर्ति योजनाओं के लिए की जाने वाली 65 लाख रुपये की व्यवस्था के अतिरिक्त इस योजना के लिए 75 लाख रुपये की विशेष व्यवस्था करने की सिफारिश की थी। किन्तु राज्य सरकार ने अपनी समस्त जल पूर्ति एवं नाली योजनाओं के लिए केवल 57 लाख रुपयों की व्यवस्था की है।

केरल में समुद्र से भूमि कटाव को रोकने का कार्य

792. श्री अ० क० गोपालन : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में समुद्र से भूमि कटाव को रोकने के कार्यक्रम के लिये धन देना स्वीकार कर दिया है ;

(ख) यदि हां तो 1966-67 में योजना की क्रियान्विति के लिये केन्द्रीय सरकार ने कुल कितना धन नियत किया;

(ग) दिसम्बर 1965 में हाल के तूफान के परिणामस्वरूप समुद्र से भूमि के कटाव का कितने नये क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा; और

(घ) केरल में समुद्र से भूमि कटाव को रोकने के कार्यक्रम के लिये अनुमानतः कुल कितनी रकम की आवश्यकता है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) यह निर्णय किया गया है कि केरल में समुद्र कटाव रोध कार्यक्रम को चौथी योजना में केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के रूप में माना जाए।

(ख) 1966-67 के लिये 75 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

(ग) दिसम्बर 1965 में आए बवंडर के कारण केरल में समुद्र कटाव से प्रभावित क्षेत्र यह हैं—त्रिवेंद्रम जिला में वैरकला, क्विलान जिले में चवरा और कोयलयेट्टम, अल्लेप्पी जिला में थोट्टापल्ली और पुराकड, अर्नाकुलम जिला में वाइपीन और चेल्लानम, कन्नानोर जिला में मट्टूल, थलाई, धर्मोडोम, चालिल, गोपाल पेट्टाह, अझीकल और पय्यमबलम, कोजिकोडे जिला में क्विलेंडी बीच, वेरियामंगड, तनूर, मडापिल्ली और कोल्लम बीच।

(घ) राज्य सरकार का अनुमान है कि तट सुरक्षा कार्य के औसतन एक मील पर, अमरीकी विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर, 20 से 25 लाख रुपये व्यय होंगे। इस आधार पर, कटाव से प्रभावित हो सकने वाली समस्त तट रेखा के संरक्षण की कुल लागत लगभग 40 से 50 करोड़ रुपये होगी।

त्रिचूर में बिजली समस्या

793. श्री अ० क० गोपालन : क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि सीताराम मिल्स, त्रिचूर के प्रबन्धक त्रिचूर म्युनिसिपल इंजीनियरिंग प्राधिकारियों को ट्रांसफोरमंर तथा जनरेटर उधार देने के लिये राजी हो गये हैं ;

(ख) क्या म्युनिसिपल इंजीनियरिंग प्राधिकारियों ने इस ट्रांसफोर्मर तथा जनरेटर का उपयोग करने के लिये बिजली बोर्ड से अनुमति मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ी प्रतिक्रिया क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) सीथाराम मिल, त्रिचूर के प्रबन्धकों ने त्रिचूर के नगर अधिकारियों को 500 के० वी० ए० का एक उत्पादन सेट उ ार के रूप में देने की पेशकश की थी।

(ख) नगर अधिकारियों ने बिजली उत्पादन के लिये इस उत्पादन सेट को प्रयोग में लाने के लिये राज्य सरकार की स्वीकृति मांगी। राज्य सरकार ने अपनी बारी में बिजली बोर्ड के अधिकारियों से तकनीकी सलाह मांगी।

(ग) बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने इस स्कीम के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के पश्चात् इसको बिल्कुल अभिव्ययी और अनुपयुक्त समझा तथा राज्य सरकार को सलाह दी की वे उस पेशकश को स्वीकार न करें। राज्य सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया।

पंजाब में नलकूप

794. श्री हेमराज :

श्री दलजीत सिंह :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में पंजाब में खेती के लिये कितने नलकूपों के लिये बिजली मंजूर की गई थी ; और

(ख) अब तक कितने नलकूपों के लिये बिजली दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) राज्य बिजली बोर्ड ने 1965-66 के दौरान 11,000 नलकूपों को बिजली देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्वीकृत नलकूपों की सही संख्या के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) 1-4-65 से 31-12-65 तक 7,236 कनक्शनों को ऊर्जित किया गया है।

भूमि सुधार

795. श्री कोल्ला वेंकैय्या :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-कार्य मंत्री की अध्यक्षता में भूमि सुधारों की क्रियान्विति सम्बन्धि उच्च-स्तरीय समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या इस प्रतिवेदन तथा उसके बारे में किये गये निर्णयों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(घ) उक्त समिति को जांच-पड़ताल करने तथा प्रतिवेदन तैयार करने में कितना समय लगा ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (घ) : भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू करने में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उनके बारे में समिति मुख्य मंत्रियों से विचार विनिमय कर रही है। यह सब विचार विनिमय अनौपचारिक है।

समिति ने कार्यान्वयन की समस्याओं का सामान्य पर्यवेक्षण किया और कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिये सुझाव दिए। ये सुझाव लोक सभा प्रश्न संख्या 113 दिनांक 10 सितम्बर 1964 के उत्तर में लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके है। समिति को औपचारिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं।

Irrigation Schemes in Rajasthan

796. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti:

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether any additional scheme has been formulated under the Fourth Five Year Plan for irrigation in Rajasthan; and

(b) whether Government have agreed to the scheme for laying the pipelines instead of digging tube-well for the supply of water?

The Minister for Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) : (a) The Fourth Plan Proposals are yet to be finalised.

(b) No such proposal has been received in the Ministry of Irrigation and Power.

राज सहायता प्राप्त गृह-निर्माण योजना

797. श्री दाजी : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज सहायता प्राप्त गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत दी गई सुविधाओं के फलस्वरुप द्वितीय तथा तृतीय योजना की अवधि में कितने श्रमिकों को लाभ हुआ है ;

(ख) क्या राज सहायता प्राप्त गृह-निर्माण योजना के लिये योजना में नियत धन का पूर्ण उपयोग किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग) : आशा है कि नियत किये गये 57 करोड़ रुपयों में से लगभग 45 करोड़ रुपयों का उपयोग दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि के दौरान कर लिया जायगा। उपयोग में कमी होने के लिये मुख्य रूप से निम्नांकित कारण उत्तरदायी हैं :—

(i) उचित दामों पर उपयुक्त भूमि का न मिल सकना।

(ii) आवश्यक भवन सामग्री जैसे सीमेन्ट, स्टील, तथा ईंटें आदि की कमी।

(iii) एमरजेन्सी के कारण आवास योजनाओं को कम प्राथमिकता देना।

व्यय में कमी

798. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66 में उनके मंत्रालय के व्यय में कोई कमी की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) त्रिसूली पन-बिजली परियोजना, जिसको भारतीय सहायता कार्यक्रम के अधीन नेपाल मे बनाया जा रहा है, और फरक्का बराज परियोजना, जिसको शीघ्र पूरा करना राष्ट्र के हित में है, को छोड़ कर इस मन्त्रालय के नियन्त्रणाधीन शेष बजट प्रबन्धों में से 125 लाख रुपये की शुद्ध बचत की आशा है। दौरों, आकस्मिक व्यय, रिक्त पदों को भरने, के सम्बन्ध में व्यय पर कड़ा नियन्त्रण रखने के अतिरिक्त अन्य उपाय जो किफायत लाने के लिये किये गये उनमें निम्नलिखित शामिल थे :—

(1) सिंचाई और बिजली सेमिनार का स्थगन, और

(2) कुछ कार्यों के सम्बन्ध में होने वाले व्यय में कमी।

कृषि और सिंचाई में समन्वय

799. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को कृषि और सिंचाई विभागों में प्रभावकारी समन्वय स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई हिदायतें भेजी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5569/66**।]

सूखे से प्रभावित राज्यों के लिये सखा सहायता योजना

800. **श्री वारियर** : **श्री वासुदेवन नायर** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री प्रभात कार** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर तथा उड़ीसा के सूखे से प्रभावित राज्यों में सहायता कार्यों के लिये आवश्यक धन की व्यवस्था करने के लिये एक एकीकृत योजना का सुझाव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

Training of Health Visitors

801. **Shri Onkar Lal Berwa** :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have introduced compulsory training for Health Visitors;

(b) if so, the total number of Health Visitors under training at present; and

(c) the period of training?

The Minister for Health and Family Planning (Dr. Shushila Nayar) : (a) No compulsory training for Health Visitors has been introduced by the Government of India, but adequate arrangements have been made to train those who want the training.

(b) About 1100 candidates were under training in the Health Visitors course at the end of 1964. The 1965 figures are under compilation.

(c) The duration of integrated Health Visitors training course is two years and six months. Qualified midwives can complete the course in 12 to 18 months.

Beas Dam

802. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about twenty-five thousand families will be rendered homeless as a result of the construction of Beas Dam; and

(b) if so, the details of the schemes formulated by Government to rehabilitate them?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) The persons displaced as a result of the construction of Beas Dam and certain other Projects in Punjab and Himachal Pradesh will be resettled in the Rajasthan Canal area. The Government of Rajasthan have agreed to set apart 3·25 lakh acres of land for allotment to these oustees. Individual allotment orders would be issued by Rajasthan to each oustee as determined by Punjab.

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टर

803. श्री श्रीनारायण दास : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इस बारे में कोई अनुमान लगाया गया है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभानभोगियों को दिसम्बर, 1965 से केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों द्वारा "नियमों के अनुसार" कार्य करने के कारण कहां तक अपना उपचार गैर-सरकारी डाक्टरों से कराना पड़ा ;

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं ;

(ग) क्या इस बारे में कोई अनुमान लगाया गया है कि यदि डाक्टरो को "नियमों के अनुसार" कार्य करने की अनुमति दी जाये तो कितने डाक्टरों की आवश्यकता होगी; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क), (ख), (ग) और (घ) : काम में किसी प्रकार की अड़चन न आने देने के लिये आवश्यक पूर्वोपाय बरते जाने के कारण ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। मेडिकल अफसरों के काम की मात्रा का निर्धारण समय समय पर किया जाता है। डिस्पैन्सरियों में डाक्टरों की संख्या पर्याप्त है।

एयर इंडिया टर्मिनल भवन, बम्बई

804. श्री मधु लिमये :

श्री किशन पटनाईक :

क्या **वित्त** मंत्री 23 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1115 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय तथा रिजर्व बैंक ने अमरिकी परामर्शदाता आर्किटेक्ट फर्म को विदेशी मुद्रा मंजूर करने से पहले इस बात की पुष्टि कर ली थी कि भारतीय आर्किटेक्ट तथा डिजाईनर बम्बई में एयर इंडिया टर्मिनल भवन के लिए बहुमंजिली इमारत का डिजाइन तैयार करने के लिये सक्षम नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या किन्हीं भारतीय आर्किटेक्कों को ड्राईंग, डिजाईनिंग आदि के तरीके सीखने के लिये प्रोत्साहित किया गया है ताकि विदेशी सहायता का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) प्रायोजना के स्वरूप को इस खयाल से ध्यान में रखते हुए कि बहुमंजली इमारतें बनाने का विचार भारत में भवन-निर्माण-विषयक आयोजना की दष्टि से अपेक्षाकृत नयी बात है और भारतीय कम्पनियों से इस आयोजन और क्रियान्वयन के दौरों में भी सहयोग लिया जा रहा है, भारत सरकार ने एक अमरीकी कम्पनी को नक्शे

तैयार करने के काम के लिए परामर्शी वास्तुविद (कंसल्टिंग आर्कीटेक्ट) नियुक्त करना स्वीकार किया था। इस के अलावा यह बात भी है कि उक्त कम्पनी को फीस के रूप में दिये जाने वाले 150,000 डालरों में से 60,000 डालर की रकम एअर इण्डिया द्वारा परिवहन के खर्च के रूप में समायोजित कर ली गयी है।

(ख) जी, हां । इस प्रायोजना को कार्यान्वित करने के काम में भारतीय वास्तुविदों का सहयोग लिया जा रहा है ।

25 लाख रुपये वाली पूंजी परिव्यय की योजनायें

805. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 लाख रुपये तथा उससे अधिक पूंजी परिव्यय वाली सभी योजनाओं की उनके मंत्रालय द्वारा फिर से परीक्षण तथा अनुमोदन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मितव्ययता अभियान के परिणामस्वरूप विभिन्न मंत्रालयों के व्यय में कितनी कमी हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : संकटकालीन स्थिति के कारण सितम्बर 1965 में यह फैसला किया गया था कि साधनों को बचाने के उद्देश्य से मंत्रालयों द्वारा उन सभी निर्माण प्रायोजनाओं की फिर से जांच की जानी चाहिये, जिनकी लागत 25 लाख रुपये से अधिक हो और इस प्रकार के नये निर्माण-कार्यों के लिए वचन देने या उन्हें शुरू करने से पहले वित्त मंत्रालय की स्वीकृति ली जानी चाहिए। वित्तीय सलाहकारों को यह भी हिदायत दी गयी थी कि वे चालू वर्ष के बजट अनुमान में शामिल की गयी सभी निर्माण-प्रायोजनाओं की समीक्षा करें और उन योजनाओं में से कुछ का क्रम फिर से निर्धारित करने या कुछ को स्थगित करने की सम्भावना की जांच करें।

उपर्युक्त मूल्यांकन के कारण, सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की योजनाओं सहित कुछ योजनाओं में कटौती करके, कुछ का क्रम फिर से निर्धारित करके या कुछ को स्थगित करके तत्काल ही लगभग 21 करोड़ रुपये की बचत की गयी है। दो मंत्रालयों के सम्बन्ध में सूचना मिलनी बाकी है और जितनी जल्दी हो सकेगा, उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

जवाहर सागर बांध

806. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर सागर बांध के विद्युत् संयंत्र के लिये सारे उपकरण कोलम्बो योजना के अधीन कनाडा से आ रहे हैं ;

(ख) क्या बिजली-घर को चम्बल ग्रिड से जोड़ दिया जायगा; और

(ग) चम्बल घाटी विकास योजना के अन्तर्गत तीनों बिजली-घरों के पूरा हो जाने के बाद कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी होगी और कुल कितनी सिंचाई की जा सकेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां। किन्तु, कनाडा ऋण के अधीन न कि कोलम्बो योजना के अधीन।

(ख) जी, हां ।

(ग) कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 386 मैगावाट होगी जबकि कुल सिंचाई सम्भाव्यता 14 लाख एकड़ की है।

गृह-निर्माण के लिये जीवन बीमा निगम का धन

807. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-निर्माण योजना के लिये जीवन बीमा निगम से धन दिया जाना चालू वित्तीय वर्ष से बन्द कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह सरकारी और गैर-सरकारी दोनों गृह-निर्माण योजनाओं के लिये लागू होता है; और

(ग) इससे कितनी बचत होने की आशा है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी नहीं। चालू वित्तीय वर्ष में आवास योजनाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा 15 करोड़ रुपये नियत किये गये हैं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क सम्बन्धी मामलों की सुनवाई के लिये अपीलीय न्यायाधिकरण

808. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री बागड़ी :**
श्री सुबोध हंसदा : **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग संघ ने उनके मन्त्रालयों से सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क सम्बन्धी अन्तिम अपीलों की सुनवाई करने के लिये अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने इसी तरह के सुझाओं पर पहले भी विचार किया है परन्तु उन्हें संभव नहीं पाया है।

कनाडा से सहायता

809. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा ने भारत को हाल ही में 4 करोड़ 10 लाख डालर का ऋण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसे किस काम के लिए उपयोग में लाया जायगा ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) वाशिंग्टन में 21 अप्रैल, 1965 को भारत सहायता संघ (एड इण्डिया कंसोर्शियम) की जो बैठक हुई थी, उसमें कनाडा की सरकार ने, कनाडा से खरीदी जाने वाली वस्तुओं के लिए भारत सरकार को कुल 445 लाख कनाडियन डालर की, अर्थात 411.6 लाख अमरीकी डालर (19.60 करोड़ रुपये) के बराबर की सहायता देने का वचन दिया था।

(ख) इस रकम का इस्तेमाल इस प्रकार किया जायगा :

(i) अनुदान (120 लाख कनाडियन डालर=111.0 लाख अमरीकी डालर) इस रकम से ऐसी वस्तुएं खरीदी जाएंगी :

निकल

एसबेस्टस

जस्ता

एल्यूमीनियम

गन्धक

रासायनिक खाद

अखबारी कागज

(ii) विकास ऋण (200 लाख कनाडियन डालर=185.0 लाख अमरीकी डालर) यह रकम इन कार्यों पर खर्च की जायगी :

इडिक्की बिजली प्रायोजना

सोहनलाल कागज प्रायोजना

भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग

भारतीय खान कार्यालय ; और

भारतीय रेलों के लिए इंजन और कलकत्ता पत्तन आयुक्त, आदि

(iii) सम्भरक ऋण (सप्लायर्स क्रेडिट) (125.6 लाख कनाडियन डालर=115.6 लाख अमरीकी डालर) यह रकम इन कार्यों पर खर्च की जाएगी :

इण्डियन एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड का वेस्ट कोस्ट स्पेल्टर

राजस्थान परमाणशक्ति प्रायोजना का दूसरा दौर।

कानपुर में छापे

810. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बागड़ी :
श्री बड़े :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वित्त** मंत्री कानपुर में आय-कर अधिकारियों द्वारा मारे गये छापों के बारे में 9 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2167 के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब तक जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई में छिपाये हुए जेवरात का पकड़ा जाना

811. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर के दूसरे सप्ताह में बम्बई में आय-कर प्राधिकारियों ने लाखों रुपये के मूल्य के छिपाये हुये जेवरात पकड़े;

(ख) क्या लेखा-पुस्तकें भी पकड़ी गई ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) हिसाब किताब में नहीं दिखाये गये एक लाख रुपये कीमत के जवाहरात पकड़े गये थ।

(ख) जी, हां।

(ग) जिस इमारत में यह व्यक्ति रहता है, उसके एक छोटे से कमरे में, जो उस इमारत का किराया उगाहने वाले के काम आता है, इस व्यक्ति ने पांच ट्रंक रख छोड़े थे। पहले उसने इस बात से इन्कार कर दिया कि ट्रंक उसके हैं, परंतु बाद में मंजूर कर लिया। इन ट्रंकों में, एक लाख रुपये कीमत के जवाहरात और लगभग एक लाख रुपये मूल्य के स्वर्ण बांड के अलावा, दोषारोपणीय वहियां और कागजात भी रखे हुये थे।

(घ) जांच-पड़ताल चल रही है।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मांगें

812. श्री० स० चं० सामन्त : श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ : श्री धुलेश्वर मीना :
श्री म० ला० द्विवेदी : श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री 4 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 46 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा एजेंट संघ कानूनी तौर से गठित संस्था है ;

(ख) उनकी मुख्य मांगें क्या हैं ;

(ग) उनकी मांगों पर विचार करने में इतना अधिक विलम्ब क्यों हो रहा है; और

(घ) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) सरकार को पता चला है कि संघ (फेडरेशन) ने अभी अपने संविधान को अंतिम रूप नहीं दिया है और यह पंजीकृत संस्था नहीं है।

(ख) और (घ) : संघ द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों तथा उन पर जीवन बीमा निगम के दृष्टिकोण की जानकारी का विवरण-पत्र, जो 17 नवम्बर, 1965 को संघ को भेजा गया था, सदन की मेज पर रखा जाता है।

(ग) मांगों पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया जाना था। इसलिये उन पर अपनी दृष्टिकोण निश्चित करने में निगम को कुछ समय लगा। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5570/66।]**

सर्प विष का निर्यात

813. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद स्थित क्षत्रीय गवेषण प्रयोगशाला की लायोफिलाइज्ड (सूखा) सर्प विष के निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की योजना में थोड़ी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि फ्लोरिडा की एक फर्म ने लायोफिलाइज्ड सर्प विष बनाने के उद्देश्य से भारत से कोब्रा आयात करने की अनुमति चाही थी और उसे अनुमति नहीं दी गई क्योंकि भारत स्वयं इस विष का निर्यात करना चाहता था; और

(ग) इस बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) क्षेत्रीय गवेषणा प्रयोगशाला, हैदराबाद कोब्रा और रसल वाइपर विष का निर्यात कर रही थी, किन्तु 25 जुलाई 1964 के निर्यात व्यापार नियंत्रण आदेश के अधीन सर्प विष का निर्यात बन्द कर दिया गया क्योंकि देश की अपनी ही आवश्यकताओं के लिये विष की कमी थी।

(ख) दी मियामी सर्पेण्टेरियम, फ्लोरिडा विष उत्पादन के लिये भारत में सर्पों को पकड़ने का एक स्टेशन स्थापित करना चाहता था किन्तु भारत सरकार ने इस अनुरोध को नही माना

क्योंकि विष उत्पादन के काम में लगी देश की अपनी ही संस्थायें काफी मात्रा में साँप एकत्र करने में पर्याप्त कठिनाई अनुभव कर रही थी जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय पूर्व तक विष सम्बन्धी देश की अपनी ही मांग की पूर्ति नहीं हो पा रही थी।

(ग) भारत सरकार इस सारी स्थिति का फिर से अध्ययन कर रही है और आशा है इस सम्बन्ध में शीघ्र ही समुचित निर्णय कर लिया जायेगा। इस बीच अनुसंधान कार्यों के लिये निर्यात करने की अनुमति दी जा रही है।

सरकारी इमारतों पर सम्पत्ति कर

814. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री बसुमतारी :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार और नई दिल्ली नगरपालिका के बीच नई दिल्ली में स्थित सरकारी इमारतों तथा भूमि पर सम्पत्ति कर के सम्बन्ध में चल रहा 16 वर्ष पुराना विवाद अब तय हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो समझौता किस प्रकार सम्पन्न हुआ है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : दिल्ली नगर निगम अथवा नई दिल्ली नगर पालिका को केन्द्रीय सरकार की इमारतों पर सम्पत्ति कर अथवा उसके स्थान पर सर्विस चार्जेस अदा करने के संबंध में अप्रैल 1964 में निर्णय लिया गया था, उसके संबंध में गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किये गये आदेशों की प्रतिलिपी सभा पटल पर रख दी है। दावे उस आधार पर तय किये जा रहे है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5571/66।]**

कैन्सर

815. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कैंसर के बढ़ते हुए प्रकोप का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में इसका अधिक जोर है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : कैंसर के प्रकोप के बारे में भारत में देश व्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है, अतः यह किन किन क्षेत्रों में अधिक फला हुआ है इसके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

निम्न-आय वर्ग गृह निर्माण योजना

816. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निम्न-आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत दस से कम व्यक्तियों की संयुक्त तथा पृथक जिम्मेदारी पर जो ऋण दिया जाता था उसे दिल्ली प्रशासन ने कुछ समय पूर्व बन्द कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा ऋण देना बन्द किये जाने के बाद भी इस योजना के अन्तर्गत संयुक्त रूप से लोगों के प्रार्थना पत्रों पर कई वर्षों तक विचार किया जाता रहा और उन्हें ऋण भी दिया गया;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस अवधि में कई प्रार्थना पत्र अस्वीकृत भी कर दिये गये;

(ङ) क्या सरकार को इस भेद भाव पूर्ण बर्ताव के विरुद्ध कोई याचिका मिली है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग) : यह सुविधा भारत सरकार के द्वारा सामान्य नीति के रूप में अपने अक्टूबर 1962 के आदेश के द्वारा वापस ले ली गयी थी, क्योंकि यह समझा गया था कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। तथापि, दिल्ली प्रशासन 8 दिसम्बर 1964 तक आवेदन पत्र लेता रहा।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) : जुलाई 1965 में एक याचिका प्राप्त हुई थी तथा याचक को यह सूचित कर दिया गया था कि योजना के अन्तर्गत अब यह सुविधा उपलब्ध नहीं रही।

विदेशी मुद्रा तथा सीमा शुल्क नियमों का उल्लंघन

817. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 के दौरान तस्कर व्यापार के कितने मामलों में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 तथा सीमा शुल्क नियमों का उल्लंघन हुआ है;

(ख) गत वर्ष के तत्सम आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इन्हें रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : 1964 और 1965 में जांच किये गये मामले निम्नलिखित है :—

	1964	1965
विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम . .	2,453	3,420
चोरी छिपे माल लाने के मामले . . .	22,237	19,017

(ग) विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम में, जैसे कि उसे 1965 में संशोधित किया गया, इस अधिनियम के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है।

चोरी छिपे माल लाने ले जाने को रोकने के लिए निम्नलिखित कार्यकारी उपायों को अपनाया जाता है :—

(i) संदिग्ध जलयानों तथा वायुयानों की ठीक तरीके से खाना-तलाशी;

(ii) समुद्री किनारों तथा भू-सीमाओं के पार करने योग्य भागों की नियमित तथा आकस्मिक गश्त;

(iii) सूचना के पीछे विशेष ध्यानपूर्वक लगे रहना;

(iv) सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन भारी दण्ड लगाना जिसमें अवैध माल की जब्ती भी शामिल है;

(v) योग्य मामलों में मुकदमे चलाना;

(vi) विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों के चोरी छिपे माल लाने ले जाने की रोकथाम के काम का अधिक सक्रिय रूप से समन्वय करने के लिए केन्द्र में राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय की स्थापना; और

(vii) आर्थिक अपराधों की जांच पड़ताल करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो में आर्थिक अपराध जांच उपभाग की स्थापना।

महलनवीस समिति का प्रतिवेदन

818. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आय के वितरण के बारे में महलनवीस समिति के प्रतिवेदन का दूसरा भाग इस बीच तैयार हो गया है तथा सरकार को पेश कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

दिल्ली के अस्पताल

819. **श्री हुकमचन्द कछवाय :**
श्री बडे :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में पृथक्-पृथक् रूप से औसतन कितने रोगियों की चिकित्सा की जाती है;

(ख) प्रत्येक अस्पताल में कितने डाक्टर हैं;

(ग) क्या रोगियों की संख्या को देखते हुए डाक्टरों की संख्या पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5572/66।**]

Scheme of Early Retirement

820. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Duleshwar Meena :**
Shri Bade : Shri Jedhe :
Shri Ramachandra Ulaka :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 604 on the 2nd December, 1965 and state whether the details of the scheme to induce Central Government employees to seek early retirement have since been finalised?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : The terms of voluntary retirement to be offered to personnel declared surplus who have put in a service of not less than 15 years are being finalised and orders in this regard are expected to be issued shortly.

वित्त मंत्री की फ्रांस तथा जापान की यात्रा

821. **श्री नारायण रेड्डी : श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री रामेश्वर टांटिया : श्री क० ना० तिवारी :
श्री हिम्मतसिंहका : श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री भागवत झा आजाद :
श्री लाटन चौधरी : श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ : श्री सुबोध हंसदा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वह 1966 में जापान तथा फ्रान्स की यात्रा करने की योजना बना रहे है;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है ; और

(ग) क्या उनकी यात्रा के लिए कोई तारीख निश्चित कर ली गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) वित्त मंत्री की जापान और फ़ान्स यात्रा के सम्बन्ध में अभी कोई योजना निश्चित नहीं हुई ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं ।

आवास सम्बन्धी नीति

822. **श्री कोल्ला वेंकय्या :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत की मकानों की कमी को दूर करने के लिये "इकाफे क्षेत्र के देशों में सरकारी आवास नीतियों तथा कार्यक्रमों" सम्बन्धी पत्र में दिये गये सुझावों के बारे में कोई निर्णय कर लिया है;

4—24 L. S./66

(ख) यदि हां, तो निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (घ) : पत्र में दिये गये प्रमुख सुझाव निम्न प्रकार हैं :—

(1) एक केन्द्रीय मंत्रालय में आवास तथा नगर आयोजना कार्य का एकीकरण ।

(2) आवास में लगाये जाने वाले धन में वृद्धि ।

(3) लाभान्वित व्यक्तियों की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आवास के लिए सरकारी सहायता (ऋण तथा आर्थिक सहायता) का देना ।

(4) आवास की ओर संस्थागत तथा व्यक्तिगत निधियां लगाने के लिए प्रोत्साहन ।

(5) केन्द्रीय मंत्रालयों में भवन निर्माण सामग्री के उत्पादन के लिए निकट का संपर्क ।

2 से 5 तक के सिद्धान्त हमारी आवास नीति का पहले ही से एक अंश हैं । (1) में दिया गया सुझाव कार्यान्वित किया जा चुका है । नगरविकास तथा नगर आयोजना का कार्य अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय से निर्माण तथा आवास मंत्रालय में हस्तान्तरित हुआ है ।

साहिबी नदी पर बांध

823. **श्री कोल्ला वेंकेय्या :**

श्री म० ना० स्वामी :

श्री लक्ष्मी दास :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में अजमेरीपुर के स्थान पर साहिबी नदी पर बांध बनाने के सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवेदन पर सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) : साहिबी नदी के ऊपर बांध के लिए राजस्थान सरकार द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट पर 5-1-1966 को हुए अन्तर्राज्यीय सम्मेलन में विचार किया गया था और यह फैसला किया गया था कि इस परियोजना को इस तरह फिर से बनाया जाए, जिस में न्यूनतम धारिता के लिए 6000 लाख घन फुट, बाढ़ कम करने के लिए 15000 लाख घन फुट और सिंचाई के लिए 15000 लाख घन फुट का प्रबंध है । इस लाभ को 40:60 के अनुपात पर राजस्थान और पंजाब के बीच बांटा जाएगा । आगे की कार्रवाई इस के अनुसार की जा रही है ।

केरल में स्वर्णकारों का पुनर्वास

825. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में स्वर्णकारों के पुनर्वास के लिए जो धनराशि 1964-65 तथा 1965-66 में रखी गई थीं उसे व्यय किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो कितनी धनराशि व्यपगत हो गई; और

(ग) स्वर्णकारों के कुल कितने परिवारों को पुनर्वास की सरकारी योजनाओं से लाभ हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) राज्य सरकार द्वारा उनके बजट में की गई व्यवस्था निम्न प्रकार थी :—

1964-65	रु० 5,61,100
1965-66	रु० 7,79,500

1964-65 में वास्तविक व्यय 3,71,394 रुपये हुआ। 1965-66 के आंकड़े 31 मार्च 1966 के बाद ही मालूम हो सकेंगे।

(ख) कोई रकम व्यपगत नहीं हुई है।

(ग) 1,733 स्वर्णकारों को दूसरे धन्धों में बसाया गया है। इसके अतिरिक्त 855 तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और 8,234 को शिक्षा सम्बन्धी सहायता मिल रही है।

नागपुर के मेसर्स श्रीराम दुर्गा प्रसाद

826. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बालमीकी :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वित्त** मंत्री 18 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 318 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर के मेसर्स श्रीराम दुर्गा प्रसाद के मामलों की जांच अब पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (घ) : सीमा-शुल्क विभाग द्वारा अभी तक सौ से अधिक 'शो-काज मेमो' जारी किये जा चुके हैं किन्तु अधिकारियों को अब कुछ और कागजात मिले हैं जिन पर आगे छान-बीन की जरूरत है। इस लिये जांच-पड़ताल अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। शुरू में यह देरी फर्म द्वारा न्यायालय से स्थगन-आदेश प्राप्त करने के कारण हुई। इसके अलावा हजारों पृष्ठों के इन कागजातों की जांच एक से अधिक सरकारी विभाग द्वारा की जानी है। फिर भी, जांच को यथासंभव शीघ्र समाप्त करने के लिये सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

केन्द्रीय गृह-निर्माण वित्त निगम

827. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बालमीकी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हेम बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री 11 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 172 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक केन्द्रीय गृह-निर्माण वित्त निगम स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) निगम के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) इसे कितनी राशि प्रदान की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क), (ख) और (ग) : केन्द्रीय आवासन वित्त निगम (सेण्ट्रल हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन) स्थापित करने के विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी

828. **श्री यशपाल सिंह** :

श्री बाल्मीकी :

श्री बागड़ी :

डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री 18 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 870 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी का विस्तार करने के ... ... निर्णय किया गया है; और

(ख) इस कार्य के ... ... नी रकम निर्धारित की गई है ?

...र्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : विदेशी मुद्रा की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड के विस्तार के लिए फ़ैबरीकेटेड हाउसिंग प्लान्ट के आयात के प्रस्ताव को फ़िलहाल छोड़ दिया गया है।

विद्युत् मंत्रियों का सम्मेलन

829. **श्री लिंग रेड्डी** :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1965 में हुए विद्युत् मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा कहां तक स्वीकार कर ली गई हैं;

(ख) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सूखे तथा खाद्य संकट के समय में कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली मुफ्त अथवा रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है, जिसमें स्थिति स्पष्ट की गई है।

(ग) कृषि उद्देश्यों के लिये बिजली पूर्ति के दर को कम करने के लिये सरकार ने जहां कहां दर 12 पैसे प्रति यूनिट से अधिक है, वहां कृषि उद्देश्यों के लिये बिजली पूर्ति में फिलहाल तीन वर्षों के लिये उपदान देने का निर्णय किया है। इस उपदान को केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के अनुपात से बांटा जाएगा। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5573/66।]**

खाद्य अपमिश्रण रोक समिति

830. **श्री हेमराज :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, 1954 को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करने हेतु नियुक्त किये गये दल के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस का प्रतिवेदन कब तक तैयार हो जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को लागू करने वाली मशीनरी तथा प्रयोगशाला सुविधाओं की सम्पूर्ण स्थिति की समीक्षण के लिये आवश्यक सामग्री एकत्र करने तथा इस विषय में खाद्य अपमिश्रण निवारण के सिलसिले में बनी मंत्रियों की केन्द्रीय समिति को प्रस्ताव देने के लिये केन्द्रीय खाद्य मानक समिति के सचिव और केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता के निदेशक की जो दो व्यक्तियों की टीम बनाई थी उससे रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है । यह रिपोर्ट मंत्रियों की केन्द्रीय समिति के सम्मुख मार्च 1966 में होने वाली उसकी अगली बैठक में रखी जायेगी ।

Clearance of Smuggled goods from Marmagoa Port

831. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some goods seized by the Customs authorities have been lying in Marmagoa port for some years and have not so far been cleared;

(b) if so, the period for which these goods are lying there and why they have not been cleared so far; and

(c) when a final decision is likely to be taken in this regard?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) to (c). No goods seized by the Customs authorities are lying in Marmagoa port for some years. However, there are some goods lying in Marmagoa port which were unauthorisedly imported during the period from 20th December, 1961 to 30th September, 1963. The importers of these goods did not avail of the option given by the Lt. Governor to have them re-exported and hence they were deemed to have been abandoned in favour of the State. However, the question of further disposal of these goods was under consideration and a decision in this regard has since been taken. It is expected that the goods will be disposed of early.

Statues of Leaders

832. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Bagri :
Shri Yashpal Singh :

Shri Vishram Prasad :
Shri Utiya :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri P. C. Boorah :
Shri D. C. Sharma :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Linga Reddy :

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 755 on the 9th December, 1965 and state :

(a) the further progress made regarding the installation of statues of leaders in Delhi;

(b) the names of leaders as well as the location for the installation of their statues as has been decided so far; and

(c) whether the installation of statues of certain other leaders is also under consideration?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) The Committee on Installation of Statues in Delhi has recommended three more sites for the installation of statues of National leaders, in addition to the seven sites recommended earlier.

(b) and (c). The recommendations of the Committee are under the consideration of Government.

मछली पकड़ने वाले छोटे जहाज स्वामियों के लिये शुल्क-मुक्त डीजल तेल

833. **श्री ग्र० व० राघवन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डालर का अर्जन कराने वाली क्रम्प (समुद्री केकड़ा) तथा मछलियों के पकड़ने के लिये प्रोत्साहन के रूप में मछली पकड़ने वाले छोटे जहाजों के स्वामियों को शुल्क-मुक्त डीजल तेल देने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब क्रियान्वित की जायगी ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : मछली पकड़ने के छोटे जहा जो को शुल्क-मुक्त डीजल तेल देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, मछली पकड़ने के छोटे जहाजों द्वारा वास्तव में उपभोग किये गये डीज़ल तेल के मूल्य पर अधिक से अधिक 32 पैसे प्रति गैलन की दर से सहायता देने की एक योजना पहले से ही चालू है। इस सहायता की वार्षिक सीमा प्रत्येक जहाज के लिए 300 रुपया है।

ग्राहम ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड

834. **डा० रानेन सेन :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता की मेसर्स ग्राहम ट्रेडिंग कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड ने नवम्बर, 1965 से जनवरी, 1966 की अवधि के दौरान समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो उन का किस प्रकार उल्लंघन किया गया है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जहां तक सरकार को पता है, इसका उत्तर नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

मंगलौर तथा कासरगोड के बीच बिजली लाइन

835. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर को एक बिजली लाइन द्वारा कासरगोड से मिलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) मैसूर में मंगलोर से लेकर केरल में कासरगोड तक 100 के०वी० पारेषण पथ की कुल लम्बाई लगभग 54 कि० मी० है, और इस में से 19 कि० मी० मैसूर राज्य में होगी। मैसूर राज्य में पड़ने वाले पारेषण पथ के भाग का निर्माण मैसूर राज्य बिजली बोर्ड द्वारा और केरल में पड़ने वाले पारेषण पथ के भाग का निर्माण केरल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा किया जाएगा। 5,32,000 रुपये की अनुमित लागत के इस पथ से इस समय मैसूर से केरल को व्यस्ततम मांग समय में 5-6 मैगावाट बिजली और अन्य समयों में लगभग 10-12 मैगावाट बिजली और जब शिमोगा और मंगलोर के बीच का 220 के०वी० पारेषण पथ भी बन कर तैयार हो जाएगा तो लगभग 20 से 25 मैगावाट बिजली भेजी जा सकेगी। इस पथ के मई, 1966 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

बम्बई में आयात-निर्यात करने वाली एक फर्म पर छापा

836. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री दलजीत सिंह :

श्री हरि विष्णु कामतः

क्या **वित्त** मंत्री बम्बई में आयात-निर्यात करने वाली एक फर्म पर मारे गये छापे के संबंध में 11 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 155 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय द्वारा को जा रही जांच इस बीच पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 100 पौंड तक की विदेशी मुद्रा विनिमय खरीदने के मामले पर विदेशी मुद्रा विनिमय विनिमय अधिनियम के अधीन न्याय-निर्णय करने की कार्यवाही शुरू की गई है।

पदाधिकारियों द्वारा विदेशों के दौरे

837. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **वित्त** मंत्री 11 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 163 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1965 से 31 जनवरी, 1966 तक की अवधि में कितने केन्द्रीय सरकार के पदाधिकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्ति राजकीय यात्राओं पर विदेश गए और उन्होंने किनकिन देशों की यात्रा की;

(ख) उन की यात्रा का प्रयोजन क्या था; और

(ग) विदेशी मुद्रा को मिलाकर कुल कितना व्यय हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग) : विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और इकट्ठा होते ही सभा की मेज पर रख दी जायगी।

अनुर्वरीकरण शल्यचिकित्सा

838. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) 2 अक्तूबर, 1965 से 31 जनवरी, 1966 की अवधि में राज्य वार कितने पुरुषों तथा महिलाओं की अनुर्वरीकरण शल्य चिकित्सा की गई और इस प्रयोजन के लिये कितने शिबिर लगाये गये; और

(ख) प्रत्येक शिबिर के लिये राज्य वार औसतन कितना व्यय किया जाता है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया है । देखिये संख्या एल० टी० 5574/66 ।**]

मद्रास के लिये बृहद योजना

839. **श्री बालकृष्णन** : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में कुछ बड़े शहरों के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित बृहद् योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को लागू करने से किन किन शहरों को लाभ होगा; और

(ग) योजना का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग) : तृतीय पंचवर्षीय योजना की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना में निम्नांकित शहरों के मास्टर प्लान तैयार कराने के लिए मद्रास सरकार को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जा रही है :—

(1) मद्रास शहर का मैट्रोपोलीटन क्षेत्र ।
आशा है कि अन्तरिम सामान्य प्लान मार्च 1966 के अन्त तक तैयार हो जायेगा तथा पूर्णरूप से विकसित प्लान 1967 के अन्त तक ।

(2) कोइम्बटूर का मैट्रोपोलीटन क्षेत्र ।
आशा है कि विकास के प्लान की रूप रेखा मार्च 1966 तक तैयार हो जायेगी तथा पूर्ण रूप से विकसित प्लान दिसम्बर 1966 तक ।

(3) टूटीकोरिन बंदरगाह शहर ।
अन्तरिम प्लान तैयार हो चुका है तथा राज्य सरकार से मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(4) नेवेली लिगनाइट रिसोर्स रीजन ।
यह प्रायोजना तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल की गयी थी किन्तु अभी तक इस पर कार्य शुरू नहीं हो सका । आशा है कि इस पर 1966-67 में कार्य शुरू किया जायेगा ।

मद्रास सरकार को अभी तक दी गई सहायता निम्न प्रकार है :—

1962-63 . .	2.01 लाख रुपये
1963-64 .	0.80 लाख रुपये
1964-65 . .	6.00 लाख रुपये
1965-66	राज्य सरकार से खर्चे का विवरण प्राप्त होने पर वित्तीय वर्ष के अन्त में अन्तिम भुगतान की मंजूरी दी जायेगी ।

मदनगीर कैम्प में जल सम्भरण

841. **श्री गुलशन :** क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि मदनगीर के झुग्गी-झोंपड़ी कैम्प के तीस हजार के अधिक निवासियों को गत दो वर्षों से पीने के लिये बिना साफ किया पानी दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें साफ पानी न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) मदनगीर खानपुर में कैम्पिग स्थानों पर बसे लगभग 4500 परिवार इस समय पानी हैण्ड पम्पों और छिछले नलकूपों से ले रहे हैं ।

(ख) मदनगोर खानपुर को अपनी मुख्य जलपूर्ति प्रणाली से जोड़ने के लिए पानी के नल बिछाना दिल्ली नगर निगम के लिए सम्भव नहीं हुआ है । तथापि इस बस्ती के पहले फैज़ में लगभग 3000 प्लाटों के लिए वितरण नल बिछा दिए हैं और आशा है कि निकट भविष्य में दो गहरे नलकूपों से सुरक्षित पेय जल उपलब्ध हो जायेगा ।

दूसरे फैज़ में शुद्ध किए गए पानी के नल बिछाने की एक योजना तैयार हो चुकी है और इसके शीघ्र ही चालू किए जाने की सम्भावना है ।

श्री सैलम परियोजना

842. **श्री मि० सू० मूर्ति :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री 2 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1689 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार को श्रीसैलम जल-विद्युत् परियोजना के लिये इस बीच विदेशी मुद्रा की दूसरी किश्त दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी और कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कब दिये जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं । इस उद्देश्य के लिये विदेशी सहायता प्राप्त करने की सम्भाव्यता की खोज की जा रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस समय विदेशी मुद्रा को देने की सम्भावित तिथि बताना सम्भव नहीं है ।

किलपाक मेडिकल कालिज

843. **श्री उमा नाथ :** क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या मद्रास सरकार को किलपाक मेडिकल कालेज और अस्पताल में भारतीय औषधियों के बारे में एक "गवेषण सेल" बनाने के लिये प्रस्ताव भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो उस "सैल" में क्या क्या कार्य होगा;

(ग) क्या मद्रास सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो इस "सैल" में कौन कौन व्यक्ति रखे जायेंगे;

(ङ) क्या अन्य राज्य सरकारों को भी ऐसे ही प्रस्ताव भेजे गये थे;

(च) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं और किन राज्यों ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है और ये "सैल" बना लिए हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव को केवल किलपाक मेडिकल कालेज और अस्पताल तक ही सीमित रखने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) किलपौक मेडिकल कालेज तथा अस्पताल में केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से आयुर्वेद जिसमें सिद्ध भी सम्मिलित है, तथा युनानी, इन दो भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की एक अनुसन्धान योजना चालू करने का प्रस्ताव है।

(ख) परीक्षणार्थ लिये जाने वाले रोग इस प्रकार है :—

आयुर्वेद . . .	(1) श्वेतपुष्ठ
	(2) फिलेरिया
सिद्ध . . .	(3) प्रोदों में यकृत शोष
	(4) आमाशय व्रण
युनानी . . .	आमवात

किलपौक मेडिकल कालेज के भेषज शास्त्र, जीवरसायन एवं व्याधि विज्ञान और अन्य आधारिक विज्ञानों के विभागों तथा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के अनुसन्धान एककों का निकट एवं घनिष्ट सहयोग मिलता रहेगा।

(ग) मद्रास सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(घ) कर्मचारियों का ब्यौरा राज्य सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली शासकीय समिति द्वारा तैयार किया जायेगा।

(ङ) और (च) : जी हां। महाराष्ट्र, मैसूर और पश्चिम बंगाल के राज्यों में ऐसे सेल बना लिये हैं। केरल सरकार में भी आयुर्वेदिक विशिष्टताओं (पंचकर्म, विष वैद्य और मर्म चिकित्सा) के स्नातकोत्तर संस्थान खोलने की बात सिद्धान्तः मानली है।

(छ) यह प्रश्न नहीं उठता।

कच्चे माल के आयात के लिये विदेशी मुद्रा का नियतन

844. **श्री कपूर सिंह :**

श्री प्र० के० देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या चालू वित्त वर्ष में अत्यावश्यक कच्चे माल के आयात के लिये अतिरिक्त विदेशी मुद्रा का नियतन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या ब्यौरा है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) निर्धारित की गयी अतिरिक्त रकम, अत्यावश्यक कच्चे माल जैसे रासायनिक खाद के उत्पादन के लिए गंधक और शैल-फास्फेट (राक-फास्फेट) और दूसरे औद्योगिक उत्पादन के लिए अलौह धातुओं, खास किस्म के इस्पात, चिकनाने के पदार्थों, रासायनिक पदार्थों आदि के आयात और कच्चे माल तथा पुर्जों के आयात के लिए है। चुंकि जरूरत की इन चीजों में से प्रत्येक के लिए अलग से निर्धारित की गयी या न की गयी विदेशी मुद्रा की रकम की विस्तृत जानकारी देने से बाजार की स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है, इस लिये उपर्युक्त प्रयोजनों में से हर एक के लिए अलग से निर्धारित रकम की सूचना देना उचित न होगा।

काले धन पर करारोपण

845. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष कर आयुक्त को विभिन्न पार्टियों से, जिनके काले धन पर, जिसकी उन्होंने 1965 में अधिनियम बन जाने के बाद घोषणा की थी, भिन्न भिन्न दरों पर कर लगाये गये हैं इस बारे में अपीलें प्राप्त हुई हैं कि दोनों श्रेणियों की पार्टियों पर समान कर लगाये जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) 1965 के दोनों वित्त अधिनियमों में दी गयी स्वेच्छा से छिपा धन घोषित करने की दोनों योजनाएं एक दूसरी से भिन्न हैं। इस लिए दोनों के बीच कोई अनुरूपता नहीं लाई जा सकती।

अमरीकी उर्वरकों की खरीद

846. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कोल्ला वेंकैय्या :
श्री म० ला० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी उर्वरक खरीदने के लिये भारत तथा अमरीका के बीच हाल ही में एक ऋण के सम्बन्ध में करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं; और

(ग) उसके अन्तर्गत कितना उर्वरक खरीदा जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (युनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फार इण्टरनेशनल डेवलपमेण्ट) के साथ 4 जनवरी, 1966 को 5 करोड़ डालर (23.81 करोड़) रुपये के ऋण के लिए "रासायनिक खाद वस्तु ऋण—1966" (फर्टिलाइजर कमोडिटी लोन 1966) से सम्बन्धित करार पर हस्ताक्षर किये गये। यह ऋण अमेरिका से उन किस्मों की रासायनिक खाद मंगवाने के विदेशी मुद्रा के खर्च को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जायगा। जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत है।

करार के शर्तों के अनुसार, पहले दस वर्षों में मूलधन के सम्बन्ध में कोई अदायगी नहीं की जायगी; इस के बाद अदायगी शुरू की जायगी जो अगले तीस वर्षों में लगभग बराबर की छः माही किस्तों में होगी। इस ऋण पर पहले दस वर्षों में 1 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से छः माही किस्तों में व्याज दिया जायगा और इसके बाद बाकी 30 वर्षों में $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से। व्याज डालरों में चुकाया जायगा। ऋण की शर्तों के अनुसार उसमें से किये गये भुगतानों की तारीखों से व्याज लगना शुरू हो जायगा और व्याज की पहली किस्त, ऋण की पहली किस्त के भुगतान के छः महीने बाद या संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा निर्दिष्ट, पहले की किसी तारीख को चुकायी जायगी।

(ग) ऋण-करार में, यह बात नहीं बतायी गयी है कि ऋण के अन्तर्गत खरीदी जाने वाली रासायनिक खादों की प्रत्येक किस्म की कितनी खाद खरीदी जायगी। लेकिन, अब तक सरकार ने ऋण के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद सप्लाई करने वालों को 5,95,000 मेट्रिक टन अमोनियम सल्फेट और 1,50,500 मेट्रिक टन अमोनियम फास्फेट भेजने के आर्डर दे दिये हैं।

Deficiency in Diet

847. Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Government's attention has been drawn to the statement made by Dr. D. K. Feris the nutrition expert of UNICEF that almost 20 per cent. of the adult population in India does not get balanced diet as a result of which they are incapable of doing hard physical work;

(b) if so, the steps being taken to make up the deficiency in proteins and vitamins in the diet of an average Indian;

(c) whether an estimate has been made of the time which would be taken to provide balanced diet to an average Indian;

(d) whether any programme has been drawn up for the achievement of this target; and

(e) if so, details thereto?

The Minister for Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) The Government are aware of the address read by Dr. Feris at the Asian Seminar of the Society for International Development held at Calcutta on the 16th February, 1964 in which he stated that half of the total population of India or 225 millions of which 150 millions are over 15 years of age who were stated to be living on Rs. 12 or less per month. They exist on food that cannot produce more than average 50% working efficiency.

(b), (c), (d) and (e). The following steps have been taken for the improvement of the nutritional status of the people.

1. An Expanded/Applied Nutrition Programme is being implemented in collaboration with UNICEF, WHO and FAO. The programme envisages, *inter alia*, the production and popularisation of protective foods and protein-rich foods and their distribution to vulnerable groups of population in selected community development blocks. The programme is in operation in Andhra Pradesh, Madras, Orissa, Mysore, Punjab, Kerala, Madhya Pradesh, West Bengal, Uttar Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Himachal Pradesh. The Plans of Operation in respect of this programme in Bihar and Delhi have been signed by Government on the 1st February, 1966 and those in respect of Jammu and Kashmir, Goa, Gujarat Manipur and Tripura are under consideration.

2. Steps have been taken towards salvaging for human consumption valuable vegetable protein from oilseeds meal such as groundnut meal resulting as a by-product of the vegetable oil industry. Pilot units of 3,000 tonnes capacity each per annum for the production of edible groundnut flour (containing 50% of protein) have been established with UNICEF assistance at Bombay and Coimbatore. These units will demonstrate the feasibility, standard techniques and economics of production and assist in establishing a consumption pattern for a larger programme to exploit the potential of over 2 million tonnes of edible groundnut flour.

3. "Multipurpose Food" has been developed by the Central Food Technological Research Institute, Mysore. It contains 75 parts of groundnut flour and 25 parts of Bengal gram flour fortified with suitable essential minerals and vitamins. The West Bengal Government has set up a Multipurpose food Unit of capacity 1 tonne per day in the public sector at Calcutta. The Uttar Pradesh Government has set up in collaboration with private industry 2 such units, of capacity 1 tonne per day at Sitapur and Kotdwara. The establishment of 2 more such units—one at Delhi and the other at Bombay—is under consideration.

4. A Unit for the production of enriched atta (Paushtik Atta), which incorporates 5-10 % of groundnut flour in resultant atta, enriched with suitable nutrients like proteins, vitamins, minerals—has been established in Bombay in collaboration with a private flour mill. Production of Paushtik atta is expected to commence shortly. Establishment of similar units in other regions is also contemplated.

5. Protective foods, such as skimmed milk, cod and shark liver oils, multipurpose food and vitamin and iron tablets are being distributed to vulnerable sections of the population, such as expectant and nursing mothers, pre-school and school children, and patients, in M.C.H. and Primary Health Centres and hospitals through the State Governments.

6. With a view to providing school meals to children in elementary schools a programme of school meals was introduced from 1962-63, in collaboration with CARE and Catholic Relief Services. It was proposed to provide school meals to 10 million children by the end of the Third Five Year Plan.

7. A programme designed to achieve a reduction in the consumption of cereals and at the same time improve nutrition by diversification of the predominantly cereal diet utilising a variety of nutritious, wholesome and economically important subsidiary foods has been included in the Third as well as in the Fourth Plans of the Department of Food. One of the projects under the programme is concerned with a systematic campaign for the popularisation of subsidiary foods, promotion of suitable dietary, habits, dissemination of information on nutrition and balanced diet, and popularisation of food preservation. A Food and Nutrition Extension Service with a fleet of properly equipped and staffed mobile units has been launched for this purpose. Certain technological aids are also being tried to increase availability and improved quality of foodstuffs.

8. A programne for the setting up of 4 Institutes of Catering Technology and Applied Nutrition at Bombay, Calcutta, Delhi and Madras with a view to providing trained technical personnel in the field of food utilisation and management and to function as focal points for the diversification of the diet and improvement in nutrition, has been taken up by the Department of Food. The establishment of 20 Food Polytechnics at other important places in the country to give training in Food Crafts and be focal points for the diversification of the diet and food utilisation and its management, is also contemplated by that Department.

9. Steps have been taken to popularise menus for balanced diets evolved by the All India Women's Food Council, the Institute of Catering Technology and Applied Nutrition, Bombay, the Central Food Technology Research Institute, Mysore, and the Nutrition Research Laboratories, Hyderabad.

10. No estimate of the time which will be taken to provide balanced diet to an average Indian has so far been made.

11. A provision of about Rs. 19 crores was made under the Second Five Year Plan for the Dairy Development Programme of which nearly Rs. 15 crores were expended. A further provision of Rs. 36 crores was made in the Third Five Year Plan for the purpose.

"इन्द्रप्रस्थ एस्टेट" नई दिल्ली के निकट यमुना बांध

848. **श्री हेडा :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "इन्द्रप्रस्थ एस्टेट" नई दिल्ली के निकट यमुना बांध कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ख) बांध बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) यमुना बराज के जून, 1966 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

(ख) बराज का मुख्य उद्देश्य इन्द्रप्रस्थ बिजली केन्द्र विस्तार परियोजना के लिये ठण्डा करने का पानी देना है।

दिल्ली में छल्लों (लूप) का प्रयोग

849. **श्री हेड़ा :**

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) राजधानी में गर्भ निरोधक छल्लों (लूप) को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) इस पर कितना व्यय हुआ है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितने औषधालयों को इस्तेमाल किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) राजधानी में लूप को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय बर्ते गये हैं :—

(1) लूप के बारे में मुख्य मुख्य बातें तथा उसके फायदे बतलाने के लिए परिवार नियोजन के बारे में कई प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं। इस प्रदर्शनियों में इस विषय के पैम्फलेट भी बांटे गये।

(2) खास खास सार्वजनिक स्थानों तथा राजधानी की बसों पर होर्डिंग प्रदर्शित किये गये।

(3) परिवार नियोजन केन्द्रों, डिस्पेंसरियों, क्लीनिकों आदि में लूप लगाने की सुविधायें उपलब्ध की गई।

(4) समाचार पत्रों तथा आकाशवाणी के माध्यम से परिवार नियोजन की इस विधि का व्यापक प्रचार करने के लिए जुलाई 1965 में गर्भ रोधक छल्ला सप्ताह मनाया गया। तब से लूप के फायदों का प्रचार जारी है।

(ख) लूप लगाने आदि पर होने वाले खर्च का अलग से कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता। इस खर्च की पूर्ति परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये की गई कुल बजट व्यवस्था में से की जाती है।

(ग) 55।

चिकित्सा शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिये उड़ीसा को अनुदान

850. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) 1965-66 में "चिकित्सा शिक्षा तथा प्रशिक्षण" शीर्ष के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिये उड़ीसा सरकार को कुल कितनी रकम मंजूर की गई; और

(ख) उक्त अवधि में उड़ीसा सरकार ने इस रकम का किस प्रकार उपयोग किया ?

स्वास्थ् तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) उड़ीसा सरकार को केन्द्र समर्थित योजनाओं के लिए "चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण" शीर्ष के अधीन 1965-66 में 4.20 लाख रुपये की पूंजी नियत की गई है। वर्तमान प्रणाली के अनुसार राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता आवंटनों के आधार पर वर्ष के पहले नौ महीनों में प्रतिमास अर्थोपाय अग्रिमों के रूप में दी जा रही है। मासिक दी गई रकमों का हिसाब-किताब बैठाने के लिये राज्य सरकारों से पूर्वानुमानिक खर्च का ब्यौरा प्राप्त होने पर उन्हें प्रति वर्ष मार्च में अस्थायी केन्द्रीय सहायता मंजूर की जाती है। उड़ीसा सरकार से अभी तक 1965-66 के पूर्वानुमानिक खर्च के ब्यौरे के न मिलने के कारण उसे अस्थायी भुगतान की कोई मंजूरी नहीं दी गई है।

(ख) केन्द्रीय सहायता का उपयोग राज्य चिकित्सा संस्थाओं के कतिपय विभागों का उन्नयन करने तथा संकट कालीन स्थिति के कारण उत्पन्न हुई अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए राज्य की कतिपय चिकित्सा संस्थाओं के विस्तार के लिये किया जाता है।

उड़ीसा के सिंचाई तथा विद्युत् संसाधन

851. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने 1966-67 में अपने बिजली तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करने के हेतु अतिरिक्त सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन के लिये 1966-67 में अतिरिक्त सहायता मांगी गई है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम

852. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री 4 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 117 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के प्रस्तावों का परीक्षण कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : राज्य सरकारों के साथ सलाह-मशविरा करते हुए, मामले की अभी भी जांच की जा रही है।

जीवन बीमा निगम का कारोबार

853. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या 1965-66 में जीवन बीमा निगम के कारोबार में कोई कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, नहीं। इसके विपरीत, कुल व्यापार में, 1965-66 की पहली तीन तिमाहियों में 1964-65 की इसी अवधि की तुलना में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आसाम में मकानों के निर्माण के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण

854. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 और 1965 में जीवन बीमा निगम द्वारा आसाम में निम्न आय तथा मध्यम आय वर्ग आवास योजनाओं के अन्तर्गत मकानों के निर्माण के उद्देश्य से कितनी धनराशि दी गई;

(ख) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत उपरोक्त वर्षों में जीवन बीमा निगम द्वारा अन्य राज्यों में कितनी धनराशि दी गई और उपरोक्त वर्षों में इन योजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी और वास्तव में कुल कितनी धनराशि दी गई थी;

(ग) ऋण दिए गए धन की वापसी अदायगी सुनिश्चित करने के हेतु नियमों के अन्तर्गत किस प्रकार की और किस हद तक प्रतिभूतियां ली जाती हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि निर्मित मकान अथवा उस भूमि को, जिस पर इमारत बनाई गई है, गिरवी रखना प्रतिभूति के उद्देश्य से पर्याप्त नहीं समझा जाता, चाहे उस का मूल्य कुछ भी हो, जब तक कि उचित धनराशि के पालिसी-पत्रों को उक्त उद्देश्य के लिए गिरवी न रखा जाए ?

निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5575/66**] राज्य सरकारों को जीवन बीमा निधियां प्रति वर्ष 'पैकेज' आवंटन के रूप में उपलब्ध कराई जाती हैं, जो कि विभिन्न आवास योजनाओं के लिये उनकी आवश्यकता के अनुसार योजनावार उनका वितरण करती है।

(ग) विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत ऋणों की मंजूरी के लिये विस्तृत नियम स्वयं राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय हालतों तथा आवश्यकताओं के अनुसार बनाये जाते हैं। सामान्यतः उस ऋण से खरीदी गई भूमि तथा बनाये गये मकान को राज्य सरकार के पास प्रतिभूति के रूप में रहन रखना पड़ता है। कुछ राज्य सरकारें इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत जमानत भी लेती हैं।

(घ) जी नहीं।

प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली

855. **श्री राम हरख यादव :**
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **स्वास्थ्** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को चण्डीगढ़ के पास हाल में हुए अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा सम्मेलन का प्रतिवेदन मिल गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां। देश में इस प्रणाली के विकास के लिये एक प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रणा समिति सरकार को सलाह देती रहती है। प्राकृतिक चिकित्सा में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए इस समिति की सिफारिशों पर विभिन्न संस्थाओं को अनुदान दिए जा रहे हैं।

5—24 L. Sabha/66

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

गौहाटी मे भारत के रक्षित बैंक का शाखा कार्यालय

856. **श्री बसुमतारी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रक्षित बैंक ने अपने गौहाटी स्थित उप-कार्यालय को पूर्ण शाखा कार्यालय में बदलने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : जी, हां । गौहाटी में रिजर्व बैंक की एक एकीकृत (इण्टीग्रेटेड) शाखा, इमारत बन जाने के तुरन्त बाद खोल दी जायेगी ।

तिमारपुर, दिल्ली का पुनर्विकास

857. **श्री शिवचरण गुप्त :** क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने तिमारपुर क्षेत्र के पुनर्विकास की एक योजना तैयार कर ली है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले कई महीनों से बहुत से क्वार्टर खाली पड़े हैं;

(ग) ये क्वार्टर कब गिराये जायेंगे; और

(घ) निर्माण कार्य का दूसरा चरण कब आरम्भ किया जायेगा और यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग): 50 टूटे-फूटे क्वार्टरों को खाली कराने और तोड़ने की कार्यवाई शुरू की थी, ताकि पुनर्विकास का दूसरा प्रक्रम (फ़ेज़) शुरू किया जा सके । सिवाय एक के सभी क्वार्टर खाली करा दिये गये हैं । आशा है कि क्वार्टर इस वर्ष के मध्य तक गिरा दिये जायेंगे और स्थान साफ़ हो जायेगा ।

(घ) इसके बाद के प्रक्रम का शुरू होना और पूरा होना निधियों की उपलब्धि पर निर्भर करता है ।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को वातानुकूलित करना

858. **श्री दशरथ देव :** क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1962 में 'राष्ट्रीय आपातकाल' की घोषणा के बाद केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को वातानुकूलित करने के लिये कुल कितनी रकम ख़र्च की गई ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

धुवरन तापीय संयंत्र

859. **श्री मानसिंह पृ० पटेल :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने 'धुवरन' ताप बिजली घर का विस्तार करने के बारे में एक प्रस्ताव पेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां। चतुर्थ योजना के दौरान, 125/140--125/140 मैगावाट के दो सेटों का प्रतिष्ठापन करके 250 मैगावाट धुवरण ताप केन्द्र के विस्तार का एक प्रस्ताव गुजरात राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त किया गया था।

(ख) इसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

माही नदी का विकास

860. श्री मानसिंह पृ० पटेल :
श्री राम हरख यादव :
श्री शामलाल सर्राफ :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माही नदी की पूरी शक्ति के उपयोग हेतु विकास करने के बारे में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में गुजरात तथा राजस्थान के बीच हुए करार का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य को क्या लाभ पहुंचेगा; और

(ग) क्या ये योजनायें चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल की जायेगी और ये कब तक पूरी हो जायें गी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) और (ख): गुजरात में कदना बांध और राजस्थान में बंसवारा बांध के निर्माण के सम्बन्ध में गुजरात और राजस्थान के बीच समझौता हो चुका है। इन दोनों राज्यों को प्राप्त होने वाले लाभों के संबंध में समझौते का ब्यौरा संलग्नित विवरण में दिया गया है।

(ग) इन स्कीमों को चौथी योजना में शामिल करने के लिये विचार किया जा रहा है। यदि राशियां उपलब्ध हुई तो इन के चौथी योजना के अंत तक प्रचुर रूप में पूर्ण होने की संभावना है।

विवरण

माही नदी के विकास के लिये राजस्थान और गुजरात के बीच समझौता

कदना बांध

1. कदना बांध को पूर्ण जल स्तर 419.00 तक बनाया जाए। इस परियोजना की सारी लागत गुजरात द्वारा दी जाएगी और इस के सारे लाभ भी गुजरात को मिलेंगे। बाद में जब माही क्षेत्र नर्मदा में आ जाते हैं और कदना पानी का कुछ भाग राजस्थान में प्रयोग के लिये छोड़ा जाता है, राजस्थान को चाहिये कि वह इस प्रयोग के बदले में बांध की लागत का उपयुक्त भाग गुजरात को दे दे। सही सही भागों को उस समय निर्धारित किया जाएगा जबकि पानी की सप्लाई उपलब्ध हो जाएगी।

बंसवारा बांध

2. माही के ऊपर राजस्थान में स्थित बंसवारा बांध को पूर्ण जल स्तर 921.00 तक बनाया जाएगा। इस बांध की कुल लागत के कुछ भाग को बिजली के लिये, जो इस जलाशय के पानी से राजस्थान द्वारा उत्पन्न की जाएगी, नियत किया जाएगा। इस का हिसाब 1200 रुपये प्रति कि० वाट फर्म पावर के दर से लगाया जाएगा। यदि बांध की कुल लागत 14 करोड़ रुपये से बढ़ जाती है, तो उपर्युक्त प्रति कि० वाट नियत लागत को भी अनुपातत: बढ़ा दिया जाएगा।

3. चूंकि बाष्पीय हानियों समेत सिंचाई के लिये पानी का उपयोग गुजरात में 4000 करोड़ घन फुट और राजस्थान में 900 करोड़ घन फुट है, पूर्ण जलाशय स्तर 915.00 तक के बांध की लागत को गुजरात और राजस्थान के बीच 40 : 9 के अनुपात से बांटा जाएगा।

4. बांध को पूर्ण जलाशय स्तर 921.00 तक बनाने से 700 करोड़ घन फुट की संचय क्षमता अधिक हो जाएगी और यह बिजली उत्पादन की स्थायिता को सुनिश्चित करने के लिये क्षीण वर्षों में लाभदायक होगा। इस को ध्यान में रखते हुए, पूर्ण जलाशय स्तर 921.00 और पूर्ण जलाशय स्तर 915.00 पर बांधों की लागत के फर्क को राजस्थान ने देना मान लिया है।

5. बाद में जब नर्मदा का विकास हो जाए और माही क्षेत्रों को नर्मदा का पानी मिलना आरंभ हो जाए और माही का पानी राजस्थान में प्रयोग के लिये बंसवारा पर मिलने लग जाए तब राजस्थान को चाहिये कि वह गुजरात द्वारा दी गई बंसवारा परियोजना की लागत को वापस कर दे।

लाभ

इस समझौते से गुजरात में लगभग 7 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये माही नदी के पानी को प्रयोग में लाना संभव हो जाएगा। राजस्थान में लगभग 76000 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये और 32 मै० वाट बिजली के उत्पादन के लिये माही के पानी को प्रयोग में लाना संभव हो जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

861. **श्री धर्मलिंगम :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सम्बन्धी शासी परिषद् ने भारत में कई करोड़ डालर की परियोजनाओं का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन कौन सी परियोजनायें शामिल की जायेंगी; और

(ग) उन परियोजनाओं का कार्य कब से आरम्भ किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख): जनवरी, 1966 में संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कायक्रम की प्रबन्ध परिषद् (गवर्निंग काउन्सिल) ने, नीचे दी गयी पांच भारतीय प्रायोजनाओं के विदेशी मुद्रा सम्बन्धी खर्च के लिए 4,553,200 डालर की रकम निर्धारित की है।

प्रायोजनाएं	निर्धारित रकम (डालरों में)
1. गिण्डी मद्रास के प्लास्टिक और अन्य उद्योगों के लिए औजार, ठप्पे और सांचे बनाने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण और परामर्श सेवाएं . . .	864,700
2. कलकत्ता/नगर क्षेत्र जल और सफाई प्राधिकरण को सहायता . .	1,087,900
3. मीनक्षेत्र बन्दरगाहों का निवेशपूर्व सर्वेक्षण . . .	773,800
4. कलकत्ता क्षेत्र में दुग्ध-उत्पादन में सुधार और . . .	815,900
5. पेट्रोलियम अन्वेषण शाला, देहरादून (दूसरा दौर) . . .	1,010,900
जोड़ .	4,553,200

(ग) यह ठीक ठीक बताना सम्भव नहीं है कि इन प्रायोजनाओं में कब से काम शुरू होगा। पर अपने पहले के अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि सम्बद्ध प्रायोजनाएं, कार्यों की आयोजना तयार कर लिये जाने और उसकी स्वीकृति मिल जाने के छः महीने बाद शुरू हो सकती है।

Evasion of Taxes

***862. Shri J. P. Jyotishi :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of persons in each State against whom reports regarding the evasion of Central taxes have been received during the year 1965 ;

(b) the number of reports investigated into and the number of persons State-wise against whom action was taken after the investigation; and

(c) the amount of tax evasion detected?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Choudhuri) : (a), (b) & (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the House as early as possible.

आन्ध्र प्रदेश में आयकर कार्यालय का हटाया जाना

863. श्री द० व० राजू : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के पूर्व-गोदावरी जिले में रामचन्द्रपुरम में स्थित आयकर कार्यालय को वहां से हटा कर ककीनाडा में ले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को जनता तथा विधान सभा तथा विधान परिषद् के स्थानीय सदस्यों से कोई विरोधपत्र प्राप्त हुए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां। यह ककीनाडा में अतिरिक्त कार्यालयी स्थान मिलने पर ही हो सकेगा।

(ख) कार्यालय को ककीनाडा में रखना प्रशासन की दृष्टि से अधिक सुविधाजनक है।

(ग) सरकार को, विधान सभा के एक सदस्य, विधान परिषद के एक सदस्य तथा वकील परिषद के सचिव से कार्यालय को हटाये जाने के विरोध में अभिवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि विधान सभा के एक दूसरे सदस्य और बहुत से कर-निर्धारितियों और आयकर वकीलों ने निवेदन किया है कि कार्यालय को ककीनाडा स्थानांतरित कर दिया जाय।

केरल में भूमि सुधार

864. श्री प० कुन्हन : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार का विचार केरल भूमि सुधार अधिनियम में कोई संशोधन करने का है;

(ख) क्या यह सच है कि केरल सरकार का विचार "देवास्वाम भूमि" में विवाद के निवटाने के सम्बन्ध में एक विशष न्यायाधिकरण गठित करने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार "देवास्वाम भूमि" को प्रस्तावित भूमि कानून के क्षेत्राधिकार से अलग रखने का है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) यह विषय केरल राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ख) धार्मिक, दातव्य या शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अपने कब्जे की जमीन के सम्बन्ध में अपने हितों को सरकार को समर्पित करने के बारे में दिए गये आवेदनपत्रों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष भूमि ट्रिब्यूनल गठित करने का सुझाव, केरल राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ग) भूमि सुधार कानून सीमा क्षेत्र से देवास्वाम भूमि को छोड़ने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है।

तुंगभद्रा परियोजना

865. **श्री शिवमुर्ति स्वामी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तुंगभद्रा परियोजना क्षेत्र में कितने गांव डूब गये हैं;

(ख) उन में से कितने गांव बसाये जा चुके हैं;

(ग) उन में से कितनों को पानी का स्तर 1635 टी०बी०पी० हो जाने पर पुनः खाली कराना पड़ा; और

(घ) क्या प्रभावित व्यक्तियों को कोई प्रतिकर दिया गया है?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) 78

(ख) 78

(ग) 10

(घ) जी, हां।

दिल्ली में पानी की कमी की समस्या

866. **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्रीमती सावित्री निगम :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पानी की कमी की चिरकालीन समस्या का अध्ययन करने तथा उस के समाधान के लिये उपायों का सुझाव देने के लिये नियुक्त उच्च स्तरीय समिति ने अब तक कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस की सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) दिल्ली में पानी की सप्लाई को बढ़ाने से संबंधित विभिन्न प्रश्नों पर विचार करने तथा शुद्ध पेय जल के निरन्तर दिये जाते रहने के लिए आवश्यक समझे गय उपाय सुझाने के लिये श्री पुर्णेन्दु शखर नस्कर, भूतपूर्व स्वास्थ्य उपमंत्री तथा वर्तमान गृह उप मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। इस समिति की अन्तिम रिपोर्ट फरवरी 1966 के अन्त तक अथवा अगले महीने के प्रारम्भ तक मिल जाने की आशा है।

स्वर्गीय प्रधान मंत्री के कहने पर सचिवों की एक और समिति बनाई गई थी जिसका काम दिल्ली की जल पूर्ति संबंधी समस्याओं को देखना, उनके समाधान के लिये ठोस प्रस्ताव तैयार करना तथा विभिन्न एजेंसियों के आयोजन एवं क्रियान्वयन संबंधी गतिविधियों में तालमेल बैठाना है। यह एक स्थायी वस्तु है और इसे कोई औपचारिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते।

कुट्टियाडी सिंचाई योजना

867. **श्री प० कुन्हन :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंच-वर्षीय योजना में कुट्टियाडी सिंचाई योजना को पूरा करने के लिये कितनी रकम मंजूर की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : 1966-67 के दौरान इस परियोजना पर व्यय के लिए 38 लाख रुपये का प्रबंध किया गया है। चतुर्थ योजना की शेष अवधि के लिए प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

Planning Advisers in States

869. **Shri Sidheshwar Prasad:** **Shri D. C. Sharma:**
Shri K. C. Pant: **Shri Linga Reddy:**

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it has been decided to appoint Planning Advisers to watch the implementation of Development Programmes in the States; and

(b) if so, the States in which they have been appointed?

Minister of Planning (Shri Asoka Mehta) : (a) Yes, Sir.

(b) For the present, a Planning Adviser has been appointed for the State of Uttar Pradesh only, on a pilot basis.

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारत के प्रधान मंत्री तथा घाना के राष्ट्रपति के बीच बातचीत

Shri Kishan Pattnayak (Sambalpur) : I Call the attention of the Prime Minister to the following matter of Public importance and request her to give a statement thereon:

"Recent talks held between the Prime Minister of India and the President of Ghana".

श्री दाजी (इन्दोर) **:** यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रधान मंत्री ने पहले ही इस बारे में कांग्रेस संसदीय दल की कार्यकारिणी को बता दिया है तथा आज के समाचार-पत्रों में इस का विस्तृत ब्यौरा छपा है। सभा की यह परम्परा रही है कि जब सभा की बैठक हो रही हो, तो सभा की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुये, सूचना पहले सभा को दी जानी चाहिये। मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप यह सुनिश्चित करें कि ऐसी घटनायें भविष्य में नहीं दौहराई जायेंगी। जब सभा की बैठक हो रही थी तो वह कल सायं भी वक्तव्य दे सकती थीं। अब समाचार-पत्रों में यह खबरें पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि सभा की प्रतिष्ठा को कोई महत्व नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले भी कह चुका हूं कि अपने दल की कार्यकारणी समिति एवं सामान्य समिति में चर्चा करने पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु यदि इस की खबरें समाचार-पत्रों को देनी हों, तो सावधानी बरतनी चाहिये। यदि वक्तव्य समाचार-पत्रों को देना है हो इस सभा का यह अधिकार है कि सूचना पहली सभा को दी जाये। दल के अन्दर वे हर बात पर चर्चा करने को स्वतन्त्र हैं। परन्तु यदि समाचार-पत्रों को खबरें दी जाती है, तथा देश भर में इस की जानकारी हो जाती है, तो संसद् को सब से पहले इसकी सूचना दी जानी चाहिये।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : महोदय मुझे खेद है। दलको कोई वक्तव्य नहीं दिया गया।

कुछ प्रश्न पूछे गये थे तथा मैंने उन का उत्तर दिया था। मुझे खेद है कि समाचार-पत्रों में इसकी खबरें छपी हैं।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : यह पहला अवसर नहीं है तथा पहले भी ऐसी घटना हुई है। आपका ध्यान आकृष्ट करने पर आपने सरकार को सचेत किया था कि सूचना पहले समाचार-पत्रों को नहीं दी जानी चाहिये। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार आप के विनिर्णय की अवहेलना कर रही है।

श्री रंगा (चित्तूर) : समाचारपत्रों को सभा का अधिक सम्मान करना चाहिये, परन्तु वे सत्ताधारी दल को अधिक महत्व दे रहे है; यहां तक कि सत्ताधारी दल की कार्यकारिणी समिति तथा सामान्य समिति की कार्यवाही को सभा की कार्यवाही से प्राथमिकता दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : समाचारपत्रों पर मेरा कोई नियन्त्रण नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमारे निमंत्रण पर घाना के राष्ट्रपति डा० एनक्रूमा 22 फरवरी, 1966 को सायंकाल कुछ घण्टों के लिये दिल्लो में रुके थे। मैं ने विदेश मंत्री तथा अन्य व्यक्तियों ने उनका हवाई अड्डे पर स्वागत किया था। मेरी उनके साथ निजी रूप से बातचीत हुई थी। विभिन्न मामलों पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये थे।

उनके वियतनाम जाने का मुख्य उद्देश्य वहां शांति वार्ता आरम्भ करने के लिये प्रयत्न करना है अतः हम ने उनके सामने अपनी स्थिति स्पष्ट की है और उन्हें बताया है कि भारत भी शांति स्थापित करने के लिये सच्चे दिल से किये जाने वाले प्रयत्नों का, जो कि दोनों पक्षों को मान्य हों, समर्थन करना चाहता है। इस सम्बन्ध में उनका कोई प्रस्ताव नही है। वह केवल यह पता लगाने के लिये जा रहे है कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है।

यहां पहुचने से पहले वह कराची भी रुके थे और राष्ट्रपति अय्यूब खां के साथ भी बातचीत की थी। इस लिये इस अवसर पर काश्मीर के बारे में जो हमारी नीति है उसे स्पष्ट किया गया। इस के अतिरिक्त अफ्रीका तथा कुछ अन्य देशों में हो रही घटनाओं के बारे में भी उन्होंने अपना मत व्यक्त किया।

भारत-चीन सीमा के प्रश्न के बारे में अपनी नीति से उन्हें अवगत कराया गया क्योंकि वह पीकिंग भी जा रहे थे। समय अधिक नही था इस लिये हम इन प्रश्नों का केवल उल्लेख मात्र ही कर पाये।

Shri Kishan Pattnayak : The President of Ghana, Dr. Nkrumah is going to Peking, whether any suggestions regarding the position of Tibet and Colombo proposals has been placed before him by our Prime Minister?

Shrimati Indira Gandhi : No, Sir.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : May I know, whether the Prime Minister has talked to the President of Ghana, regarding China on the basis of Colombo proposals or on any other basis, keeping in view that China may agree to vacate an area of more than 20 thousand square miles of Kalaish and Mansrowar referred to in Colombo proposal, under certain conditions?

Shrimati Indira Gandhi : I have only made the position clear regarding Chinese activities on our borders. No other talks have been held.

Shri Bagri (Hissar) : Has any reference been made by the Prime Minister regarding the measures that may be taken to get back our territory, which has been captured by China ?

Shrimati Indira Gandhi : It does not follow from the main question.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Dr. Nkrumah had opposed the Colombo proposals, when they were initially put forward. May I know whether the Prime Minister has tried to change his heart like the late Prime Minister Shri Jawahar Lal Nehru ?

Shrimati Indira Gandhi : No, Sir.

श्री दाजी : प्रधान मंत्री ने कहा है कि वह हमारे निमंत्रण पर यहां आये थे। परन्तु उनके वक्तव्य से यह संकेत नही मिलता कि यह निमंत्रण किस कारण से दिया गया था। क्या इसका उद्देश्य वियतनाम के प्रश्न पर अथवा चीन सीमा विवाद के प्रश्न पर अथवा काश्मीर के प्रश्न पर विचार विमर्श करना था अथवा यह निमंत्रण केवल शिष्टाचार के नाते दिया गया था ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : वह कराची से रंगुन जा रहे थे। अत: शिष्टाचार के नाते हम ने उन्हें यहां रुकने को कहा था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिणपूर्व) : घाना कोलम्बो प्रस्तावों को पेश करने वाले राष्ट्रों का सदस्य था। इस बात को देखते हुये कि चीनने कोलम्बो प्रस्तावों को कभी स्वीकार नहीं किया है, क्या डा० एनक्रूमा ने ऐसा कोई संकेत दिया है कि भारत चीन सीमा विवाद को खत्म करने के लिये कोलम्बो शक्तियां कुछ अन्य नये प्रस्ताव पेश करने में पहल करेंगे ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया ।

श्री वारियर (त्रिचूर) : क्या सरकार ने डा० एनक्रूमा के सम्मुख कुछ व्यवहारिक प्रस्ताव रखे है जिन के आधार पर भारत चीन सीमा समस्या का बात चीत द्वारा हल निकाला जा सके ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जी, नहीं।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : ताशकंद घोषणा के बाद हमारे राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री ने कहा था कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ विवादों का शांतिपूर्ण हल करने का विशेष प्रयत्न करेंगे, क्या डा० एनक्रूमा के सामने चीन से सीमा विवाद हल करने के बारे में कोई प्रस्ताव इस लिये नहीं रखा गया, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम था ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : सीमा पर चीन के आक्रमक रवैये को देखते हुए हमारे लिये इस बारे में कोई पहल करना संभव नही है।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : क्या डा० एनक्रूमा ने प्रधान मंत्री को इस बारे में कोई संकेत दिया है कि चीन भारत-चीन सीमा के प्रश्न पर भारत से बात चीत करने को तैयार है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : राष्ट्रपति एनक्रूमा पीकिंग जा रहे थे। वह अभी चीनी नेताओं से नहीं मिले हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The President of North Viet Nam has sent a communication to our President that India should discharge her responsibilities as Chairman of the International Control Commission.

[Shri Madhu Limaye]

The Prime Minister has also stated that Dr. Nkrumah is proceeding to Viet Nam, I want to know whether the Prime Minister has taken this opportunity and has expressed India's anger and resentment to Hanoi over the statements published in the newspapers of North Viet Nam alleging India as an aggressor and an agent of American imperealists at the time of our conflict with Pakistan?

Shrimati Indira Gandhi : The matter is over. Tashkent agreement has been signed. I have expressed no resentment.

अध्यक्ष महोदय : एक और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया गया है ।

Shri Bade (Khargone) : I have given a notice for an adjournment motion regarding Delhi Cloth Mills.

Mr. Speaker : Please take your seat.

Shri Bade : There had been a lathi Charge.

Mr. Speaker : I have admitted a calling attention notice regarding Delhi Cloth Mills. It will be taken up at 5 p.m. No adjournment motion can be admitted regarding this matter.

Shri Bagri (Hissar) : There had been lathi charge and other excesses also.

भारत-पाकिस्तान सीमा परिस्थिति

SITUATION ON INDIA-PAKISTAN BORDER

अध्यक्ष महोदय : अब 23 फरवरी को, भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थिति के बारें में, प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा सभा पटल पर रख गये विवरण पर प्रश्न पूछे जायेंगे ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : After going through the statement laid on the Table by the Defence Minister, I have come to the conclusion that, that is a very important statement and as such half an hour is too short time for asking questions. I therefore, request that some more time may be allotted, so that each aspect of the statement may be discussed.

Mr. Speaker : I can not allot any time, unless I receive a notice for that.

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा है कि ताशकंद घोषणा के आधार पर होने वाली दोनों देशों की मंत्री स्तरीय बैठक में काश्मीर के प्रश्न को कार्यावलि में सम्मिलित नहीं किया जायगा । काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तथा इस बात को दृष्टि में रखते हुये, क्या सरकार यह स्पष्ट आश्वासन देगी कि काश्मीर के प्रश्न पर अब पाकिस्तानी नेताओं के साथ कभी चर्चा नहीं की जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : काश्मीर की प्रभुसत्ता के बारे में बातचीत होने का कोई प्रश्न नहीं है । इस बारे में हम अपनी बात पर दृढ़ हैं ।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यह निश्चित है कि काश्मीर की प्रभुसत्ता के बारे में चर्चा नहीं की जायेगी ।

श्री म बरुआ : मेरा प्रश्न भन्न ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भिन्नता है। सरकार कहती है कि काश्मीर की प्रभुसत्ता बातचीत का विषय नहीं बन सकती तथा माननीय सदस्य चाहते है कि क्योंकि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस लिये इस के बारे में कोई चर्चा नहीं ही होनी चाहिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस बैठक का उद्देश्य आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र को बढ़ाना है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या राजनीतिक नहीं है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : नहीं, हमारा उद्देश्य राजनीति संबंधी मामलों पर विचार करना नहीं है तथापि यदि वे राजनीतिक प्रश्न उठायेंगे, तो हमें अपने पक्ष का समर्थन करना होगा।

श्री हेम बरुआ : हमने अपनी स्थिति ताशकंद में बता दी, अब हम बार बार काश्मीर के बारे में हर जगह क्यों चिल्लाते रहते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप ताशकंद समझौते के अन्तर्गत कुछ अनियमित सेनाओं को निर्माण की अनुमति दे रहे है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस बारे में मैं स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। 1948 के करार के अन्तर्गत नियमित सेनाओं की बात थी इस दिशा में हमारे सेनाध्यक्ष का सुझाव ठीक था कि खिचाव को पूर्णत: समाप्त करने की दष्टि से यह 'मुजाहिद' इत्यादि संस्थाओं को समाप्त कर दिया जाय। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। वह इस मामले में अपनी सरकार का परामर्श करना चाहते थे। मेरा निवेदन यह है कि मुझे बाध न किया जाये कि मैं कुछ गोपनीय बातें बताऊं।

श्री रंगा : माननीय मंत्री का वक्तव्य संतोषजनक नहीं हैं। बहुत अस्पष्ट है। हम युद्ध विराम को भंग करने की शिकायतें तो संयुक्त राष्ट्र संघ से किये जा रहे हैं। परन्तु हमारी जो कठिनाइयां हैं, उनका कोई उपचार नहीं हो रहा। दोनों ओर के तत्संबंधी मामलों को निपटाने के लिये यदि दोनों देशों के भूत-पूर्व न्यायाधीशों का एक बोर्ड बन जाये तो अच्छा है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम इस समय ऐसी किसी चीज पर विचार नहीं कर रहे इस समय संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से तथा परस्पर बातचीत करके मामले सुलझाना ही ठीक है। हमारे कमांडरों की बठक होगी और वह तत्संबंधी मामलों पर विचार करेंगे।

श्री ही० ना० मुकर्जी : हमारा विचार तो यही है कि घुसपैठियों का मामला भी ताशकंद घोषणा के अन्तर्गत आ जाता है। 'मुजाहिद' रजाकार, यह नयी नयी बातें सुनने में आ रही हैं। यह सब समाप्त होनी चाहिय। य लोग तो किसी न किसी रूप में आते ही रहेंगे। तो क्या यह लोग आते ही रहेंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इसी दृष्टि से ही हमारे सेनाध्यक्ष ने यह सुझाव दिया था जिससे कि इस तरह की बातों को रोका जा सकता है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : हमारे सेनाध्यक्ष ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, परन्तु दुसरी ओर से पाकिस्तान सरकार के परामर्श की बात की गयी। मेरा कहना है कि मुजाहिदों और रजाकारों की 1948 और 1949 वाली स्थिति स्वीकार करनी होगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह यथार्थवाद की बात है, जैसी स्थिति है, उसके साथ वैसे हो निपटना होगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या सेना की स्थिति वहां 1949 जितनी कर दी जायगी। मुजाहिदों की स्थिति किस अनुपात में स्वीकार की जायेगी।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमें अधिक से अधिक सैनिक क्षमता बनाये रखने का प्रयास करना है। जितनी कि अनुमति होगी, उतनी बनाये रखेंगे, उतनी क्षमता दुसरी ओर भी उतनी ही होगी। वार्ता सफल हुई तो अनियमित तत्वों के साथ वैसे ही निपट लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि हममें 'मुजाहिदों' और 'रजाकारों' को निकालने के बारे में सहमति न हो सकी तो ये लोग अतिरिक्त सैनिक होंगे जो कि इस ओर बने रहेंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमें निश्चित रूप में इस दिशा में प्रयास करना है। परन्तु आधार 1949 का करार ही होगा। और उस करार में "सैनिक क्षमता" शब्द का प्रयोग है और उसकी परिभाषा में यह तत्व भी आते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह ठिक है, मतलब यह हुआ कि सैनिक क्षमता उतनी कर दी जायगी, जितनी 1949 को थी। परन्तु अब रजाकार तो नया तत्व है ......

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह तत्व नया नही, वह पहले ही था। हम इस समस्या को हल करने का नये रूप से प्रयास कर रहे हैं। "सैनिक क्षमता" से इन तत्वों को अलग रखने का विचार है।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि अब भी सदन का सन्तोष न हुआ हो, सरकार को यह बात महसस करनी चाहिये। माननीय सदस्यों को भय है कि इस पर विवाद हो जायेगा और हो सकता है कि इसका कोई सन्तोषजनक हल न निकल सके। यदि इन लोगों को न निकाला गया, तो घुसपैठियों के भारी संख्या में आ जाने का भय बना रहेगा। और यदि यह खतरा निरन्तर बना हीं रहा तो, समझौते का क्या लाभ हुआ ?

श्री नाथ पाई : शरारत के यहीं पर समाप्त होने की आशा नही। प्रतिरक्षा मंत्री की ओर किस प्रकार का उत्तर दिया जा रहा है। सरकार इस मुजाहिदो और राझकारों को जम्मू और काश्मीर राज्य में खुले आम विचरने की अनुमति दे रहे हैं। उनकी उपस्थिति तो भारत में स्वीकार की गयी है।

अध्यक्ष महोदय : सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

श्री नाथ पाई : स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम कोई गद्दारी नहीं कर रहे। हम अपेक्षित राजनितिक अर्थ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हमें जो भी करार है उसे ताशकन्द समझौते के अनुसार कार्यन्वित करना है। हमें करार की भावना भी देखनी होगी। हमें इस दिशा में अपने दिलों को साफ करना होगा। युद्ध विराम की शर्तों के पालन करने की बात हमें माननी पड़ेगी। सीमा से बाहर जाकर हमें उसका कोई राजनीतिक अर्थ निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

श्री ज० ब० कृपलानी (अमरोहा) : यदि यह स्थिति है तो ताशकन्द समझौते के बारे में आधारभूत गलती है और उसकी व्याख्या किसी भी प्रकार से की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : ताशकन्द समझौते के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : प्रतिरक्षा मंत्री की व्याख्या से बहुत भारी भ्रांति पैदा हो गयी है। अच्छा होता कि हम वहीं रहते जहां पर थे। उनकी बातों से तो यह लगता है कि 'मुजाहिद' और रजाकार वहां बने रहेंगे। यह बहुत असहनीय स्थिति है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमने आधार भूत रूप से उनके किसी अधिकार को स्वीकार नहीं किया। मै तो केवल 1949 के करार का उल्लेख कर रहा था। मुझे माननीय सदस्यों की आशंकाओं का पूरा आदर है, हमें इस दिशा में सचेत होना ही होगा। उनके किसी अधिकार को मान्यता देने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री त्यागी (देहरादून) : क्या हमारे सेनाध्यक्ष ने इस सुझाव को प्रस्तुत करने से पूर्व सरकार की अनुमति प्राप्त की थी। क्या यह ताशकन्द करार से भी ऊपर है। क्या यह समझौता अलग से है ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : यह बिलकुल अलग समझौता है। इसके अनुसार फौजों की संख्या कम की जानी है। माननीय सदस्यों को शायद भ्रांति है। इसका युद्ध विराम समझौते के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। सेनाध्यक्ष के इस सुझाव पर, इसे प्रस्तुत करने से पूर्व मंत्रिमंडलीय समिति ने इस पर विचार किया था।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या इस संदर्भ में सरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव और उनके राजनीतिक अंगों पर भी विचार करेगी ? क्या होने वाली बैठक में आर्थिक समन्वय पर भी विचार होगा अथवा यह बैठक बिना किसी एजेन्डा के ही होगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : एजेन्डा के सम्बन्ध में मेरे पास जानकारी नहीं है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : प्रधानमंत्री को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिये। हम इसका उत्तर चाहते हैं।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मेरे विचार में मैंने पहले भी कहा था कि एजेन्डा कोई नहीं था। बाद में पाकिस्तान की ओर से एक एजेन्डा आया था, परन्तु हमने उनको लिखा कि इन बातों को छोड़ कर हमें उन बातों पर विचार करना चाहिए जिनका सम्बन्ध आर्थिक तथ अन्य मामलों से है।

श्री श० ना० चतुर्वेदी (फिरोजाबाद) : क्या 1949 में समझौता हुआ था उसमें केवल सैनिक क्षमता की बात थी। क्या इसके अन्तर्गत मुजाहिदों और रजाकारों को मान्यता दी जा सकती है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : 1948 के करार के अन्तर्गत "सैनिक क्षमता" की परिभाषा की गई है।

Dr. Ram Manohar Lohia : The Defence Minister is hesitating to tell the House the limits of Indian Army. He can at least let the House know the position of Pakistan under the agreement of 1948. I may also tell you the meaning of Mujahids and Rajakar. Mujahid means crusadors and Rajakar means volunteers. These crusadors and volunteers are struggling to liberate Kashmir. If you allow them come to Kashmir, it means you give this right to Pakistan to work for liberation of Kashmir. Pakistan will be free to mobilize the force of one or two lakhs of Rajakars and Mujahids and invade Pakistan. I want to know whether Government will give up this part of the agreement and say before the people that it is being given up as it is not in the interest of the people?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब हम युद्ध विराम रेखा को स्वीकार करते हैं तो यह मानना पड़ता है कि जम्मू और काश्मीर का कुछ भाग उनके कब्जे में है। परन्तु हमने उनके कब्जे को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने यदि इस दिशा में कोई प्रयास किया तो निश्चय ही उसका मुकाबला किया जायेगा। कठिनाई यह है कि कुछ बातों के बारें में गलतफहमी है। हमने उनको यह अनुमति कभी न दी है और न देंगे कि वे इधर आ कर इस क्षेत्र को आजाद करायें। हम सारे काश्मीर को अपनी प्रभुसत्ता में मानते हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia : My question has not been correctly answered.

Mr. Speaker : Whatever information he had placed before the House. Nothing more.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : क्या सरकार को स्वर्गीय श्री नेहरू के उस पत्र का पता है जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र आयोग को लिखा था, जिसमें उन्होंने जम्मू और काश्मीर न लिखकर केवल वहां की "विचित्र स्थिति" का ही उल्लेख किया था। अब इस संदर्भ में 'जम्मू और काश्मीर राज्य' का स्पष्ट उल्लेख क्यों किया जा रहा है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने स्पष्ट कहा है कि हम सारे काश्मीर को ही अपना समझते हैं, और उसका उल्लेख जम्मू और काश्मीर राज्य के रूप में करते हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे गये पत्र ..... (अन्तर्बाधायें)

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : मैं अनावृष्टि के कारण राज्यों में बिजली की कमी के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। दखिये संख्या एल० टी० 5552/66**]

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : This is not correct to give chance to those who are occupying the Front Benches.

अध्यक्ष महोदय : श्री शचिन्द्र चौधरी ....

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : मैं आर्थिक सर्वेक्षण, 1965-66 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5553/66**]

Shri Prakash Vir Shastri : As I protest against your decision I walk out of the House.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री सभा से बहिर्गमन कर गये

Shri Prakash Vir Shastri then left the House.

काली मिर्च सम्बन्धी प्रस्ताव

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : मैं काली मिर्च के बारे में दिनांक 1 जनवरी, 1966 के सरकारी संकल्प संख्या 3/12/65 ई० पी० (एग्री) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5554/65**]

लोक ऋण अधिनियम आदि के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : श्री भगत की ओर से मैं निम्न लिखित सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) लोक ऋण (संशोधन) नियम 1966 जो दिनांक 22 जनवरी 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 109 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) लोक ऋण (प्रतिकर बाण्ड) संशोधन नियम 1966 जो दिनांक 22 जनवरी 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 110 में प्रकाशित हुए थे।

[**पुस्तकालय में रखी गयी। दखिये संख्या एल० टी० 5555/66**]

(2) भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूतियों के लिए अनुमोदित विनियोजनों के लिए विनियोजन प्रत्याभूति कार्यक्रम के बारे में भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका को सरकार के बीच हुए दिनांक 2 जनवरी 1966 के करार की एक प्रति । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 5556/66**]

(3) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम 1934 की धारा 28 के परन्तुक के अन्तर्गत रिजर्व बैंक आफ इण्डिया (नोट लौटाना) संशोधन नियम 1965 की एक प्रति जो दिनांक 5 फरवरी 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 5557/66**]

(4) बीमा अधिनियम 1938 की धारा 114 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत बीमा (दूसरा संशोधन) नियम 1965 की एक प्रति जो दिनांक 1 जनवरी 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 45 में प्रकाशित हुए थे । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 5558/66**]

(5) आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 280 जेड ई की उप-धारा (4) के अन्तर्गत अधि-सूचना संख्या जी० एस० आर० 135-क की एक प्रति जो दिनांक 25 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें दिनांक 13 दिसम्बर, 1965, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी० एस० आर० 1834 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 5559/66**]

(6) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944, की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 25 वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 5 फरवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 177 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 23वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 5 फरवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधि-सूचना संख्या जी० एस० आर० 178 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 24वां संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 5 फरवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधि-सूचना संख्या जी० एस० आर० 179 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 26वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 5 फरवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधि-सूचना संख्या जी० एस० आर० 180 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 27वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 5 फरवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधि-सूचना संख्या जी० एस० आर० 181 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 28वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 5 फरवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधि-सूचना संख्या जी० एस० आर० 182 में प्रकाशित हुए थे ।

[**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 5560/66**]

[श्री ल० ना० मिश्र]

(7) सीमा-शुल्क अधिनियम 1962, की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी०एस०आर० 183 जो दिनांक 5 फरवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) सीमा-शुल्क बाण्ड के अन्तर्गत निर्माण (सामान्य) तीसरा संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 5 फरवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 184 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) जी० एस० आर० 185 जो दिनांक 5 फरवरी 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(चार) जी० एस० आर० 186 जो दिनांक 5 फरवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था । **[पुस्तकालय में रखी गयी । दखिये संख्या एल० टी० 5561/66]**

1964-65 के लिए दिल्ली विकास प्राधिकार का प्रशासन प्रतिवेदन

निर्माण, आवास और नागरिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : मैं दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 26 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकार के वर्ष 1964-65 के प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 5562/66]**

खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम

स्वास्थ्य तथा परिवार आयोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : मैं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1965, की एक प्रति, जो दिनांक 11 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1814 में प्रकाशित हुये थे, सभा पटल पर रखता हूँ । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 5563/66]**

केरल विद्युत् शुल्क अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनायें

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) : राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965, को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित केरल विद्युत शुल्क अधिनियम, 1963, की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत मैं निम्न लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 116/64 जो दिनांक 28 अप्रैल, 1964 के केरल के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 401/65 जो दिनांक 9 नवम्बर, 1965 के केरल के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 5564/66]**

लोक-लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

तैंतालीसवां प्रतिवेदन

Forty-third Report

श्री मोरारका (झुनझुनु) : मैं विनियोग लेखे (डाक और तार) 1963-64 और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (डाक और तार), 1965 के बारे में लोक-लेखा समिति का तैंतालीसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

राष्ट्रपती के अभिभाषण पर प्रस्ताव—जारी

MOTION ON PRESIDENT'S ADDRESS—*contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव तथा उनपर प्रस्तुत किये गये संशोधनों पर आगे चर्चा करेंगे। श्री ओंकार सिंह अपना भाषण जारी रखेंगे ।

Shri Onkar Singh (Budaun) : In continuation of my yesterdays observations on the food situation, I want to emphasize the utter futility of the food zones. When people are starving in one part of the country, the Chief Ministers' decision in favour of imposing restrictions on movement of foodgrains within the country appears to be very wrong. The Americans can make sacrifices but our Chief Ministers can never relent. This is so ridiculous. We should soon do away with the zone system.

On account of the wrong policies of the government, the spirit of co-operation between its different departments has been gradually languishing during all these eighteen years. When the Chief Ministers can decide to oppose the decisions of the Centre, there is no reason why non-cooperation between employees of different departments should not appear and start hindering their efficiency.

The benefits from the Family Planning Scheme, undertaken by Government, are not commensurate with the huge amount being spent on it. For that purpose our old system enjoing upon the following by our people of the four *ashramas* in life namely, Brahmacharya, Grihastha, Vanprastha and Sanyas, was so helfful. We had before give up the European methods and stick to our own ancient traditions. We will have to make people realise that it is not the Government's part but the duty of each one of them to help succeed the family planning scheme. Our old formula was a great help in this behalf; the current methods are encouraging and facilitating corruption which is harmful to the country's interests.

As to our policy regarding making of atomic bombs, I would submit that just as at the time of China's last invasion, we were put to heavy losses and the Chinese occupied our territories which the Government has since been hard put to it to recover from the enemy, in the absence of atomic weapons, we may have to meet set backs again if China used atomic weapons against us. Government cannot say definitely whether they can take back the lost territories from China or not, and if they have any idea of taking such action, when and how do they propose to do so.

If the cultivator is provided with ample irrigation facilities, the food production can go up. It is very difficult to form a correct idea of the food situation because of the varying figures regarding scarcity given by Government from time to time, the scarcity is told to be 8% at one time and 12% at the other. I think the scarcity of foodgrains is not to that extent to which the Government refers. Our own land can meet our needs and make up for the scarcity in foodgrains.

श्री शिवचरण गुप्त (दिल्ली) : यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष है और शीघ्र ही देश में चौथी पंच वर्षीय योजना आरम्भ होनेवाली है । 1962 के चीनी आक्रमण तथा पिछले वर्ष के पाकिस्तानी हमले के कारण, जनता, प्रशासन तथा हमारी अर्थ व्यवस्था पर काफी बोझ पड़ा है और सब ही क्षेत्रों में योजना के लक्ष्य अधूरे रहे हैं। हमारे जवान वीरता से लड़े हैं, लोगों ने एक होकर स्थिति का सामना किया है और स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा देश का नेतृत्व बड़ी दूरदर्शता तथा कुशलता से किया गया है। ताशकन्द घोषणा हमारी नीति तथा मर्यादा के अनुकूल है। शास्त्रीजीने संसार को दिखा दिया कि जहां देश अपने सम्मान तथा अखण्डता के लिये वीरता से लड़ सकता है, वहां भारत तथा पाकिस्तान के 60 करोड़ लोगों के लिये शान्ति का संदेश भी दे सकते हैं।

[श्री शिवचरण गुप्त]

अब हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विदेशी मुद्रा का संकट, कृषिक तथा औद्योगिक उत्पादन में कमी, मूल्यों में वृद्धि, एकाधिकार में वृद्धि को रोकने का प्रश्न तथा अपने प्रतिरक्षा और गुप्तवर्ता सेवा को दृढ तथा उनमें सुधार करने के ऐसे ही मामले हैं। परन्तु योजनाओं को कार्यान्वित करना भी एक और समस्या है। इस सम्बन्ध में सरकार कुछ विशेष नही कर पा रही है। तीसरी योजना के प्रारम्भ के समय कहा गया था की बड़े मामले के सम्बन्ध में दूसरे प्राधिकारियों से परामर्श केवल बड़े बड़े मामलों पर ही नहीं किया जायेगा। अत: छोटी छोटी बातों में समय नष्ट होता है और कार्य में भी बाधा पड़ती है। आवश्यकता इस बात की है कि किसी कार्य के लिये व्यक्तियों का अलग अलग उत्तरदायित्व निश्चित किया जाये। यदि कोई व्यक्ति अपना कार्य ठीक से न करे तो उसे बदलना चाहिये। भ्रष्टाचार के कारण बहुत से पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती रही है परन्तु मैं ने ऐसा कहीं नहीं देखा है कि कोई अधिकारी अपने उत्तरदायित्व को ठीक से न निबाहने पर दंडित किया गया हो। सरकार को ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये जो अपने उत्तरदायित्व को ठीक से न निबाहते हों। डाक्टर ज़ाकिर हुसेन ने 1963 में इस सम्बन्ध में बड़े ही सुन्दर शब्दों में अपने भाव व्यक्त किये थे। उनके अनुसार वर्तमान प्रशासन में जो रुखापन, संकोचीपन और सहानुभूति की भावना का अभाव तथा बड़प्पन के कारण दूर रहने की प्रवृत्ति विद्यमान है वह हमारे पूर्व विदेशी प्रशासन से हमें विरासत के रूप में मिली जान पडती है।

जातीयवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, इत्यादि भी कुछ ऐसी बुराइयां हैं जो हमें अंग्रेज़ी प्रशासन से संविरासत के रूप में मिली हैं जिनको हमारा यह प्रशासन अभी तक दूर नहीं कर सका है।

यह अच्छा है कि श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासकीय सुधार आयोग बनाया गया है। सरकार को कुछ कार्यवाही इस आयोग की रिपोर्ट आने तक करनी चाहिये। कुछ समय पहले एक अनुदेश निकाला गया था कि कोई कागज 24 घंटे से अधिक फ़ाइल पर न रहे। यदि उस अनुदेश का ठीक से पालन किया जाये तो भ्रष्टाचार तथा क्षमता की कमी बहुत कुछ को दूर किया जा सकता है।

विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना चाहिये जिस से हमारे उद्योगों का उत्थान हो। इस सम्बन्ध में तत्काल ही कुछ कार्यवाही होनी चाहिये। सरकार को यह देखना चाहिये कि क्या स्टेनलेस स्टील, कपास तथा कृत्रिम रेशमी धागे का आयात जो विलास-वस्तुयें बनाने के लिये मंगाये जाते हैं, बहुत आवश्यक है। यदि ऐसे सामान के आयात को देश के विकास के लिये आवश्यक वस्तुओं के सामान के आयात को हानि पहुंचाते हुए जारी रखा जायेगा तो परिणाम बहुत बुरे होंगे।

कृषि मंत्री की बहुत सी आलोचना अनावश्यक रही है। देश में कृषि के उत्थान के लिये जो भी कार्यवाही 1966-67 में की गई है वह तो ठीक है परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारे यहां कृषि प्रकृति पर निर्भर है।

कृषि से सम्बद्ध केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की दुहरी ज़िम्मेदारी के कारण भी केन्द्रीय सरकार अधिक कार्यवाही नहीं कर पाती। रूस जैसे देश में जहां मशीनों से खेती होती है खाद्यान्न की कमी हो गई थी और अमरीका से आयात कर के खाद्यान्न मंगाना पड़ा था। परन्तु हमें इससे प्रोत्साहित न होना चाहिये और उत्पादन बढ़ाने की ओर ही ध्यान देना चाहिये। बंगाल में जो कुछ हुआ है वह न होता तो अच्छा ही था। दमन के स्थान पर आग्रह अधिमान देना चाहिये था। चावल न देकर गोलियों का प्रयोग किया जाना अच्छा नहीं रहा।

खाद्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के पृष्ट 4 में लिखा है कि बच्चों, गर्भवती तथा बच्चों को दूध पिलाने वाली स्त्रियों तथा वृद्ध और बिमार लोगों को पोषाहार दिया जायेगा।

परन्तु मंत्री महोदय को ग्रामों में उन मजदूरों की कठिनाइयों का पता नहीं है जिनके पास भूमि नहीं है। अतः ऐसे लोगों को भी पोषाहार दिये जाने का प्रबंध होना चाहिये।

मूल्यों के बराबर बढ़ते जाने की समस्या के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि अत्यावश्यक वस्तुयें सरकारी कर्मचारियों तथा ग़रीब और निम्न वर्ग के लोगों को उचित मूल्य पर दिये जाने का प्रबन्ध होना चाहिये। परन्तु इस प्रश्न पर स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गान्धी द्वारा ज़ोर दिये जाने पर भी पिछले 15-18 मासों में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है।

सरकार ने बोनस घोषित कर दिया है। परन्तु यह देखना चाहिये कि क्या इस योजना द्वारा मुल्यों के बढ़ने से उत्पन्न होने वाले कुप्रभाव में जो कि सरकारी कर्मचारियों तथा दूसरों की मजूरी पर होगा, कमी होगी।

चौथी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि गोलमाल नीति तथा योजना का अदक्षता से कार्यान्वित किये जाना हमें प्रगति की ओर नहीं ले जा सकती। यदि हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार हो तो हमें वहां ग्रामीण उद्योगों की स्थापना करनी चाहिये।

हम मिलीजुली अर्थव्यवस्था की बात सोच रहे हैं। परन्तु यदि हम ग्रामीण उद्योगों तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान नहीं देंगे तो अच्छे परिणामों की आशा नहीं की जा सकती। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में जब से समाजवाद को हम ने अपना लक्ष्य चुना है, हमारे यहां विकास तो काफ़ी हुआ है परन्तु ग़रीब और अमीर के बीच जो अन्तर है वह कम नहीं हुआ है। एक ओर आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाला वर्ग है और दूसरी ओर ऐसे बहुत से लोग हैं जो गंदगी और निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रहे है। जन-साधारण की आवश्यकताओं की वस्तुओं के स्थान पर विकास-वस्तुओं का उत्पादन अधिक किया जा रहा है। उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये हैं कि उपभोक्ता उद्योगों की स्थापना की जाये और एक व्यक्ति को दूसरा औद्योगिक लाइसेन्स तब दिया जाय जब वह पहले को कार्यान्वित कर लें। उन्होंने उन उद्योगों के लिये लाइसेन्स व्यवस्था समाप्त करने का सुझाव भी दिया जिन के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। लाइसेन्स व्यवस्था में कुछ नर्मी लाने से आयात प्रतिस्थापन को सहायता मिलेगी।

यह बड़े दुःख की बात है कि सरकार ने अभी तक एकाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अन्तर्गत लम्बी अवधि वाले तथा अल्पकालिक उपायों को छोड़ अन्तरिम उपायों पर भी विचार नहीं किया है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रतिपक्षी दल के कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि आपात को अब हटा देना चाहिये। परन्तु बंगाल में जो घटनायें हुई हैं उनको देखते हुये मैं कहूंगा कि प्रतिपक्षी दल के सदस्य सरकार की आलोचना न कर कि बंगाल विधान सभा में हुई घटनाओं की आलोचना करते कि वहां वित्त मंत्री को अपना वक्तव्य तक नहीं देने दिया गया।

Shri A. S. Saigal (Janjgir) : The President has spoken about the necessity of our working for peace in the world. As a world-renowned philosopher it was natural for him to have stressed that peace is essential for our own development and progress and for the well being of all peoples. According to him have to rise above the differences of religion, caste and creed and strive to strengthen international co-operation and non-interference in the internal affairs of others and follow the policy of non-alignment and settling of our disputes in a peaceful manner.

[Shri A. S. Saigal]

But we have not been as much successful in the field of peaceful coexistence as was expected. In my opinion the reason for this has been lack of spiritual element in the process of execution. I would like to draw your attention towards pages 261 and 263 in the book "God to man and man to God' by Mr. C.V. Purdoon wherein it has been said that spiritual workers have to redeem the world from the theories of imagined quality by bringing home to people the Truth of the unity of all life. It is not enough that one should have freindliness and goodwill in one's heart but one has to bring home to others the connection that one is helping others to redeem themselves from boundage and suffering and to realise the highest to which they are heirs. Thatis the only way to spiritual freedom and enlightenment. So, we have to mould politics on the ideals of Rama, Krishna, and Gura Nanak and Mehr Baba if we want that the dreams of the President should fulfil. It was Gandhiji who had also realised the importance of this "inner voice". Our Government should also give thought to it.

In time, I could call upon the Government to declare 300th birth anniversary of Guru Govind Singhji following on 18-1-1967, to be a national festival. The Guru was a protector of the rights of the poor. I welcome the Address delivered by the President.

श्री दाजी (इन्दौर) : मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है कि राष्ट्रपतिजी का अभिभाषण नीरस है तथा उस से कोई प्रेरणा नहीं मिलती।

सरकार की ग़लत नीतियों के कारण आज स्थिति यह है कि आर्थिक संकट बढ़ रहा है और राजनीतिक क्षेत्र में अदूरदशता उत्पन्न हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने हाल ही में कहा है कि आर्थिक संकट हमारी सीमा पर होने वाले खतरों से कहीं बढ़ कर है। आज का सब से बड़ा संकट यह है कि 6 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं और केवल 60 मुठ्ठीभर परिवार राष्ट्र के धन पर नियंत्रण कर रहे हैं। महालनोबिस समिती तीसरी पंच-वर्षीय योजना के प्रारम्भ में बनायी गई थी परन्तु उसकी रिपोर्ट आने पर सरकार ने दूसरी समिति नियुक्त कर दी। जब इस समिति ने अपनी रिपोट दी है तो सरकार ने सचिवालय स्तर पर एक समिति नियुक्त कर दी है। वित्त मंत्री ने कहा था कि इस समिति की रिपोर्ट आने पर एक उच्चाधिकारयुक्त समिति बनाई जायेगी, फिर सरकार के सामने विधेयक रखा जायेगा और संयुक्त प्रवर समिति के बनने तक तो संसद् का काम ही समाप्त हो जायेगा। इस से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार अपनी आर्थिक नीतियों में कोई परिवतन नहीं करना चाहती। यदि ऐसा ही होता रहा तो टाटा और बिरला का पेट भरता रहेगा और देश की आर्थिक समस्याओं को सुलझाना कठिन हो जायेगा।

राष्ट्रपतिजी ने उन कमियों के बारे में कुछ नहीं कहा है जो योजना आयोग ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में की गई जांच के बाद उसके कई क्षेत्रों में बताई हैं। इस प्रकार असलियत की तरफ़ आंख बन्द करने से किसी समस्या को नहीं सुलझाया जा सकता।

जहां तक उर्वरकों का प्रश्न है, श्री सुब्रण्ह्मयम ने संयुक्त राष्ट्र अमरीका में उर्वरकों के सौदे के समय देश के हितों को बिलकुल नजर अंदाज़ कर दिया है।

सीमेन्ट उद्योगपतियों ने यह धमकी दी कि यदि सरकार सीमेन्ट के मूल्य में वृद्धि नहीं करेगी तो वे माल नहीं भेजेंगे। सरकार द्वारा उनकी इस धमकी के सामने झुकने से सीमेन्ट का मूल्य बढ़ा और अब चौथी योजना में नये सीमेन्ट कारखाने बनाये जा रहे हैं।

अब एक वीज फार्म पंजाब में बनाया जा रहा है। वह भी ग़ैर सरकारी क्षेत्र में है और बिरला द्वारा बनाया जा रहा है। इस का विरोध केवल प्रतिपक्ष की तरफ़ से ही नहीं, अपितु कांग्रेस में भी हुआ है।

हमारी कठिनाइयों का कारण समाजवाद की कमी है न कि अधिक समाजवाद है। ऐसा हो सकता है कि सरकारी क्षेत्र में कभी कभी व्यवस्था उतनी क्षमता से न हो परन्तु इस का यह मतलब नहीं कि गैर सरकारी क्षेत्र में अव्यवस्था अवश्य होगी। सरकारी क्षेत्र में अव्यवस्था का पता इस लिये चल जाता है कि इसके बारे में हम संसद में चर्चा कर लेते हैं। सरकार ने इन्दू समुदाय की मिलों को अपने हाथ में लेकर चार वर्ष बाद मालिकों को वापस कर दिया और वहां अब स्थिर गड़बड़ शुरू हो गई है। सरकार तो एक साईकल मरम्मत दूकान की तरह से हो गई है कि उद्योगपतियों द्वारा की गई ग़लतियों को सरकार उद्योग (विकास तथा नियंत्रण) अधिनियम द्वारा ठीक कर के उद्योग को फिर उन्हें वापस कर देती है कि वे फिर ग़लती करें और सरकार के पास पुन: आयें। इस प्रकार किसी समस्या का हल नहीं निकल सकता और अभिभाषण में नीतियों के बदलने का कोई उल्लेख नहीं है।

सरकार कहती है कि 6 करोड़ लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। अकाल सहायता कर्मचारी को सरकार 90 पैसे प्रति दिन के हिसाब से देती है जो पर्याप्त नहीं है। उधर इटली और हालैंड में बच्चे भारत में भूखे मरने वालों के लिय पैसे जमा कर रहे हैं यह कितनी शर्म की बात है। यह भीख मांगने के समान है और इससे हमारे सम्मान को धक्का लगता है तथा किसी समस्या को इस प्रकार हल नहीं किया जा सकता। यदि कुछ हो सकता है तो भूमि सुधार द्वारा ही हो सकता है।

अब जनता नहीं चाहती कि आपात बना रहे। 1962 में प्रतिपक्ष दल के सभी सदस्यों ने एक होकर आपात घोषित किये जाने का समर्थन किया था परन्तु अब हर दिशा से लोगों की यही पुकार है कि आपात हटा दिया जाये। श्री गजेन्द्रगड़कर और श्री अशोक सेन और कांग्रेस क बहुत से सदस्यों की यही राय है कि अब आपात हटा देना चाहिये। श्री नन्दा ने इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों से परामर्श लिया है और उन्हों ने जब आपात को हटाये जाने का विरोध किया तो नन्दा जी ने भी उसे यों ही मान लिया। इस प्रकार जो मुख्य मंत्री कहते हैं उसे सरकार मान लेती है।

बंगाल में और बनारस विश्वविद्यालय में जो घटनायें हुई हैं वह कोई यदा-कदा होने वाली घटनायें नहीं है। पुलीस को भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत शक्तियां देकर और भी निर्भीक बनाया जा रहा है। परन्तु जहां पुलीस द्वारा गोली चलाने की घटनायें हों वहां न्यायिक जांच अवश्य होनी चाहिये। नागरिकों को उनकी जान व माल की सुरक्षा के लिये कोई न्युनतम गारन्टी तो होना ही चाहिये। मुख्य मंत्री यह मानने को तैयार नहीं हैं कि गोली अकारण चलाई गई थी।

खाद्य मंत्री कहते हैं कि वे केरल को चावल भेजना चाहते हैं परन्तु मद्रास और आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने केरल को चावल का पहुंचाया जाना बन्द कर दिया है। वे इस सम्बन्ध में कुछ नही करा सकते। यह बात आपात के समय में हो रही है जब कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। मैं पूछता हुं कि देश का शासन कौन चला रहा है? इस प्रकार क्या यह अच्छा न होगा कि मुख्य मंत्रियों का परिषद बना कर इन्दिरा गान्धी की सरकार के स्थान पर कार्य करे? मुख्य मंत्रियों द्वारा इस तरह अधिक शक्तिशाली बनते जाना और तानाशाही का रूख अपनाना राजनीतिक दृष्टि से बहुत खतरनाक है। इस प्रकार लोकतन्त्र की समाप्ति का आरम्भ हो चला है।

मैं एक खतरनाक प्रवृत्ति की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अमरीका सरकार उर्वरक के मामले में हमारी सरकार से कोई गुप्त समझौता करना चाहती है और यहां के बड़े बड़े उद्योगपतियों को सहयोग देना चाहती है। इस बारे में पत्र व्यवहार हो रहा है। यह सब बिल्कुल अनुचित है। इस प्रकार करने से संसद् की प्रभुसत्ता को हानि पहुंचेगी। एक लोकतन्त्रीय देश में इस प्रकार के कार्य होने की आज्ञा नहीं होनी चाहिये।

मुझे पता चला है कि उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा कोष का तीन करोड़ रुपया अपने पास रख लिया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह कहां तक उचित है। इसी प्रकार अन्य सरकारें भी कर सकती हैं। मध्य प्रदेश में यह धन जबर्दस्ती एकत्र किया गया था। मैं इस का प्रमाण दे सकता हूं। इसे मुख्य मंत्रियों को अपने पास नहीं रखना चाहिये।

[श्री दाजी]

हमें शर्तों के साथ अमरीका से सहायता नहीं लेनी चाहिये। हमें किसी प्रकार के विदेशी दबाव में आकर अपनी विदेशी नीति निर्धारित नहीं करनी चाहिये। श्री शास्त्री के नेतृत्व में हमने अपनी दृढ़ता का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है। अब भी हमें अपने पक्ष पर दृढ़ता से कायम रहना है।

हमारे गृह-कार्य मंत्री ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात कही थी परन्तु खेद की बात है भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। यह एक राष्ट्रीय समस्या बन गया है। राष्ट्रपति भी अपने अभिभाषण में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है। इस विषय पर संथानम कमेटी की सिफारिशों को भी सरकार ने अभी तक पूरा तरह से कार्यान्वित नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि इस बारे में सभी दलों को मिलकर प्रयत्न करने चाहिये और इसे समाप्त करना चाहिये।

लोगों में क्रोध की भावना उग्र होती जा रही है। सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये और लोगों की भावनाओं का आदर करना चाहिये।

श्री बरुआ (जोरहाट) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की सराहना करता हूं। आज भी हमारे देश को चीन की ओर से खतरा बना हुआ है। इस बात का हमें विचार करना होगा।

आज आपतकालीन स्थिति के समाप्त किये जाने की मांग की जा रही है। यह घोषणा 1965 चीन के आक्रमण के समय की गई थी। इसे समाप्त करते समय हमें कई बातों का विचार करना होगा। क्या हमारे देश को बाह्य खतरा समाप्त हो गया है? हमारे प्रतिरक्षा मंत्री ने 16 फरवरी को अपने एक वक्तव्य में कहा है कि हमारी सीमाओं के पास चीनी सीमाओं का जमाव बढ़ गया है। हमारे देश में ही कुछ ऐसे तत्व है जिन की सहानुभूति चीन के साथ है। ऐसी स्थिति मे सरकार पर आपत्कालीन स्थिति समाप्त करने के लिये दबाव डालना उचित नहीं है। हां, सरकार को भी साधारण कानूनों के स्थान पर आपत्कालीन नियमों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। पिछले तीन वर्षों में ताशकन्द समझौते की भान्ति चीन के साथ समझौता नहीं हो सका है। हमें आशा करनी चाहिये कि चीन के साथ भी हमारा कोई सम्मानपूर्वक समझौता हो जायेगा।

गत 18 वर्षों में भारत और पाकिस्तान के बीच खिचाव ही चलता रहा है। ताशकन्द घोषणा से यह खिचाव कम होगा और कुछ खुली हवा चलेगी। आशा बनेगी कि दोनों देश मिलकर अपनी समस्यायें हल कर ले। दोनों देश आर्थिक तौर काफी पिछड़ हुए हैं, दोनों को आर्थिक सम्बन्धों को भी नेक करने की बात सोचनी चाहिए। यह दुर्भाग्य की बात है कि दोनों देशों का व्यापार बन्द है। दोनों देशों को मुकाबले में न पड़ कर अपना आर्थिक विकास करना चाहिए। मुकाबले बाजी में दोनों देशों को अर्थ व्यवस्था को हानि पहुँची है। विदेशी मुद्रा का संकट भी इसी कारण से है। पाकिस्तान से हमें जूट मिल जाती तो हम उस उद्योग का यहां विकास कर देते। पटसन के पैदा करने के साधन हम खाद्यान्नों के उत्पादन में लगा देते। आशा करनी चाहिए कि ताशकन्द समझौता के बाद सारे मामले साध्य हो जायेंगे।

खाद्यान्नों के बारे में हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि आग लगाने और गड़बड़ करने से तो यह कभी पूरी नहीं हो सकती। केरल और पश्चिमी बंगाल में इसके लिए आदोलन चले है। इन आन्दोलनों का अधिक दबाव इस बात पर है कि वितरण ठीक किया जाय। हमें इस समस्या को व्यवहारिक दृष्टि से हल करने का प्रयास करना चाहिए। इस देश में प्रति व्यक्ति भूमि 1.84 एकड़ फैलती है, जब कि अमरीका में यह 12.5 एकड़ है। रूस में यह 26.5 एकड़ है मतलब यह कि इस समय खाद्यान्नो का उत्पादन बढ़ाना है। हमें इस बात का दुःख है कि गत 18 बरसों में सहायक खाद्य के उत्पादन की दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया है। हमें मछली, दूध, अंडे इत्यादि पैदा

करने की दिशा में समुचित ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी सत्य है कि हमारे 70 प्रतिशत कृषकों को खाना ठीक नहीं मिलता। इन लोगों की हालत ठीक करनी होगी। इसके बिना उत्पादन नहीं बढ़ सकता। अतः सरकार को इस सारी स्थिति पर विचार करना होगा महलानोबिल समिति के प्रतिवेदन में एक बात बिलकूल स्पष्ट की गयी है कि देश में प्रति व्यक्ति आयमें काफी वृद्धि हो जाने पर भी इन कृषिश्रमिकों को कोई लाभ नहीं पहुँचा है।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि देश की कृषि नीति बनाते समय इस बात का बराबर ध्यान रखा जाना चाहिए कि केवल गेहूं के उत्पादन की ही योजनायें न बनाई जाय। उनके साथ साथ दूध, मच्छली, अंडे इत्यादि जैसे सहायक खाद्य पदार्थों के उत्पादन भी ओर भी ध्यान दिया जाय। लोगों को अपनी खाने की आदतें भी बदलनी होगी। जब तक उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, खाद्य समस्या सुलझाने में काफी कठिनाई का सामना करना होगा। यह भी एक ऐसी समस्या है जिसकी ओर गम्भीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में मेरा निवेदन यह है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रबन्ध तथा उद्यम सम्बन्धी कार्य कुशलता में सुधार करने की आवश्यकता है। केवल उपक्रमों को स्थापित कर देने से ही काम नहीं बन जायेगा, हमें मजदूरों में यह वातावरण पैदा करना होगा ताकि व यह समझ सकें कि इस उपक्रमों में उनका भी उतना ही भाग है जितना किसी और का। यदि इस प्रकार का मनोवैज्ञानिक वातावरण निर्माण नहीं किया जाता तो यह समाजवादी समाज की बातें निराधार हैं, ये कभी सार्थक नहीं हो सकेंगी। कार्मिक संघों का यह कर्तव्य है कि वे श्रमिकों में यह भावना पैदा करें।

हमारी उत्तरी सीमा पर चीन का खतरा है। सीमा क्षेत्रों के लोगों के आर्थिक विकास की ओर आपको ध्यान देना चाहिए। यहां भी सम्बध सरकारे यहा की यातायात और संचार व्यवस्था में अधिक धन नहीं दे सकती। अतः व्यवहारिक दृष्टिकोण अपना कर इन क्षेत्रों की सहायता की जानी चाहिए इसके लिए योजना आयोग को भी व्यवहारीक दृष्टिकोण अपनाना होगा। हमें समस्या को सार रूप में समजना होगा। हमें इस बात को बहुत ही गम्भीरता से सोचना होगा कि किस बात को प्राथमिकता दी जा सकती है। यदि ऐसा व्यवहार न किया गया तो कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। विदेशी मुद्रा को बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इन शद्बों से मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री गोकुलानन्द महन्ती (बालासोर) : राष्ट्रपति को धन्यवाद देने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की परिवारी है। वर्ष में एक बार ऐसा अवसर आता है जब कि पदासीन दल भी नीतियों का सविस्तर विश्लेषण और परीक्षण किया जाता है। मैं कुछ अपने दल सफलताओं का उल्लेख अपने भाषण में करूंगा।

ताशकन्द समझौते पर बहुत विद्वान लोगों के भाषण हुए है। मैं इस बारे में सामान्य लोगों का मत व्यक्त करना चाहता हूँ। वास्तविकता यह है कि भारत और पाकिस्तान का जनमत भयंकर रूप में एक दूसरे के विरूद्ध हो गया था। शत्रुता और कटुता परम सीमा पर पहुँच गयी थी। सब से पहले यह जरूरी था कि वह कटुता दूर की जाय। इस बात को समझा जाय कि विवादों के निपटाने के लिए शक्ति का प्रयोग ठीक नहीं है। अतः दोनों ओर से शक्ति के प्रयोग की निन्दा की जानी चाहिए। मुझे इस बात का खेद है कि विरोधी दल के लोगों ने इस दिशा में रचनात्मक पग नहीं उठाया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में स्वास्थ और शिक्षा की दिशा में उठाये जा रहे पगों का उल्लेख है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस बारे में काफी प्रगति हुई है, परन्तु इसे बहुत बड़ी सफलता नहीं कहा जा सकता। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार को राष्ट्रपति के अभिभाषण में मद्य निषेद का भी उल्लेख करना चाहिए था और इस दिशा में सक्रिय प्रयत्न होने चाहिए

[श्री गोकुलानन्द महन्ती]

था। मैं इस बात पर आग्रह करूंगा कि किसी भी ऐसी योजना को छोड़ा नहीं जाना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार से खाद्यान्नों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता हो। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि हमें शीघ्र ही इस मामले में आत्मनिर्भर होना है।

इसके अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि कृषि तथा खाद्यान्नों की उपज में वृद्धि के मार्ग में सबसे बड़ी रूकावट भूमि सुधारों की है। उस में देरी करना बड़ा खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इस दिशा में सरकार को कुछ करना होगा। अभिभाषण में इसका उल्लेख होना चाहिए था और भूमि सुधारों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अणुशक्ति का उल्लेख ठीक ढंग से नहीं किया गया है।

गुटों से अलग रहने की हमारी नीति बहुत पुरानी है। इसका आधार सत्य है और यह भारत का आदर्श है, इसका आधार हमारी संस्कृति है। इससे छोटे राष्ट्रों को भी प्रोत्साहन मिलता है। हमें यह याद रखना चाहिये कि यदि हमने यह नीति छोड दी तो दूसरे भी इसे छोड़ देंगे। मैं इस बात को नहीं मानता कि मुसीबत के दिनों म हम अकेले रह गये थे और हमारा कोई मित्र नहीं था। यदि यह टीक होता तो चीन चुनौती देने के बाद मुहें की न खाता। अतः आयात को अभी नहीं हटाया जाना चाहिए। विरोधी दलों को समझ लेना चाहिये मामलें में सरकार की निन्दा करके वे चुनाव में सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

इन शब्दों से मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मुहम्मद इस्माईल (मंजीरी): केरल में राष्ट्रपति का शासन है, अतः हमारी आवाज ऊपर तक नहीं पहुँच पा रही। इन परिस्थतियों में उनका प्रतिनिधित्व केलव संसद के दोनों सदनों मेंही हो सकता है। परन्तु यह प्रतिनिधित्व भी अप्रैल के प्रथम सप्ताह में कम होने वाला है क्योंकि राज्य सभा में केरल के जो सदस्य हैं, उन्हें भी अब अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। मेरा विचार यह है कि सरकार को संविधान में ऐसा संशोधन करना चाहिए कि राज्य सभा के सदस्यों को तब तक अपनी सदस्यता नहीं छोड़नी चाहिए जब तक उनका स्थान लेने के लिए लोग चुन नहीं लिये जाते। और यह बता सभी राज्यों पर लागू की जानी चाहिए। यह न्याय है जो कि किया ही जाना चाहिए।

इसके बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। वह केरल के शिक्षा क्षेत्र में तथा सरकारी क्षेत्र में पिछड़ हुए वर्गों का प्रतिनिधित्व है। इन जातियों के लिए स्थान सुरक्षित किये जाते हैं। पता चला है कि वर्तमान प्रशासन का विचार इस पद्धति को बदलने का है। मेरा यह मत है कि जो व्यवस्था चल रही है वह केरल के लोगों के लिए आवश्यक है। सरकार को इस में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इस महत्व पूर्ण मामलों पर तो विचार उसी हालत में होना चाहिए यदि राज्य में विधान सभा हो और जन प्रतिनिधित्व उसमें भाग ले। यदि इस पद्धति को बदला गया तो जिस लक्ष्य के लिए इन्हें रखा गया था वह भी समाप्त हो जायेगी। इस मामलें को कम से कम सामान्य चुनाव के बाद तक स्थगित कर दिया जाये।

इस संदर्भ में मुझे यह भी निवेदन करना है कि उद्योगों और संचार सुविभाओं के मामले में केरल का विकास निराशा जनक रूप से चल रहा है। उसे किसी भी हालत में पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। नीलमब्रूर-शोरखपुर लाइन से पश्चिमी तक के साथ मुख्य लाइन से जोड़ने के लिए 35 मील छोटी लाइन के निर्माण का 1950-51 में आश्वासन दिया गया था। उद्देश्य यह था कि दूसरी योजना के अन्तर्गत मेलात्रूट और फैरक को मिला दिया जाय। परन्तु अब तक उस लाइन को मिलाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है। इसे जितनी शीघ्रता से हो सके पूरा किया जाना चाहिए। इसे सब से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इसके बाद चौथी बात इस बारे में यह है केरल में हाल ही में खाद्य संकट बहुत विषम रूप धारण कर गया है। सरकार को इस बारे में चेतावनी दी गयी थी, परन्तु उसने इसे उपेक्षा-भाव से देखा और कोई कार्यवाही नहीं की गयी। वहां के लोग खाद्यान्नों के लिए रोते चिल्लाते रहे, परन्तु कुछ नहीं बना। जब कोई भी सुनवाई न हुई तो "केरल बन्ध" का आश्रय लिया गया। सभी दिशाओं में आग फैली, कांग्रेस समेत सभी दलों ने इसका समर्थन किया। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि सरकार समय पर कार्यवाही करनी और पुलिस अत्याचार न करनी तो गड़बड होने की कोई आशा नहीं थी। केरल वालों की तो मांग भी बड़ी साधारण थी। वह यह भी कि जितना खाद्यान्न अन्य लोगों को मिलता है, उतना उन्हें भी मिलना चाहिए। जब वे अपनी धरती पर व्यापारिक फसलों का उत्पादन करते है तो उन्हें यह अधिकार है कि अन्य राज्य उन्हें खाद्यान्न दे। सरकार का यह कर्तव्य है कि केरल के लोगों के लिए खाद्यान्नों की व्यवस्था करें।

श्रीमती यशोदा रेड्डी (करनूल) : मैंने विरोधी दल के लोगों के भाषण सुने हैं, जिसमें कांग्रेस सरकार की नीति के बारे में आलोचना की गयी है। मुझे इस बात का दुःख है कि कई समझदार माननीय सदस्यों ने भी व्यक्तिगत रूप में कई लोगों की आलोचना की है। मेरे विचार में इस तरह करना किसी के लिए भी शोभा की बात नहीं है। उन्हें सरकार की नीति की आलोचना करनी चाहिए।

आर्थिक नीति के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि केरल राज्य के बारे में सरकार ने कुछ ठीक पग नहीं उठाया है। सरकार की नीति चाहे कुछ भी हो परन्तु लोगों को खाना देना निहाय ही सरकार का उत्तरदायित्व हैं। वितरण का सिद्धान्त एक जैसा ही सब पर लागू होना चाहिए। तीसरी योजना समाप्त हो रही है, चौथी आरम्भ होने वाली है। गत 15 वर्षों में हमने क्या प्रगति की है, और कितना लोगों का जीवन स्तर ऊंचा किया है, यह देखने वाली बात है। इन योजनाओं में 260 करोड़ से आरम्भ होकर 21,250 करोड़ रुपये तक विनियोजन किया गया। राष्ट्रीय आय 68.7 प्रतिशत हुई है। 8850 करोड़ से यह 14930 करोड़ हो गयी है। इस वृद्धि का मुख्य भाग औद्योगिक क्षेत्र में रखा गया है। भारी उद्योगों और उनमें उत्पादनों में काफी प्रगति हुई है। कपड़ा, खाना और रोजगार क्षमता लोगों की बढ़ी है। हमें किसी तत्व की ओर ध्यान न देकर देश के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। प्रति यह वृद्धि एक ही नहीं है। अमीर लोग कम हुए हैं और गरीबी काफी फैली है। लाखों लोग गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

सब से गरीब वर्ग कृषि वर्ग है। वे आर्थिक और सामाजिक दोनों ही तरह से पिछड़े हुए हैं। इन लोगों की आय नहीं बढ़ी 100 लाख देहाती लोगों को प्रतिदिन की आय 27 नये पसे है। 99 रुपये वार्षिक से अधिक किसी की भी आय नहीं है। देहातों के लोग पूछते है कि 20 वर्ष पूर्व हमे किस तरह रोटी मिल जाती थी, अब क्या हो गया है।

समाजवाद अथवा साम्यवाद की नीतियों का विवेचन केवल बुद्धिजीवियों के लिये थोथी बातें हैं। हमें किसी विशेष राजनैतिक अथवा सामाजिक दृष्टिकोण एवं नीति को नहीं अपनाना चाहिये। हमारी नीति का एक मात्र आधार केवल उसकी व्यवहारिकता होना चाहिए। हमारे स्वर्गीय श्री शास्त्रीजी पूर्णतः व्यवहारिक व्यक्ति थे और वह लोगों की भावना को समझते है।

यह सुज्ञात है कि न केवल बेरोजगारी ही है अपितु काम करने वालों की भी मजदूरी कम मिलती है और ऐसे लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बेरोजगारों की संख्या जो प्रथम योजना के आरम्भ में 4.1 मिलियन थी, वर्ष 1960-61 में 8 मिलियन हो गई है तथा अनुमान लगाया जाता है कि तीसरी योजना के अन्त में यह 12 मिलियन तक पहुंच जायेगी। योजना मंत्री तथा मंत्रिमंडल को चौथी योजना बनाते समय इस पर ध्यान देना चाहिए।

[श्रीमती यशोदा रेड्डी]

लोगों की मौलिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा आवास आदि की पूर्ति करना सरकार का कर्तव्य है, परन्तु इसके अतिरिक्त केन्द्र एवं राज्य सरकारों का अनावश्यक व्यय बहुत बढ़ गया है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों को व्यय कम करने को प्राथमिकता देनी चाहिये।

यह एक हर्ष का विषय है कि प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया है। अतः मैं आशा करती हूं कि यह आयोग प्रशासन से लाल फीते शाही को समाप्त करने में सफल होगा, जिस के कारण प्रशासन ठीक रुप से नहीं चल रहा है।

जन संख्या की वृद्धि पर नियंत्रण न हो सकने के कारण हमारी अधिकांश योजनायें, चाहे वह खाद्यान्न के उत्पादन के बारे में हो अथवा रोजगार देने के बारे में हो, असफल हो गई हैं। जनसंख्या पर नियंत्रण के लिये कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये।

सरकार को केवल विचारधाराओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिये, अपितु व्यवहारिक कार्यवाईया की जानी चाहिये। हमारी योजनायें उत्तम हैं, परन्तु उन्हें अच्छे ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जाता। उनकी क्रियान्विती में लाल फीता शाही सबसे बड़ी रुकावट है, अतः इसे दूर किया जाना चाहिए। हमारे देशवासियों के सामने सबसे बड़ी समस्या भूख की है अतः इस दूर करने की कार्यवाही की जानी चाहिये। भारत रक्षा नियमों से भूख पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। अतः इन नियमों का अधिकतर गलत उपयोग किया जाता है।

Shri Sivamurthi Swamy (Roppal) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I have gone through the President's address. I am surprised that he has not mentioned anything about strenghtening people's sovereignity. He has said in one sentence:

> Unfortunately or relations with the Peoples Republic of China still continue to be strained. The country has to be vigilant and strong.

Government should state clearly whether they want to continue the present state of emergency, if so, for how long? So long as this emergency is to continue, a national Government should be formed.

All parties should join hand in solving national problem like food problem and the problem of security of the country. There is no reference about this in President's address. We all owe responsibility to the electorate. It is said that this is a democracy of the people, by the people and for the people but it has become a democracy of the party, by the party and for the party. We should form voters' councils in all the constituencies, otherwise it will not be feasible to run such a big democracy.

Taxes are collected from all persons irrespective of any particular party. If we actually claim that ours is a welfare state, we should earmark at least 51 per cent of our revenues in the budget for welfare programmes. Similarly if we claim to be a socialistic state we should earmark 51 percent of our revenues in the budget for socialist programmes and for welfare of masses.

We have been given this booklet entitled Central Budget in Brief. It shows that in 1959-60 the Revenue expenditure was Rs. 1029·5 crores and it is Rs. 2246·6 crores in 1965-66. Out of this Rs. 414 crores have been allotted for nation building, economic and social services. It means that only 19 percent is spent on these services. We will have to increase our production to attain self sufficiency. The agricultural production will not increase by mere talk. We must spend 51 percent on nation building activities and economic and social services instead of 19 per cent as at present.

The Prime Minister and other Ministers have been saying that we will increase production. The President has said that greater attention should be paid to production programmes, but our allocations for these programmes during these last few years have not been increased. Only 19 percent of the Central Budget has been allocated for this as against 22 and 21 per cent during the last two years.

Our Republic came into being in 1950. We have not changed our structure since then. It continues as it was during British rule. We will have to decide now whether we can spend 51 percent of the Budget on nation building, economic and social activities. A welfare state should fulfil this minimum requirement Government should levy more taxes, if needed, and implement this programme.

The hon. Minister of Food has supported the Zonal scheme regarding foodgrains. This has been criticised by his partymen at Jaipur sesssion of Congress. This scheme has been criticised in Parliament also. The hon. Minister should pay due respect to the suggestions made here otherwise situation like that of Kerala would develop at other places also. Government should consider sincerly the representations sent by various state Governments. It has been said that new irrigation projects would be started. I want to say that existing system of distribution of water for irrigation should be improved. Government should appoint a tribunal under the Chairmanship of Chief Justice of India under the Water Distribution Act, 1956 and the water should be distributed among states of Maharashtra and Mysore according to the recommendations of this tribunal.

Many parts of Mysore and Maharashtra are famine-striken. Dr. K. L. Rao is an interested person. We should not take into consideration his point of view.

There should be equitable distribution of water.

In connection with the location of fifth steel plant, Bellary is most suitable place. This can be verified by foreign experts. This area has got natural richness in iron ore. This will be the most ideal place for steel plant.

The water of Tungbhandra Project is not being exploited fully. Anarea of five lakh acres could have been irrigated by water of this project but actually one and a halflakhs of acres are being irrigated at present. The canals are also not being utilised, as they are broken every year by contractors, who want to make money on repairs. In this way fields are deprived of water. At present also tender plants of paddy on one lakh acres of land are drying up. Central Government should intervene in the matter and conduct an enquiry. This should be done expeditiously and normal water supply should be restored The Upper Tungbhadra Project Scheme which was surveyed and finalised long ago should not be expedited.

The imposition of restrictions on the movement of foodgrains is just like an artificial partition of our country. Under the procurement scheme, Government buys rice at the rate of Rs. 52 per quintal and sells that very rice at Rs. 78 per quintal. It is nothing but profiteering. This is a great burden on the poor consumer. There should not be a margin of more than one or two rupees in the procurement price and sale price. Government should not indulge in such profiteering as it is unjust. In the end I would say again that a national Government should be formed to tackle the national problems.

Shri Chandramani Lal Chaudhury (Mahua) : The masses of the country have lost their friend, philosopher and guide in the death of Shri Lal Bahadur Shastri. They were so much grieved that they completely forgot them selve for days

[Shri Chandramanilal Chaudhari]

together. The greatness does not come from one's wealth, gold and richness. However rich one may be, no body remembers him after death. Great men are those who are remembered by the people after their death. Millions of our people are going to Rajghat and Shantivana daily to pay their homage to the departed national leaders and that shows their greatness. So I will request the wealthy and high ups in the society, that in case they want that our country should progress, they should work self-lessly for the betterment of the common-man, because their personal gains will lead the country nowhere. They should follow the footsteps of the late Shri Shastriji.

The present state of affairs in the country is distressing, because the political parties are exploiting the common for their own political ends. I warn the elements who believe in castism and communalism, that they are leading the country to destruction by their fissiparous tendencies.

The Tashkent agreement symbolises friendship and peace. It is totally wrong to say that the late Shri Shastriji has signed it under pressure. There was no pressure either from Pakistan or from Russia. The agreement was signed because both India and Pakistan desired peace and the leaders of both the countries realised that war would bring tremendous distruction of life and property. Had war continued our industries would have gone to dogs and our progress in all spheres of life would have been retard. What would have been our gain expect distruction, bloodshed and death. So brave and those who save the nation from war and not those who throw the nation into war. By signing the Tashkent agreement, the late Shri Shastriji had done a brave deed.

The Country is facing food shortage. In this connection I would suggest that fishing should be encouraged. We have many rivers and lakes which abound in fishes. Fish is also available in abundence in the Arabian sea. In case fishing is encouraged, our food problem would be eased to a great extent. In order to provide incentive to fishermen, the tax imposed on fishing should be lifted and fishing should be made free. A fishing industry to produce fish dust should be set up in the country. It will help relieve the food problem. The people, whose main food is fish can met their food requirement by taking fish.

Another suggestion that I would like to give in this regard is that the vast tracks of land lying uncultivated whether they belong to the Railways, State Governments or Central Government, should be brought under cultivation. These lands should be given to landless farmers. This would increase food production to a great extent.

Regarding education I would say that night schools should be opened for imparting education upto Matriculation to the villagers up to the age of 40 years, so that illeteracy could be eradicated. Separate school should also be opened for women.

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : आर्थिक दृष्टि से चालू वर्ष हमारे लिये परीक्षा का वर्ष है और हम गंभीरतम कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। माननीय सदस्यों को विदित है कि वर्षा न होने के कारण हमारा कृषि उत्पादन इस वर्ष बहुत कम हुआ है। यद्यपि सही आंकड़े उपलब्ध है,

[**श्री शामलाल सर्राफ पीठासीन हुए**
SHRI SHAMLAL SARAF *in the Chair*]

तथापि यह अनुमान लगाया जाता है कि वर्ष 1964-65 के उत्पादन की तुलना में हमारा कृषि का उत्पादन लगभग 800 करोड़ रुपये कम का होगा। जहां तक खाद्यान्न के उत्पादन का संबंध

है, जैसा कि माननीय खाद्य और कृषि मंत्री कई बार बता चुके हैं, हमारे उत्पादन में 12.5 मिलियन मिटरी टन की कमी होने की संभावना है। इसी प्रकार गन्ने की छोड़ कर, गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कपास, पटसन तथा अन्य वस्तुओं का उत्पादन कम होगा।

औद्योगिक उत्पादन में भी हमे इस वर्ष विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इन कठिनाइयों का कारण यह है कि विदेशी मुद्रा की आचानक एवं अत्यधिक कमी होने के कारण हाल के कुछ महीनों में आयात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सभा को यह विदित है कि अचानक यह कमी क्यों हुई। जब पाकिस्तान तथा भारत में संघर्ष छिडा तो कुछ देशों ने जिन्होंने हमें अर्थिक सहायता देने का वचन दिया था, उस सहायता पर प्रतिबन्ध लगा दिया। कुछ सहायता अब पुनः आरम्भ कर दी गई है और कुछ सहायता पर अभी प्रतिबन्ध लगा हुआ है। दूसरा कारण यह है कि क्योंकि इस वर्ष अपेक्षाकृत कृषि उत्पादन कम हुआ है, अतः जो उद्योग कच्चे माल के लिये कृषि उत्पादन पर निर्भर हैं, वे कठिनाई का सामना कर रहे हैं। कच्चे माल के लिये आयात पर निर्भर करने वाले उद्योग जैसाकि इंजोनियरी उद्योग आदि भी इस वर्ष गंभीर कठिनाई में है। इन कठिनाइयों को कुछ और समय तक बने रहने की संभावना है।

इन सब बातों के कारण हमारी राष्ट्रीय आय पर प्रभाव पड़ेगा। पिछले चार अथवा पांच वर्षों में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है जिन का हम ने पूर्वानुमान नहीं लगाया था। पहली कठिनाई जिस का हम ने पहले अनुमान नहीं लगाया था वह यह है कि हमें दो बार विदेशी आक्रमण का सामना करना पड़ा और जैसा कि सभा को विदित है इस के परिणामस्वरुप हमारा प्रतिरक्षा व्यय बढ़ गया। प्रतिरक्षा व्यय में हुई इस वृद्धि को विकास योजनाओं पर होने वाले व्यय में कमी करके संतुलित किया जा सकता था, परन्तु इस से हमारी अर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। अतः विकास के खर्चे के अतिरिक्त अन्य व्यय को कम करने के भरसक प्रयत्न किये जा रहे है। हर वर्ष जब बजट पर विचार किया जाता है तो इस प्रश्न पर पूर्णतः ध्यान दिया जाता है कि जो व्यय विकास से संबंधित नहीं है, उसे कम किया जाये। हम राज्य सरकारों को भी यही सलाह देते है कि वे अपने विकास संबंधी खर्चे को छोड़ कर अन्य खर्चे पर नियंत्रण रखे। जहां तक प्रतिरक्षा व्यय और विकास व्यय का संबंध है, चीन के आक्रमण के बाद हम ने निर्णय किया था कि हमें इन दोनों खर्चों का भार उठाना होगा, क्योंकि यदि हम अपनी आर्थिक व्यवस्था का विकास नहीं करते तो इस से हमारी प्रतिरक्षा क्षमता घटेगी और दूसरे हम अपनी आर्थिक समस्याओं का कभी समाधान नहीं कर सकेंगे। यह स्पष्ट है कि हमें अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए अपने समूचे आर्थिक ढांचे का विस्तार करना होगा। अतः इस में धन लगाने के लिये हमें पुंजी की आवश्यकता होगी और यह पूँजी बचत द्वारा ही उपलब्ध की जा सकती है। हमें जो इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इसका मूल कारण यह है कि हमारी बचत पर्याप्त नहीं है। हमारा देश गरीब है, हमारी आय कम है अतः हमारी पूँजी लगाने की क्षमता भी कम है। सारी समस्या का मूल कारण आर्थिक व्यवस्था में गतिरोध तथा आय और बचत का कम होना है। स्थिति इतनी गंभीर है कि हमारी पूँजी लगाने की क्षमता तथा बचत राष्ट्रीय आय का केवल पांच अथवा छः प्रतिशत है। इस गतिरोध को समाप्त करने के लिये हमारी मूल आवश्यकता यह है कि बचत तथा पूँजी लगाने की क्षमता को बढ़ाया जाये। इस के लिये यह संभव नहीं है कि पहले हमारी आय बढ़े तथा उस के परिणामस्वरूप हमारी बचत तथा पूँजी लगाने की क्षमता बढ़ेगी। अतः हमें आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिये बचत पर जोर देना होगा। जापान तथा जर्मनी की सफलता की जो उदाहरण दी जाती है, वह सर्वथा हमारे देश पर लागू नहीं है, क्योंकि हमारी तुलना में उन देशों की बचत और पूँजी लगाने की क्षमता बहुत अधिक थी।

यह प्रश्न निरन्तर उत्पन्न होता है कि क्या हमारा विनियोजन हमारी बचतों के अनुरूप है? सभा चाहते हैं कि विकास कार्य पर अधिकाधिक व्यय किया जाये। परन्तु इसके लिये हमें विनियोजन और बचत में संतुलन रखना होगा। अब तक हमारे देश की सभी श्रेणियों की बचतों और व्यय में बहुत अन्तर रहा है। इससे बैंकों से उधार की मांग में वृद्धि हो गई है। यह समस्या सरकार के समक्ष है।

[श्री अशोक मेहता]

हमारा देश एक विकासशील देश है। ऐसी स्थिति में हम बहुत अधिक मात्रा में अत्यावश्यक वस्तुओं का आयात करना पड़ता है। हमारी अर्थ व्यवस्था पहले से इसी प्रकार से चली आ रही है पिछले 15 वर्षों में हमारे देश में बिजली का उत्पादन लगभग चार गुना बढ़ा है। इस के लिये हमें कुछ सामान विदेशों से आयात करना पड़ा है। इसके फलस्वरूप भुगतान संतुलन सम्बन्धी समस्याएं खड़ी हो जाती है। आज देश के सभी भागों में बिजली की मांग बढ़ रही है। इस लिये इस सम्बन्ध में अपेक्षित मशीनरी का निर्माण करने के लिये हमें अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। यदि यह कहा जाता है कि हमें बिजली के इन उपकरणों को नहीं बनाना चाहिये और देश में बिजली के उत्पादन को भी बढ़ाना है तो यह दोनों बातें प्रतिकूल है। इसलिये हमें स्थिति का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा।

हमें अपनी अर्थ व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन करके सुधार करना है। इस के लिये हमें अपने देश से निर्यात बढ़ाना होगा। इस बारे में हमारा कार्य असंतोषजनक नहीं है। हां इस में और प्रगति होनी चाहिये। हमारे देश में निर्यात को प्राथमिकता देने के महत्व को ठीक प्रकार से समझा नहीं जाता है। विश्व से माल खरीदने की क्षमता हमारे निर्यात करने की क्षमता और संसाधनों पर निर्भर करता है।

हमें यह समझ लेना चाहिये कि हमें आन्तरिक खपत की बजाय निर्यात को प्राथमिकता देनी है। आज देश के उद्योगों को कई ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता है जिन का हमें आयात करना पड़ता है। उनके हमें साथ साथ निर्यात भी बढ़ाना होगा। खेद की बात है कि कई वस्तुओं के बारे में हाल में हमारे निर्यात में कमी हुई है।

माल बनाने के बारे में हमारे देश की क्षमता बहुत बढ़ गई है परन्तु इस बारे में कुछ वस्तुएं आयात करनी पड़ती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये हमें अपने निर्यात में भी साथ साथ वृद्धि करनी होगी।

मैं चाहता हूं कि यह सदन सदैव कड़ी नजर रखे कि निर्यातों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। इस बारे में सरकार पूर्ण रूप से जागरूक है और वह इस राष्ट्रीय जिम्मेदारी को निभा रही है।

आज हमें विदेशी मुद्रा की बहुत आवश्यकता है। जैसे एक किसान या उद्योगपति को धन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हमें भी आजकल विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। यह कोई भीख नहीं मांगी जा रही है। हम तो ऋण ले रहे है। इसके आधार पर हम अपना उत्पादन बढ़ाना चाहते है इस बारे में तथ्यों की छानबीन की जा सकती है। मैंने अपनी नीति तथा विचारों में परिवर्तन नहीं किया है।

हमारा मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इसी लिये हम उद्योगों का विकास कर रहे है। इसके देश को बचत बढ़ानी होगी और आन्तरिक खपत में कमी करनी होगी। मैं इस बात को पिछले कई वर्षों से कहता आ रहा हूं। यहां पर कहा गया है कि हमें विदेशों से अधिक सहायता नहीं लेनी चाहिये। यदि हम विदेशों से सहायता लेना बन्द कर दें तो आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये 20 या 25 वर्ष लग जायेंगे परन्तु यदि हम इस समय अधिकाधिक विदेशी सहायता ले लेते है तो 7 या 8 वर्षों में हम आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते हैं। हमें विदेशों से सहायता लेकर अपने देश का उत्पादन बढ़ाना है और विदेशों से आयात कम करना है। उसके साथ साथ हमें अपनी निर्यात क्षमता भी बढ़ानी है।

हमें देश के बड़े पैमाने के उद्योगों को भी प्रोत्साहित करना है। इसके लिये सरकारी क्षेत्र का विस्तार करना होगा और सरकार को देश संसाधनों पर भी कुछ नियन्त्रण रखना होगा।

हमारे देश ने मिलीजुली अर्थव्यवस्था को सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया हुआ है। इसके अन्तर्गत गैर-सरकारी क्षेत्र को भी प्रगति करनी है। उस में जो आय होगी उसे पुनः विनियोजन के लिये रखा जायेगा। इस से दश में उद्योग बढ़ेंगे। इससे देश को लाभ होगा।

यह हमारी प्रणाली है जिस पर चल कर हम देश को समृद्धि के मार्ग पर ले जाना चाहते है। इसमें दलगत नीति की कोई बात नहीं है।

श्रीमती गायत्री देवी (जयपुर) : देश में तथा इस सदन में आपत्कालीन स्थिति को चालू रखने तथा भारत रक्षा नियमों की आलोचना हो रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख वक्ताओं ने भी आपत्काल के समाप्त करने की मांग की है। मेरे विचार में सरकार अपने दलगत हितों के लिय ही यह स्थिति जारी रखना चाहती है। इस प्रकार सरकार दोषी ठहराई जा सकती है।

आज देश को खाद्यान्नों के बारे में कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यह कोई नया बात नहीं है। इस प्रकार की स्थिति कई बार खड़ी हुई है। सरकार भी केवल बातों द्वारा ही उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करती है। स्वतन्त्र पार्टी ने कई बार मांग की है कि क्षेत्रीय व्यवस्था समाप्त की जाये। इसी के कारण यह कमी उत्पन्न हो गई है। कांग्रेस पार्टी का भी यही विचार है। काँग्रेस के जयपुर अधिवेशन में यह बात स्पष्ट हो गई थी। परन्तु कुछ एक लोग इस के विरुद्ध है और सरकार उनके उन लोगों को अप्रसन्न नहीं करना चाहती। इस क्षेत्रीय व्यवस्था के कारण किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं सभी को कठिनाई है।

आज विदेशों के लोग भारत की सहायता धन एकत्र कर रहे है। 20 तारीख. के स्टेसमैन में छपा है कि अमरीका, अर्जेनटाइना, आस्ट्रिया, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, यूनानद इरान, इटली आदि बहुत से देशों में धन तथा खाद्यान्न एकत्र किये जा रहे है। परन्तु खेसे की बात है कि हमारे देश के लोग मुनाफाखोरी तथा जमाखोरी में लगे हैं। इस सब के लिये सरकार को ही दोषी ठहराया जा सकता है। सरकार ने पिछले 18 वर्षो में ठीक प्रकार से प्रयत्न नहीं किया। इसी कारण यह स्थिति उत्पन्न हो गई है।

अब हमें भविष्य के लिए सोचना चाहिये। हमें अपनी सिंचाई योजनाओं के प्राथमिकता देनी चाहिये। अच्छे बीज उपलब्ध करने चाहियें और उर्वरक देना चाहिये और सभी प्रतिबन्ध हटा देना चाहिये। किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहिये। इसके अतिरिक्त हमें बिजली भी देनी चाहिये।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

हमारे प्रशासनिक कार्य में कुशलता लाने की बहुत आवश्यकता है। सत्तरूढ़ दल अपने हितों के लिये अनुचित लाभ उठा रही है। हाल के जयपुर अधिवेशन के समय काँग्रेस पार्टी ने सरकारी विभागों से कार्य कराया है। सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहिये और प्रशासन के खर्चे में कमी करनी चाहिये इस प्रकार बचा हुआ धन उत्पादन कार्य में लगाया जा सकता है। आज हमारे प्रगति के मार्ग पर भ्रष्टाचार सब से बड़ी रुकावट बना हुआ है। इस के उन्मलन के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कई मुख्य मंत्रियों तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध इस सम्बन्ध में आरोप लगे है परन्तु उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नही की गई है। क्या यह इस लिये कि उन लोगों का कांग्रेस पार्टी से सम्बन्ध है। राजस्थान के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाये गये है। पहले बताया गया था कि जांच हो रही है। फिर कह दिया गया कि आरोप निराधार है। इस बारे में ठीक प्रकार से जांच होनी चाहिये और दोषियों को दण्ड मिलना चाहियें। केवल तभी भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है।

श्री जी० म० कृपलानी (अमरोहा) : आज देश की हालत बहुत खराब हो गई है। खाद्य स्थिति के मामले में आज हम विश्व में भिखारी बने हुए हैं। क्या यह इस लिये कि हमारे देश भीख मांगना बुरा नहीं समझा जाता है। हमारे देश के ऋषी तथा मुनी लोग भी तो भिक्षा मांग कर ही जीवन निर्वाह करते थे। आज सरकार की खाद्य नीति के देश का विभिन्न भागों में विभाजन कर दिया गया है। खाद्यान्नों सम्बन्धी क्षेत्रीय व्यवस्था के कारण लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है। देश को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया गया है। आज कई स्थानों पर एक जिले से समीपवर्ती जिले में अनाज में जाना अपराध है।

हम इस प्रकार की स्थिति का पिछले 18 वर्षों से सामना कर रहे हैं। हमें आशा थी कि श्री अशोक मेहता के योजना आयोग में जाने से कुछ सुधार होगा परन्तु अब वह भी हमें मितव्ययता के लिये कह रहे हैं।

अंग्रेजों का राज्य समाप्त हो गया है परन्तु उनके समय की शान और सजा अभी भी वैसे ही चल रही है। सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों आदि पर व्यय बहुत अधिक है। केरल के राज्यपाल का उदाहरण हमारे समक्ष है। उन्होंने लोगों की दशा का ध्यान न करते हुए त्यागपत्र दे दिया था।

देश में विधान मंडलों के दूसरे सदनों की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे यहां मंत्रियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है।

भ्रष्टाचार और रिश्वत में वृद्धि हो रही है। हमारे गृह-कार्य मंत्री ने कहा था कि वह दो वर्षों में भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे परन्तु इस में वह सफल नहीं हुए हैं।

आज भी देश में राष्ट्रीय रक्षा नियम लागू है। यहां पर पहले ही निरोध निवारक अधिनियम जैसे कानून हैं तो रक्षा नियमों की क्या आवश्यकता है। इन नियमों के अन्तर्गत सरकार ने बहुत अधिक अधिकार अपने हाथ में ले लिये है। सरकार यदि आवश्यक समझे तो अन्य कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकती है और भारत रक्षा नियमों को समाप्त कर देना चाहिये।

हमारी विदेशी नीति भी नारों पर आधारित रही है जैसे तटस्थता, विश्वशान्ति, सहअस्तित्व और पंचशील आदि। आज ताशकन्द भावना बड़े जोरे से चल रही है। हमें इस प्रकार की भावनाओं के पीछे नहीं दौड़ना चाहिये और समझौते के शब्दों को देखना चाहिये। एक समझौते के शब्दों के अर्थ निकाले जाते है न कि यह देखा जाता है कि हस्ताक्षर करने वालों के मन में किस प्रकार की भावना थी। सरकार को काश्मीर में आये हुए घुसपैठियों के विरुद्ध अपनी कार्यवाही समाप्त नहीं करनी चाहिये और उन्हें बाहर निकाल देना चाहिये। सरकार को अपनी विदेश नीति वास्तविकता पर आधारित करनी चाहिये।

हमें तथ्यों को अपने समक्ष रखना चाहियें। हम तो अपनी ओर से ताशकन्द समझौते को ठीक प्रकार से कार्यान्वित कर रहे हैं परन्तु हमें देखना चाहिये कि क्या पाकिस्तान भी इस अमल पर कर रहा है या नहीं। उन्होंने इस के विरुद्ध कई बातें कही हैं। और भविष्य के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार हम देख सकते है कि हमारी विदेशी नीति असफल हो रही है।

आर्थिक क्षेत्र में यदि देखा जाये तो पता चलेगा कि भारत सरकार सब से अधिक चोरबाजारी और मुनाफाखोरी करती है। अठारह वर्षों के बाद भी हमारी यह दशा है तो यह बड़े खेद की बात है। जर्मनी और जापान से हमें कुछ शिक्षा लेनी चाहिये और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिये।

श्री जसवन्त मेहता (भावनगर) : पिछले चार दिनों में माननीय सदस्यों ने देश के समक्ष समस्याओं का उल्लेख किया है और अपने विचार व्यक्त किये है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली क्लाथ मिल्स में तालाबन्दी तथा कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा लाठी-प्रहार

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Sir, I call the attention of hon. Minister of Labour and Employment towards the following matter of urgent public importance and request him that he may make a statement thereon:

"Lock-out in the Delhi Cloth Mills and lathi-charge on workers by the police."

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : श्रीमन, 13-12-1965 को दिल्ली क्लाथ मिल्स के प्रबन्धकों और कपड़ा मिल मज़दुर एकता यूनियन और टेक्सटाइल मज़दुर संघ के बीच समझौता हुआ था कि 1964-65 के लिये बोनस, बोनस भुगतान अधिनियम में निहित सुत्र के अनुसार दिया जायेगा और बोनस की राशि का भुगतान कम्पनी की वार्षिक बैठक के 15 दिन बाद आरंभ हो जायगा। परन्तु अंशपूंजी और फालतू रक्षित धन के निर्धारित करने पर मतभेद हो गया। प्रबन्धकों को 28 फरवरी से पूर्व बोनस की घोषणा करनी थी अत: उन्होंने मंजूरी के 6 प्रतिशत के बोनस की सूचना लगा दी। बोनस का वितरण 23 फरवरी से शुरु कर दिया गया। मतभेद के कारण वर्क्स कमेटी की बैठक बुलाई गई और उसने वितरण को विलम्बित करने की सिफारिश की। इसी बीच में कर्मचारी एकत्र हो गये और उन्होंने मिल के बड़े गेट को तोड़ दिया और हिंसात्मक कार्यवाही भी की। ऐसा कहा गया है। यह भी कहा गया है कि उन्होंने कुछ पुलिस वालों को मारापीटा और कुछ सम्पति को भी क्षति पहुंचाई। पुलिस को डंडाचार्ज करना पड़ा. . . . .
ऐसी स्थिति में रात के 11 बजे प्रबन्धकों ने मिल बन्द हो जाने की सूचना लगा दी और यह भी कहा गया कि मामला समझौता अधिकारी को सौंपा गया है। ऐसी स्थिति में तालाबन्दी करनी पड़ी।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : It is not a new dispute. I met the hon. Minister of Labour on 17th February in this connection and requested him to intervene. I want what action is proposed to be taken against the management? I want to know whether an enquiry would be conducted?

Shri Jagjivan Ram : I had told the hon. Member that if bonus is paid upto the 28th February, it is good or we would see. Necessary action would be taken under the Industrial Disputes Act.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मिल के प्रबन्धकों ने जानबूझ मामलों में विलम्ब किया है। मिल के संतुलन पत्र की एक प्रति मांग करने पर भी नहीं दी गई है। कमचारियों को आशा थी कि 20 प्रतिशत बोनस मिलेगा परन्तु, यह $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत कर दिया गया। यह गडबड इसी कारण हुई है।

श्री जगजीवन राम : मैने श्री कछवाय को बताया था और मुझे पता चला है कि दिल्ली प्रशासन के श्रम आयुक्त इस बारे में कार्यवाही कर रहे है।

Shri Madhu Limaye : Disputes of this type are coming up at other places also. It was understood that Labour Ministry would find out some solution under the Payment of Bonus Act. This type of disputes are coming up in Ahmedabad and Bombay also.

I want to know whether Government will take some effective steps in this matter.

Shri Jagjivan Ram : An act of Parliament is implemented. Where there is any obstacle, the necessary action is taken. I have called for the owner of Delhi Cloth Mills to discuss this matter with him.

श्री दाजी : मैं मंत्री महोदय की इस बात का स्वागत करता हूं कि वह प्रबन्धकों से बातचीत करेंगे। बोनस अधिनियम के अन्तर्गत एक इन्स्पेक्टर क्यों नियुक्त नहीं किया गया है। इस मामले में मिल के एक अधिकारी ने एक कर्मचारी को पीटा है ।

इस सारे मामले की जांच की जानी चाहिये और तालाबन्दी शीघ्र ही समाप्त होनी चाहिये और सामान्य काम आरंभ होना चाहिये ।

श्री जगजीवन राम : इस सारे विषय पर मैं बातचीत करूंगा।

श्री अ० प्र० शर्मा : यदि मजदूर संघ इसके लिये जिम्मेदार है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री जगजीवन राम : मैंने मजदुर संघों के नाम बताये है। उनके पदाधिकारी ठीक प्रकार से कार्य कर रहे है। परन्तु शायद वे कर्मचारियों को मनाने में सफल नही हो रहे है ।

Shri Bagri : I want to know whether an enquiry would be conducted?

Shri Jagjivan Ram : We have not received the full facts as yet. I cannot say anything in this regard.

Shri Bade : Labour leaders have been asking for accounts etc. No details about that have been given to them. The officers beat the workers. That was the cause of trouble. Now he says that he has called the owner of the Mills. I want to know whether the labour leaders would also be called?

Shri Jagjivan Ram : If I consider it necessary to call labour, I shall not hesitate in doing that.

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 25 फरवरी, 1966/फाल्गुन 6, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, February 25, 1966/Phalguna 6, 1887 (Saka).

भा० स० मु० ना०—वि० 5—24 लोकसभा/66—9-6-67—600